VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सुरक्षा

MAINS 365

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2023

(August 2022- May 2023)

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद
जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

सुरक्षा (Security)

विषय सूची

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (State and Non-State Actors) 6

1.1. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE) 6

1.2. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in North East) 7

1.2.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) {Armed Forces (Special Powers) Act: AFSPA} 8

1.2.2. अवैध प्रवास एवं आंतरिक सुरक्षा (Illegal immigration and Internal Security) 9

1.2.3. भारत-नागा युद्धविराम समझौता (Indo-Naga ceasefire agreement) 11

1.2.4. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord) 12

2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरा (Threats to Internal Security) 14

2.1. प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा (Technology and Internal Security) 14

2.1.1 मीडिया और सोशल मीडिया (Media and Social Media) 14

2.1.2. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 15

2.1.2.1. साइबर सुरक्षा की दिशा में हुई हालिया प्रगति (Recent Developments in Cyber Security) 16

2.1.2.2. रैंसमवेयर (Ransomware) 16

2.1.3. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure: CII) 18

2.1.4. कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी (Technology for Law Enforcement) 19

2.1.4.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT) 20

2.2. मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी (Money Laundering and Smuggling) 23

2.2.1 धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन {Amendment to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005} 24

2.2.2. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA) 24

2.2.3. तस्करी और जालसाजी (Smuggling and Counterfeiting) 26

2.2.3.1. स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 (Smuggling in India Report 2021-22) 27

2.2.3.2. जाली मुद्रा नोट (Counterfeit Currency Notes) 27

2.2.4. मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking) 29

2.3. आतंकवाद (Terrorism) 30

2.3.1. लोन वुल्फ आतंकवाद (Lone-wolf Terrorism) 31

2.3.2. जैव आतंकवाद (Bio-Terrorism) 32

2.3.3. गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम {Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967} 33

2.4. युद्ध के उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Warfare) 36

2.4.1. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare) 36

2.4.2. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponisation) 37

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas) 38

3.1. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे (Security Issues in Border Areas) 38
3.1.1. सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका (Role of Community In Border Management) 39
3.1.2. भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा (Geospatial Data and National Security) 41

3.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) 42
3.2.1. समुद्री पायरेसी-रोधी अधिनियम (Anti-Maritime Piracy Act) 43
3.2.2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्त्व {Strategic Importance of Andaman and Nicobar Islands (ANI)} 44

4. सुरक्षा बल (Security Forces) 47

4.1. भारत में सुरक्षा बल (Security Forces in India) 47
4.1.1. रक्षा क्षेत्रक स्वदेशीकरण (Defence Indigenisation) 48
4.1.2. तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची {Third Positive Indigenisation List (PIL)} 49
4.1.3. INS विक्रांत (INS Vikrant) 49
4.1.4. भारत में पनडुब्बियां (Submarine in India) 50
4.1.5. रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण (Defence Modernisation) 53
4.1.5.1. प्रौद्योगिकी विकास कोष (Technology Development Fund: TDF) 54
4.1.6. प्रौद्योगिकी और सीमा प्रबंधन (Technology and Border Management) 54
4.1.6.1. भारत में ड्रोन (Drones in India) 56
4.1.6.2. ड्रोन का सैन्य इस्तेमाल (Military Applications of Drones) 57
4.1.7. सैन्य लॉजिस्टिक समझौते (Military Logistics Agreements) 58
4.1.8. सशस्त्र बलों का थिएटराइजेशन (Theaterisation of Armed Forces) 59
4.1.9. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff: CDS) 60
4.1.10. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) 62
4.1.11. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBG) 64

4.2. पुलिस बल (Police Forces) 64

4.3. वैश्विक सुरक्षा एजेंसियां (Global Security Agencies) 67
4.3.1. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) 67
4.3.2. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाईजेशन (International Criminal Police Organization: Interpol) 68
4.3.2.1. पुलिस मेटावर्स (Police metaverse) 69
4.3.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद-रोधी समिति (UNSC Counter Terrorism Committee) 69
4.3.4. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) 69

5. विविध (Miscellaneous) 71

5.1. परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament) 71
5.1.1. पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष (25 years to Pokhran Nuclear Tests) 72
5.1.2. सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction: WMDs) 74

5.1.3. परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT) 77
5.1.4. वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement) 79
5.1.5 क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार (Cluster Bombs and Thermobaric Weapons) 79
5.2. रक्षा निर्यात (Defence Exports) 81
5.3. विदेशी सैन्य अड्डे (Foreign Military Bases) 82
5.4. प्रत्यर्पण (Extradition) 83
5.5. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा (Climate Change and Security) 85

परिशिष्ट 87

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2022 तक पूछे गए प्रश्नों (सुरक्षा खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए थॉट प्रॉसेस को विकसित करने में मदद करेगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में: इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स: इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें आप तेजी से रिवाइज कर सकें तथा अपने उत्तरों में आसानी से शामिल कर सकें, जिससे आपके उत्तर और आकर्षक व इंफॉर्मेटिव दिखेंगे।

परिशिष्ट: जल्दी रिविजन के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की सूची
प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि आपको इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

विगत वर्षों के प्रश्न: बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

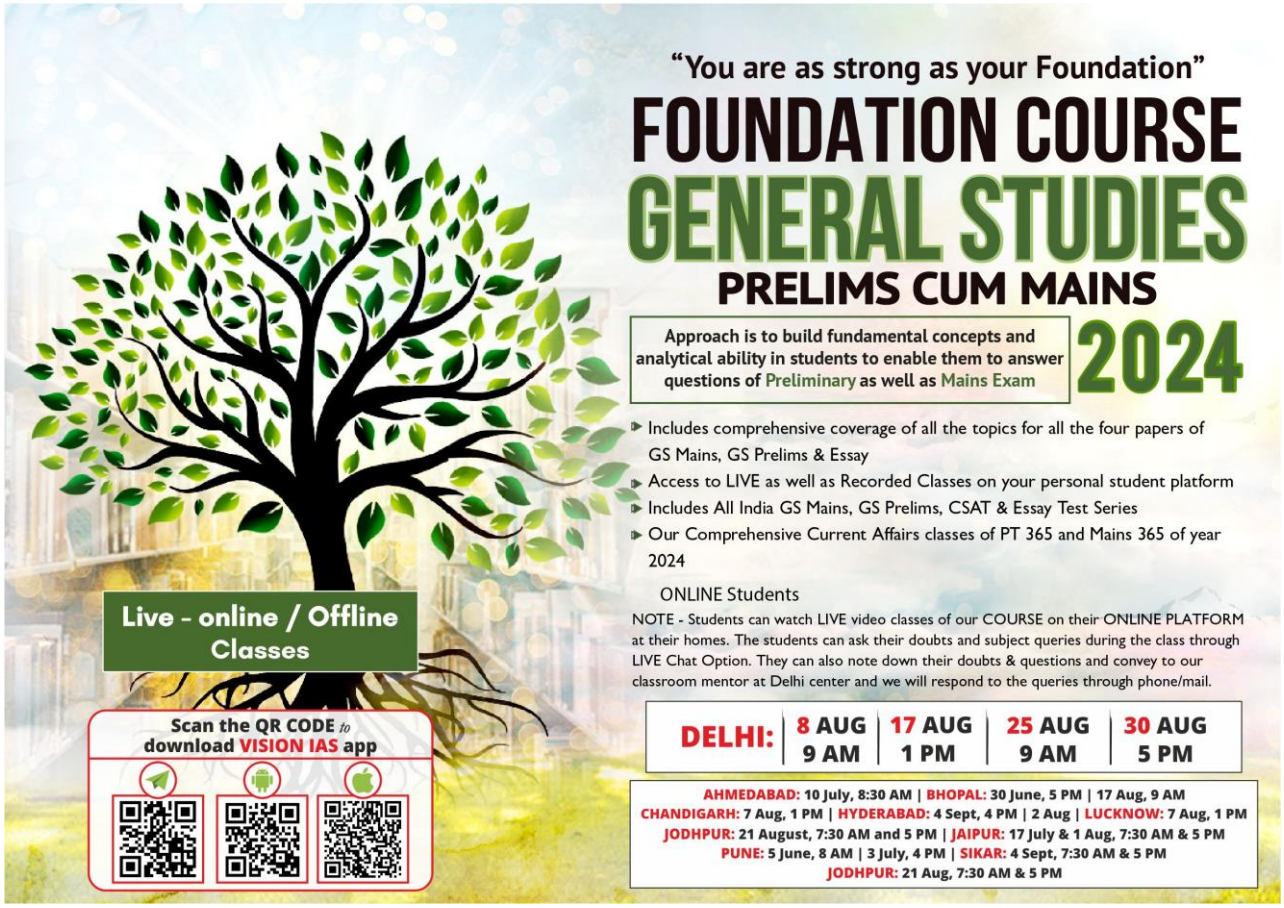
"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2024
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024
Live - online / Offline Classes
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 8 AUG 9 AM | 17 AUG 1 PM | 25 AUG 9 AM | 30 AUG 5 PM
AHMEDABAD: 10 July, 8:30 AM | BHOPAL: 30 June, 5 PM | 17 Aug, 9 AM
CHANDIGARH: 7 Aug, 1 PM | HYDERABAD: 4 Sept, 4 PM | 2 Aug | LUCKNOW: 7 Aug, 1 PM
JODHPUR: 21 August, 7:30 AM and 5 PM | JAIPUR: 17 July & 1 Aug, 7:30 AM & 5 PM
PUNE: 5 June, 8 AM | 3 July, 4 PM | SIKAR: 4 Sept, 7:30 AM & 5 PM
JODHPUR: 21 Aug, 7:30 AM & 5 PM

ABHYAAS
MAINS 2023
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)*
PAPER DATES
ESSAY 25 AUGUST | GS - 1 & GS - 2 26 AUGUST | GS - 3 & GS - 4 27 AUGUST
OFFLINE IN 40+ CITIES
All India Percentile
Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
Available In ENGLISH / हिन्दी
AHMEDABAD | AIZAWL | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE | DEHRADUN
DELHI | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GUWAHATI | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI | KOTA | KOLKATA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | PATNA
PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA |
VISAKHAPATNAM

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (State and Non-State Actors)

1.1. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE)

वामपंथी उग्रवाद (LWE): एक नज़र में

भारत में वामपंथी उग्रवाद के बारे में

- वामपंथी उग्रवाद को **नक्सलवाद/माओवाद** के नाम से भी जाना जाता है। यह सशस्त्र विद्रोह का एक ऐसा रूप है जिसमें वामपंथी उग्रवादी **कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं** के हिंसक तरीकों से **सत्ता की स्थापित प्रणालियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।**
- भारत में **1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)** द्वारा **नक्सलबाड़ी (पश्चिम बंगाल)** में **नक्सलवाद** की शुरुआत की गई थी।
- आज भी **भारत के 'लाल गलियारे'** में माओवादी गुट लगातार सक्रिय हैं। इस गलियारे में **मध्य और पूर्वी राज्य, जैसे– छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल** शामिल हैं। इन राज्यों में इनकी सक्रियता अलग–अलग स्तर की है।
- **2009 से 2022 तक वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 76% की गिरावट आई थी।**
- **2018 से 2021 तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 35 से घटकर 25 हो गई।**

वामपंथी उग्रवाद के कारक

- **शासन संबंधी कारक:**
  - **कल्याणकारी योजनाओं** को प्रभावी और कुशलतापूर्ण रीति से **लागू करने में विफलता।**
  - अक्षमता, भ्रष्टाचार और शोषण के मामले में **सरकारी तंत्र का दोषपूर्ण होना।**
  - **कमजोर शासन** के चलते माओवादियों को वंचित क्षेत्रों में अपनी वैधता/औचित्य प्राप्त करने का अवसर मिलता रहता है।
- **सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारक:**
  - गरीबी व असमानता **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों को आगे बढ़ने में सहायता** करती है।
  - **भूमि अधिग्रहण** से किसान/जनजातियां विस्थापित होती रहती हैं। यह जनजातियों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा बोध को बढ़ावा देता है।
  - **जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक अलगाव** होना।
  - **सड़कों, स्कूलों जैसी आधारभूत अवसंरचना की कमी।**
- **वंचित वर्ग की राजनीतिक उपेक्षा:** उपेक्षित समुदायों, विशेष रूप से जनजातीय आबादी का **राजनीति में कम प्रतिनिधित्व है।**

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **2006 में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभाग का गठन:** इसने **सुरक्षा संबंधी योजनाओं** को लागू किया है।
- बहुआयामी रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015)।**
- **LWE से निपटने** हेतु वर्ष 2017 में शुरू की गई **समाधान (SAMADHAN) रणनीति।**
- **'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' से संबंधित अम्ब्रेला योजना की अलग–अलग उप–योजनाएं, जैसे– विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)।**
- **विकास संबंधी पहलें:**
  - रोड रिक्वायरमेंट प्लान–1 (RRP-1) एवं सड़क संपर्क परियोजना की सहायता से **सड़क संपर्क में सुधार करना।**
  - मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए **LWE से संबंधित मोबाइल टावर परियोजना।**
  - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 जिलों में **आवासीय मॉडल स्कूल।**
- **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन ग्रीन हंट।**

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने में आने वाली समस्याएं

- स्थापित **मानक परिचालन प्रक्रियाओं** की उपेक्षा करना।
- **पुलिस बलों के क्षमता निर्माण की मंद गति** और नेतृत्व से संबंधित मुद्दे।
- उग्रवादी **गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भलीभांति प्रशिक्षित** होते हैं।
- गहरी माइंस का पता लगाने में **अक्षम तकनीक।**
- नक्सलियों द्वारा **धन–शोधन।**
- **माओवादी बच्चों को उग्रवादी बनाकर उनका उपयोग करते हैं।**
- **माओवादी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के ट्राई–जंक्शन जंगल जैसे पुराने मजबूत क्षेत्रों में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।**

आगे की राह

- **सर्वोत्तम पद्धतियों** और सफलता की कहानियों से **सीख लेना,** जैसे– आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स।
- **मूल समस्या को दूर करना,** जैसे– वित्तीय सशक्तीकरण का अभाव, बुनियादी ढांचों और वन अधिकारों से संबंधित समस्याएं आदि।
- माइक्रो या मिनी-UAVs (मानव रहित विमान) जैसी **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।**
- **राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ाना।**
- अवैध खनन/वनों के ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों व उग्रवादियों के बीच के गठजोड़ को तोड़कर **वित्त–पोषण को रोका जाना चाहिए।**

1.2. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in North East)

पूर्वोत्तर में उग्रवादः एक नज़र में

पूर्वोत्तर में उग्रवाद के मुख्य कारण

- व्यापक पैमाने पर प्रवास या पड़ोसी जनजातियों के साथ नृजातीय प्रतिद्वंद्विता के कारण **स्थानीय स्तर पर पहचान का संकट।**
- पूर्वोत्तर में साक्षरता और मानव विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद **खराब कनेक्टिविटी और सीमित बुनियादी** ढांचे के कारण अवसरों की कमी।
- गवर्नेंस संबंधी अक्षमता और वस्तुओं की कमी के कारण शासन **एवं अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक रूप।**
- दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के चलते **असुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।**
- सुरक्षा बलों की अत्यधिक उपस्थिति और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों के कारण **मुख्यधारा से अलगाव की भावना।**

देश के लिए पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने का महत्त्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षाः** पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा का अधिकांश हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की है। इसमें विवादित क्षेत्र भी शामिल हैं।
- **सीमा–पार संबंधों को मजबूत करनाः** इस क्षेत्र की **भू–रणनीतिक अवस्थिति** के कारण यह दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।
- **आर्थिक महत्त्वः** समृद्ध प्राकृतिक संसाधन (जैसे– तेल और गैस, जल विद्युत की क्षमता, वन–आधारित उत्पाद), पर्यटन और निर्यात की क्षमता आदि।
- **राष्ट्रीय एकीकरणः** पूर्वोत्तर क्षेत्र में सद्भाव स्थापित करना, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक रोल मॉडल बनाने में सहायता कर सकता है।

पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने और समृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

- **शांति समझौते या करारः** NLFT समझौता (त्रिपुरा), ब्रू शरणार्थी पुनर्वास समझौता, बोडो शांति समझौता और हालिया कार्बी आंगलोंग शांति समझौता।
- **पडोसी देशों के सहयोग से सीमाओं पर बाड़ लगाना,** उदाहरण के लिए– त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा पर लगभग 24 कि.मी. की बाड़ लगाई गई है।
- **स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलें,** जैसे–
  - **उड़ान 4.0** (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत पूर्वोत्तर हवाई मार्गों को प्राथमिकता।
  - पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए तीव्र प्रयास।
  - **मैत्री** सेतु, बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ त्रिपुरा में सबरूम को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर 1.9 कि.मी. का पुल का निर्माण।
- **निम्नलिखित उपायों के माध्यम से "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर का विकासः**
  - केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के **सकल बजटीय सहायता का कम–से–कम 10 प्रतिशत अनिवार्य** रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित करना।
  - **स्वदेश दर्शन योजना, व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना, कृषि निर्यात क्षेत्र, राष्ट्रीय बांस मिशन** जैसी पहलें।
- इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित करने के लिए हॉर्नबिल त्यौहार जैसे स्थानीय उत्सवों का आयोजन।
- शांति लाने के लिए कई विद्रोही समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे– नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT)।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम।**

शांति और समृद्धि संबंधी पहलों के समक्ष चुनौतियां

- दुर्गम भू–भाग वाली **गैर–सीमांकित सीमाओं** की उपस्थिति।
- आपदा जोखिमों के कारण **आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी संबंधी पहलों के समक्ष प्राकृतिक चुनौतियां।**
- **सीमित FDI अंतर्वाह और पूर्वोत्तर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रधानता।**
- म्यांमार में भारतीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर हाल ही में विद्रोही समूहों द्वारा किए गए हमले में **संगठित अपराध सिंडिकेट की उपस्थिति** सामने आई है, जो एक्ट ईस्ट नीति के लिए चुनौती पैदा कर रही है।
- अन्य क्षेत्रों के लोगों में इस क्षेत्र और यहां के लोगों के बारे में **प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं।**
- राज्यों के बीच सीमा विवाद, जैसे– असम–मिजोरम सीमा विवाद।
- नृजातीय संघर्ष, जैसे– मणिपुर में मेईती समुदाय को एस.टी. सूची में शामिल करने को लेकर हुई हिंसा।

आगे की राह

- **सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर,** शेष भारतीयों और बाहरी लोगों में पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **आर्थिक स्तर पर,** खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, रेशम उत्पादन जैसे हल्के उद्योगों पर काम करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर,** मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ शांति प्रयासों को जारी रखना।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,** असुरक्षित सीमा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए गैर–सीमांकित सीमा के मुद्दों का समाधान करना।
- **राजनीतिक स्तर पर,** इस क्षेत्र में सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को शामिल करना।

1.2.1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) {Armed Forces (Special Powers) Act: AFSPA}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA)** के तहत घोषित **अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम करने** का फैसला लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में **नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों** में AFSPA लागू है।
  - सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के माध्यम से AFSPA को **जम्मू-कश्मीर में भी लागू** किया गया है।
- इससे पहले, **2018 में मेघालय से, 2015 में त्रिपुरा से तथा 1980 के दशक में मिजोरम से AFSPA को पूरी तरह से हटा दिया** गया था।

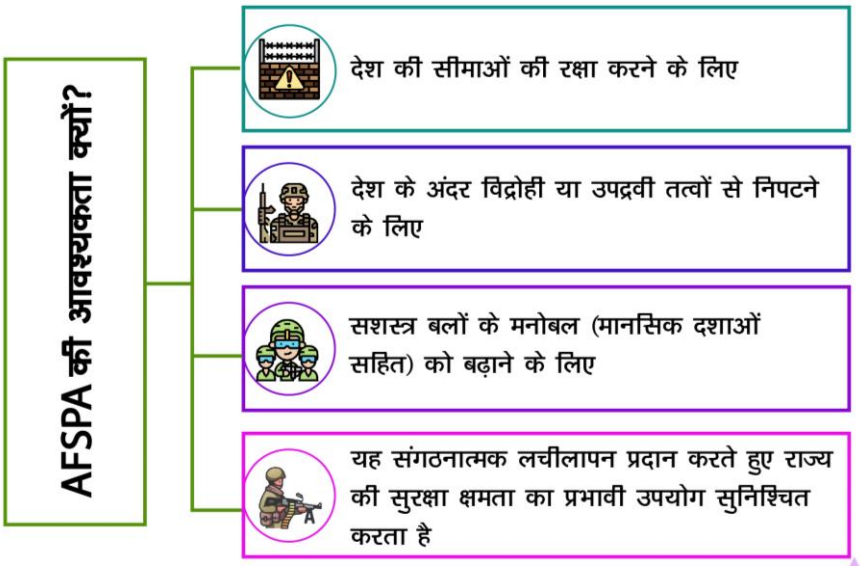

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) के बारे में

- **पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली के लिए AFSPA को 1958 में पारित किया गया था।**
- यह अधिनियम **अशांत क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को शक्ति/ अधिकार** प्रदान करता है।
  - अशांत क्षेत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र में स्थिति के अत्यधिक **अशांत या खतरनाक** होने से है, जिसमें **नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग** आवश्यक हो जाता है।
  - **केंद्र सरकार या संबंधित राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, राज्य या संघ शासित प्रदेश के पूरे या उसके किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित** कर सकते हैं।
- यह अधिनियम सशस्त्र बलों को **अलग-अलग प्रकार की विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जैसे:**
  - इसके तहत सशस्त्र बल किसी क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के **इकट्ठा होने पर प्रतिबंध** लगा सकते हैं।
  - यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति **कानून का उल्लंघन** कर रहा है, तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद उसके विरुद्ध **बल का उपयोग कर सकते हैं या गोली भी मार सकते हैं।**

AFSPA पर न्यायिक निर्णय

- **नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ वाद (1997):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA की **संवैधानिकता को बरकरार रखा और इसकी प्रक्रिया निर्धारित की-**
  - किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करते समय **राज्य सरकार की राय** जरूर ली जानी चाहिए।
  - राज्य द्वारा **प्रत्येक छह महीने** में अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए।
- **अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ बनाम भारत संघ और अन्य वाद[1] :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **AFSPA के प्रावधान पूरी तरह से उन्मुक्ति/ छूट नहीं देते हैं।** न्यायालय ने AFSPA के तहत अभियोजन (Prosecution) या मुकदमा चलाए जाने से सशस्त्र बलों को दी गई **उन्मुक्ति/ छूट को समाप्त कर दिया।**

AFSPA से संबंधित समितियां

- **बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2005):** इसने AFSPA को घृणा और दमन/ उत्पीड़न का प्रतीक बताकर इसे निरस्त करने की मांग की थी। अन्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - AFSPA को **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967** में शामिल करना।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** इसमें कहा गया था कि AFSPA को निरस्त करने से पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बीच **भेदभाव और अलगाव की भावना दूर** हो जाएगी।
- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1979 से मणिपुर में मुठभेड़ में हुई **1,528 लोगों की हत्या** की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

[1] Extra Judicial Execution Victim Families vs Union of India & Anr, 2016

- सुरक्षा बल का अधिकारी केवल शक के आधार पर **बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है; बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है; और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा सकता है।**

AFSPA से जुड़े मुद्दे

- **अधिकारों का उल्लंघन:** यह अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिन्हें न तो निलंबित तथा न ही समाप्त किया जा सकता है या जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता है। इनमें जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और स्वतंत्रता पर मनमाने तरीके से रोक लगाने से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:** AFSPA का स्वरूप और इसका क्रियान्वयन निम्नलिखित का उल्लंघन करता है:
  - मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights: UDHR),
  - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR),
  - अत्याचार/ यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और
  - कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता।
- **केंद्र-राज्य संघर्ष:** कानून और व्यवस्था **राज्य सूची का विषय** है। संबंधित राज्य हमेशा जमीनी/ स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष मूल्यांकन/ आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। हालांकि, AFSPA जैसे अधिनियम शांति के समय में भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।
- **शक्तियों का दुरुपयोग:** ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां पर सशस्त्र बलों ने कथित रूप से अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

निष्कर्ष

अल्पावधि में, AFSPA के प्रयोग को कम करने के साथ-साथ **जवाबदेही सुनिश्चित करने** की आवश्यकता है। दीर्घावधि में, वार्ता और आपसी समन्वय जैसे संघर्ष समाधान के वैकल्पिक तरीकों को अपनाना चाहिए।

1.2.2. अवैध प्रवास एवं आंतरिक सुरक्षा (Illegal immigration and Internal Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मणिपुर की कुकी जनजाति और बहुसंख्यक मेईती (Meitei) समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। यह हिंसा अभी भी कई हिस्सों में जारी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कुछ समय पहले, मणिपुर सरकार दो विद्रोही समूहों के साथ हुए **सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस** (SoO) समझौते से पीछे हट गई। इन दो विद्रोही समूहों में **कूकी नेशनल आर्मी (KNA)** और **ज़ोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी (ZRA)** शामिल हैं।
- **ट्रिगर प्वाइंट:** मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मेईती समुदाय को राज्य की ST की श्रेणी में शामिल करने का आदेश देने के बाद विरोध शुरू हुआ था।
- **म्यांमार में अस्थिरता:** ऐसा कहा जाता है कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगभग 4,000 शरणार्थियों ने मणिपुर में प्रवेश किया है।
  - मणिपुर में प्रवेश करने वाले **कुकी-चिन-ज़ो (Chin-Kuki-Zo)** नृजातीय समूह के शरणार्थी मिजोरम और मणिपुर के समुदायों से निकटता से संबंधित हैं। कुकी-चिन-ज़ो नृजातीय समूह में **अग्रलिखित जनजातियां शामिल हैं: लाई (Lai), तिदिम-ज़ोमी (Tidim-Zomi), लुसी (Lusei),** और **हुआलंगो (Hualngo)।**
  - **इस तरह के अवैध प्रवासन को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है।**

सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस (SoO) समझौते के बारे में

यह 2008 में हस्ताक्षरित एक संघर्ष-विराम समझौता था। **इसका प्राथमिक उद्देश्य कुकी विद्रोही समूहों** के साथ **राजनीतिक संवाद शुरू** करना था। साथ ही, सभी पक्षों के बीच फैली **हिंसा और शत्रुता को समाप्त** करना भी इसका उद्देश्य था।

- **अवधि: SoO समझौते की अवधि एक वर्ष** है। हालांकि, कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- **निर्दिष्ट शिविर:** लड़ाका कैडर्स को सरकार द्वारा **चिन्हित निर्दिष्ट शिविरों में रखा** जाना है।
- **कोई सैन्य कार्यवाही नहीं:** राज्य और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बलों द्वारा भूमिगत समूहों (UG) के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- **विद्रोहियों की जिम्मेदारियां:** UPF और KNO के हस्ताक्षरकर्ता **भारतीय संविधान व देश के कानूनों का पालन** करेंगे और **मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता** को बनाए रखने में मदद करेंगे।
- **पुनर्वास पैकेज:** पुनर्वास पैकेज के रूप में निर्दिष्ट शिविरों में रहने वाले UG कैडर्स को **5,000 रुपये का मासिक वजीफा** दिया जाता है।

अवैध प्रवासन आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:** यह आरोप लगाया जाता है कि अवैध प्रवासियों में उग्रवादी समूह विशेषकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN)/ KUFLA जैसे समूह के लोग भी शामिल होते हैं। ये उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं।
- **मानव तस्करी:** हाल के दशकों में सीमाओं के पार **महिलाओं और मानव तस्करी** की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है।
- **सामुदायिक तनाव:** सामंजस्य और एकता आयोग[2] के अनुसार, ऐसे कई कारण मौजूद हैं जिनके चलते समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है। इन कारणों में शामिल हैं:
  - उच्च स्तरीय प्रवासन,
  - गरीबी, निम्नस्तरीय आवास जैसे सामाजिक बहिष्कार आदि।
- **वित्तीय बोझ का बढ़ना:** चूंकि सरकार को अप्रवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए आप्रवासन के कारण सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ गया है।
- **अवैध मतदाता:** अधिकांश अवैध अप्रवासियों ने मतदाता सूची में अपना नाम अवैध रूप से में दर्ज करा लिया है। इस आधार पर अब वे भारत का नागरिक होने का दावा कर रहे हैं।
- **पहचान का संकट:** अप्रवासियों के प्रवेश के कारण क्षेत्र के मूल निवासियों के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया है।
- **पर्यावरण का क्षरण:** अप्रवासी, वन भूमि के बड़े क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर लेते हैं, ताकि वे वहां निवास कर सकें और खेती कर सकें।
  - इसके कारण स्थानीय समुदायों के साथ **संसाधनों के उपयोग को लेकर उनका टकराव होता है।**

कुकी विद्रोह के बारे में

- **कुकी एक नृजातीय समूह है।** इसमें मूल रूप से भारत के **पूर्वोत्तर राज्यों, (जैसे- मणिपुर, मिजोरम व असम), बर्मा (अब म्यांमार) के कुछ हिस्सों में, सिलहट जिले और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कई जनजातियां** शामिल हैं।
- मणिपुर, अनेक कुकी जनजातियों का निवास स्थान है। **वर्तमान में राज्य की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।**
  - कुकी के अलावा मणिपुर की जनसंख्या में शेष हिस्सेदारी **मुख्य रूप से दो अन्य नृजातीय समूहों की** है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **मेईती (गैर-आदिवासी):** इनकी अधिकांश आबादी मणिपुर के घाटी क्षेत्र में निवास करती है, और
    - **नागा जनजातियां,** जो राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं।
- **1990 के दशक की शुरुआत में, नागाओं और कुकी के बीच नृजातीय संघर्ष के कारण** कई कुकी विद्रोही समूहों का गठन हुआ।
  - **नागाओं और मेईती के बीच प्रतिस्पर्धी हित रहे हैं।** नागालिम या ग्रेटर नागालैंड की मांग में मणिपुर के नागा आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
  - दूसरी ओर, **मेईती सदियों से एक भौगोलिक इकाई रहे क्षेत्र को संरक्षित करना चाहते हैं।** साथ ही, इस क्षेत्र में शुरू से ही उनका राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्तियों पर नियंत्रण रहा है।

अवैध प्रवासन से निपटने के लिए मौजूद कानून

- **विदेशी विषयक (Foreigners Act) अधिनियम, 1946:** इसके तहत, केंद्र सरकार अवैध रूप से देश में आए विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर सकती है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** इसके अंतर्गत, अवैध रूप से देश में आए किसी विदेशी नागरिक को बलपूर्वक निर्वासित करने का कार्य सभी राज्य सरकारों को सौंपा गया है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण का प्रावधान करता है।

भारत के लिए आगे की राह

- **प्रभावी नीति-निर्माण:** अवैध आप्रवासन की समस्या का एक मुख्य कारण देश में प्रभावी शरणार्थी नीति का नहीं होना है। इसलिए, केंद्र सरकार को एक समग्र एवं प्रभावी शरणार्थी नीति बनानी चाहिए।
- **कूटनीतिक प्रयास:** भारत को पड़ोसी देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अवैध प्रवासन की समस्या को मूल देश के सहयोग के बिना हल नहीं किया जा सकता है।
- **विशिष्ट पहचान पत्र:** सरकार को उन सीमावर्ती लोगों के लिए पहचान-पत्र जारी करना चाहिए जो अलग-अलग कारणों से प्राय: सीमा पार करते रहते हैं।
- **सीमा पर बाड़ (Fencing) लगाना:** भारतीय सीमा के एक विशाल भाग को अभी भी बाड़ द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। इसलिए, केंद्र सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द ही पूरा करना चाहिए।
- **क्षेत्रीय मंचों का उपयोग:** बिम्सटेक जैसे मंचों का उपयोग पड़ोसी देशों से होने वाले अवैध प्रवास जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, इनका प्रयोग सदस्य देशों का समर्थन एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।
- **सीमाओं का बेहतर प्रबंधन:** BSF और ITBP जैसे सीमा रक्षक बालों को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बल को रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

[2] Commission on Integration and Cohesion

1.2.3. भारत-नागा युद्धविराम समझौता (Indo-Naga ceasefire agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक-मुइवा) {NSCN (IM)}[3] और केंद्र सरकार के मध्य किए गए **भारत-नागा युद्धविराम समझौते के 25 वर्ष पूर्ण** हुए हैं।

भारत-नागा युद्धविराम समझौते के बारे में

- 25 जुलाई 1997 को NSCN-IM और भारत सरकार के मध्य एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह युद्ध विराम समझौता **1 अगस्त, 1997 को प्रभावी** हुआ था।
  - **इसके परिणामस्वरूप, भारत-नागा शांति वार्ता की शुरुआत** हुई थी।
- हालांकि, इस समझौते के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी **नागा संघर्ष का अब तक कोई अंतिम समाधान नहीं खोजा जा सका** है।
- इससे पहले भी शांति बहाल करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। इनमें शामिल हैं- 1975 में हुआ शिलांग समझौता, 1997 का युद्धविराम समझौता तथा 2015 में संपन्न फ्रेमवर्क समझौता।

नागा जनजाति के बारे में

- **नागालैंड लगभग पूरी तरह से नागा जनजातियों द्वारा अधिवासित** है। कुकी, कछारी, गारो, मिक्रि, असमिया आदि जनजातियां भी यहां अधिवासित हैं, लेकिन ये केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
- **प्रमुख नागा जनजातियों में** एओ, अंगामी, चांग, चाकेसांग, कचारी, खियामनिउंगन आदि शामिल हैं।
- **नागा अनेक** भाषा बोलते हैं। उनकी **पोशाक और अन्य सांस्कृतिक अभिलक्षणों तथा उनकी शारीरिक बनावट में व्यापक भिन्नता** पाई जाती है।
- **नागाओं में जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं** है। किंतु प्रत्येक नागा जनजाति कई कुलों में विभाजित है।

नागा शांति वार्ता के मार्ग में बाधाएं

- **मांगों की प्रकृति:** NSCN (IM), एक पृथक ध्वज एवं संविधान की मांग को शांति वार्ता प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग मानता है। इसका कहना है कि इन मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किए बिना समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। अतः इसके लिए देश की संघीय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी।
- **विभिन्न नृजातीय समूहों के लिए साझा लक्ष्य खोजना:** नागालैंड में जनजातीयवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, अर्थात् हर जनजाति के लोग अपने को श्रेष्ट एवं उस राज्य की सर्वोच्च जनजातीय शक्ति मानते हैं। इस कारण सभी नागाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी समूह के दावे को लेकर अन्य गुटों के मध्य अब तक सहमति नहीं बन पाई है।

NSCN (IM) Map of Greater Nagalim

- **संविधान के अनुच्छेद 371A की सीमाएं:** हालांकि, वर्ष 2013 में, सरकार ने यह कहा था कि अनुच्छेद 371A(1)(a) **खनिज तेल के विनियमन और विकास पर नागालैंड की विधान सभा को विधायी शक्ति प्रदान नहीं** करता है।
  - अनुच्छेद 371A विनिर्दिष्ट करता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; नागा रूढ़िजन्य विधि एवं प्रक्रिया; सिविल एवं दांडिक न्याय प्रशासन तथा भूमि एवं उसके संपत्ति स्रोतों के स्वामित्व व हस्तांतरण के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा।
- **अन्य राज्यों से जुड़ी चिंताएं:** नागा अधिवासित क्षेत्रों का एक **ग्रेटर नागालैंड (या नागालिम)** में एकीकरण इस शांति प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना देगा। इसमें तीन राज्य यथा **असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के क्षेत्र शामिल होंगे।
- **अल्प पारदर्शिता और सीमित भागीदारी: इस क्षेत्र में जारी हिंसा, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा/AFSPA) के लागू रहने** तथा **संघर्ष के समग्र प्रबंधन में लोगों के विश्वास में कमी के कारण** स्थिति व वार्ता और जटिल हो सकती है।

[3] National Socialist Council of Nagalim (Isak-Muivah)

आगे की राह

- **जहां तक संभव हो सके वार्ता को जनता की जानकारी से दूर रखा जाना चाहिए।** प्रचार, शांति वार्ता के संपन्न होने को लेकर बार-बार घोषणाएं, निंदा आदि ने वर्ष 2015 के बाद की वार्ताओं को विफल बना दिया है।
- **सरकार को समय सीमा घोषित करके समाधान निकालने की जल्दबाजी नहीं** करनी चाहिए। नागा संबंधों में विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए समय, स्थान और सतत वार्ताओं को संचालित करते रहना चाहिए।
- **मणिपुर के नागा अधिवासित क्षेत्रों में स्वायत्तता और एक अखिल-नागा निकाय के संचालन** जैसे पहलुओं पर अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही, इस दिशा में **प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी** चाहिए।
- **विश्वास-निर्माण के उपायों में** स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहमति जैसे घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे उपायों को केवल NSCN (IM) के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में ही लक्षित नहीं किया जाना चाहिए।
- **लोगों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता** है, ताकि लोगों की वास्तविक समस्याओं को एक बड़े मंच पर पहुंचाया जा सके। न केवल भारत और पूर्वोत्तर के बीच, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों के मध्य भी अधिक पार-सांस्कृतिक खुलेपन (Cross-cultural openness) की आवश्यकता है।

1.2.4. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने बोडो समझौते की सराहना की एवं इसे असम में "दीर्घकालिक शांति" का स्रोत बताया।

संबंधित सुर्ख़ियां

कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए **असम के पांच विद्रोही समूहों, केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार** ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- 1,000 से अधिक ऐसे **सशस्त्र कैडरों का पुनर्वास** किया जाएगा, जिन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया है और वे मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
- **केंद्र सरकार** असम सरकार को आगामी पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का **विशेष विकास पैकेज** उपलब्ध कराएगी। इस पैकेज द्वारा राज्य **कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं** आरंभ कर सकेगा।
- **कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC)[4] को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करना।**

बोडो शांति समझौते के बारे में

- यह **केंद्र सरकार, असम सरकार** और असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)** के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के रूप में हस्ताक्षरित **तीसरा बोडो शांति समझौता** है। इसे असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।
  - इससे पहले 1993 और 2003 में क्रमशः पहले और दूसरे बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में **NDFB** 3 गुटों में विभाजित हो गया। इनमें से NDFB(S) अभी भी हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल है।
  - यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बोडो समुदाय के लोगों की पहचान को मान्यता मिलेगी तथा इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **इस समझौते के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (BTADs)[5]** का पुनर्गठन किया गया है। इसमें मौजूदा BATDs से संलग्न नए बोडो बहुल ग्रामों को शामिल और मुख्यतः गैर-जनजातीय आबादी वाले ग्रामों को बाहर किया गया है।
  - **BTADs का नाम परिवर्तित करके बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR)[6] कर दिया गया।** इसमें अब पूर्व की तुलना में अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां निहित हैं।
  - कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों में रहने वाले बोडो को **अनुसूचित पर्वतीय जनजाति का दर्जा[7]** प्रदान किया जाएगा।

[4] Karbi Anglong Autonomous Council

[5] Bodo Territorial Areas Districts

[6] Bodoland Territorial Region

[7] Scheduled Hill Tribe status

- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) में **सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 60** की जाएगी।
- **बोडो (देवनागरी लिपि में) संपूर्ण असम के लिए** एक सहयोगी राजभाषा होगी।
- डेप्यूटी कमिश्नर और एस.पी. BTC के मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM) के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे।
- **1,500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज** तीन वर्षों में प्रदान किया जाएगा।

अब तक हुई प्रगति

- BTR को एक नया आकार प्रदान करने के लिए **सीमा आयोग का गठन** किया गया है।
- बोडो क्षेत्र के निवासियों के लिए विकास कार्य विभिन्न आयोगों और सलाहकार समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।
- बोडो भाषा को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए **असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2020**[8] पारित किया गया है।
- **NDFB के 1,615 से अधिक लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया** है। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी विद्रोहियों के लिए **4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता** प्रारंभ की गई है।

[8] Assam Official Language (Amendment) Bill, 2020

2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरा (Threats to Internal Security)

2.1. प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा (Technology and Internal Security)

2.1.1 मीडिया और सोशल मीडिया (Media and Social Media)

मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां: एक नज़र में

मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में

- मीडिया, **संचार के सभी चैनलों को** संदर्भित करता है। इसमें **मुद्रित कागज** से लेकर डिजिटल डेटा तक सब कुछ शामिल है।
- सोशल मीडिया में **ट्विटर** जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, **यूट्यूब** जैसे मीडिया ट्रांसमिशन सिस्टम, **लिंक्डइन** जैसे समुदाय आधारित नेटवर्क शामिल हैं।
- 2023 की शुरुआत में भारत में कुल आबादी में **सोशल मीडिया यूजर्स की हिस्सेदारी लगभग 32.8%** थी।

सोशल मीडिया के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां

- **सोशल मीडिया पर साझा की गई फेक न्यूज़ या वीडियो के कारण सांप्रदायिक हिंसा की दर में वृद्धि:** उदाहरण के लिए– मॉब लिंचिंग और प्रवासी आबादी पर हमले।
- राष्ट्र–विरोधी समूह/तत्व जैसे कि **कुछ यूट्यूब चैनल दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए पाकिस्तान से संचालित** हो रहे हैं।
- अपने चरम के दौरान ISIS जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा अपनी प्रचार सामग्री में **हिंदी, तमिल आदि भारतीय भाषाओं का उपयोग** किया जा रहा था।
- **साइबर हमले:** SOVA एक एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन सॉफ़्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को चुराने के लिए बैंकिंग ऐप्स को लक्षित करता है। ऐसे में **सोशल नेटवर्क** ट्रोजन के लिए एक प्रमुख वाहक बन गए हैं।
- **डीप फेक:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) में प्रगति ने **सिंथेटिक वीडियो या डीप फेक बनाने में सक्षम** बनाया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम को ध्रुवीकरण करने, समाज में विभाजन को बढ़ाने और असहमति को दबाने के लिए सक्षम बनाया गया है।
- **सोशल मीडिया की वैश्विक कंपनियों द्वारा डेटा कोलोनाइजेशन** को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका **भारत के खिलाफ हेर–फेर में** इस्तेमाल किया जा सकता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से **आपराधिक गतिविधि और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां** संचालित की जाती हैं।
- वर्चुअल कम्युनिटी **लोन वुल्फ हमलावरों जैसे संभावित सदस्यों और समर्थकों को आकर्षित करने का साधन** है।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 ने **PIB की फ़ैक्ट–चेकिंग यूनिट** की स्थापना की है।
- **UNSC आतंकवाद–रोधी समिति की दिल्ली घोषणा–पत्र में सोशल मीडिया सहित साइबरस्पेस और अन्य ICT के बढ़ते उपयोग** पर चिंता व्यक्त की गई।
- **राष्ट्रविरोधी चैनल्स को बैन/ब्लॉक करना,** जैसे कि हाल ही में PIB द्वारा 6 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया था।
- **मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** ई–सर्विलांस परियोजनाएं जैसे कि NATGRID, CERT-In, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम (CMS), इंटरनेट स्पाई सिस्टम नेटवर्क एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम (NETRA), नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIPC) आदि।

आगे की राह

- सभी हितधारकों अर्थात **सरकारों, निजी क्षेत्रक, नागरिक समाज आदि के बीच समन्वय स्थापित किया** जाए।
- विशेष रूप से प्रासंगिक संदर्भों में गलत सूचना (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य या चुनाव संबंधी गलत सूचना) से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक **कानून** बनाना जरूरी है।
- झूठी/फर्जी खबरों के प्रति नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाने और ऐसी खबरों को **फॉरवर्ड करने से पहले तथ्यों की जांच करने की प्रवृत्ति** विकसित करना जरूरी है।
- **डेटा कोलोनाइजेशन और दुरुपयोग को रोकने** के लिए **डेटा स्थानीयकरण** को लागू किया जाना चाहिए।
- विभिन्न आंतरिक सुरक्षा खतरों के लिए **हॉटलाइन** जैसे प्रभावी रिपोर्टिंग तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।

2.1.2. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

साइबर सुरक्षा: एक नज़र में

साइबर सुरक्षा के बारे में

साइबर स्पेस में एकत्रित जानकारी या संपत्ति को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, हेर–फेर या विनाश से सुरक्षित करने की प्रक्रिया **साइबर सुरक्षा** कहलाती है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा।**
- संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा को संसाधित (प्रोसेस) और संग्रहित (स्टोर) करने के लिए **सार्वजनिक नीतियों में साइबरस्पेस का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।**
- निजी क्षेत्रक के लिए **साइबर लचीलापन की आवश्यकता है।**
- रेलवे, रक्षा प्रणाली, बैंकिंग जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली **सेवाओं का संरक्षण करना।**
- **डिजिटलीकरण में वृद्धि** ने व्यक्तियों को साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जैसे– ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी, निगरानी, प्रोफाइलिंग, निजता का उल्लंघन आदि।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उन्नत **तकनीक की बढ़ती भूमिका।**
- स्टार्ट–**अप डिजिटल प्रयास** (भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है)।

साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र

विधायी उपाय

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013**
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और 2008 का संशोधन**
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** डिजिटल संचार की संप्रभुता, बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है।

हालिया पहलें

- साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ CBI द्वारा **ऑपरेशन चक्र।**
- साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **MeitY का साइबर सुरक्षित भारत (CSB) कार्यक्रम।**
- कवच–2023, **नवीन विचारों की पहचान** करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है।
- CERT-In द्वारा **सिनर्जी अभ्यास।**
- थल सेना **'कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग' (CCOSW)** का गठन करेगी।

संस्थागत उपाय

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय** केंद्र (NCCC)
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया** दल **(CERT-In)**
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण** केंद्र **(NCIIPC)**
- इंटरनेट अपराधों से निपटने के लिए **भारतीय साइबर–अपराध समन्वय** केंद्र और **साइबर वारियर पुलिस फोर्स।**
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (CSK)**

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां

- **भौगोलिक सीमा (या साइबर अपराधियों)** का पता लगा पाना एक कठिन कार्य है, जबकि **साइबर हमलावर दुनिया के किसी भी कोने से हमला करते हैं।**
- **इंटरनेट तक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में एकरूपता की कमी।**
- **तेजी से विकसित हो रही नई–नई प्रौद्योगिकियां और इसका लाभ उठाने हेतु निवेश का अभाव।**
- **साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की व्यापक संरचना का अभाव है।**
- **स्थानीय पुलिस** को साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में **जानकारी का अभाव है।**

आगे की राह

- डी.आर.डी.ओ., एन.टी.आर.ओ., सर्ट–इन (CERT-In), रॉ, आई.बी. आदि एजेंसियों के बीच **सूचना साझाकरण और समन्वय सुनिश्चित करना।**
- निजी क्षेत्रक की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की **सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु साइबर सुरक्षा के लिए PPP मॉडल।**
- **क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना।**
- यू.एस.ए. के तेलिन मैनुअल जैसे सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना।
- बेहतर साइबर सुरक्षा हेतु डेटा का स्थानीयकरण।

2.1.2.1. साइबर सुरक्षा की दिशा में हुई हालिया प्रगति (Recent Developments in Cyber Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI, सेबी (SEBI) और CERT-In जैसे कई संगठनों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हालिया दिशा-निर्देशों के बारे में

भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स (PSOs) हेतु साइबर लचीलेपन और डिजिटल पेमेंट सिक्यूरिटी कंट्रोल के लिए RBI द्वारा जारी किया गया समेकित मानक दिशा-निर्देशों का मसौदा	CERT-In द्वारा सरकारी संस्थाओं के लिए "सूचना संबंधी सुरक्षा उपायों पर जारी किए गए दिशा-निर्देश"	सेबी द्वारा विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए सेबी ने एक समेकित साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है
• **कवरेज:** यह मसौदा दिशा-निर्देश साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी तथा प्रबंधन करने के लिए शासन प्रक्रियाओं को कवर करता है। • **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकृत गैर-बैंकिंग PSOs प्रचलित और उभरती हुई सूचना प्रणालियों एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति लचीले हों। • **जिम्मेदारी: बोर्ड ऑफ PSOs** सूचना सुरक्षा जोखिमों की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।	• ये दिशा-निर्देश **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B** द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। • ये दिशा-निर्देश **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची** में निर्दिष्ट सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों पर लागू हैं। • **दिशा-निर्देशों के प्रमुख बिंदु:** ○ साइबर सुरक्षा **उल्लंघनों का पता चलने के 6 घंटे के भीतर** उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ○ हर छह महीने में अनिवार्य रूप से **साइबर सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए।** ○ 15 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर **कर्मचारियों को सिस्टम से लॉग आउट कर दिया जाएगा।** ○ एडमिन को सिस्टम तक पहुंचने के लिए **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी** के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।	• इसका उद्देश्य किसी भी साइबर सुरक्षा जोखिम/ घटना को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी **कई दृष्टिकोणों के बजाए एक साझा फ्रेमवर्क** प्रदान करना है। • यह फ्रेमवर्क साइबर सुरक्षा के पांच समवर्ती (Concurrent) और सतत (Continuous) कार्यों पर आधारित है- चिन्हित करना, सुरक्षित करना, पता लगाना, प्रतिक्रिया देना और पुनर्प्राप्त करना[9]। ○ इसे **राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIST)** द्वारा परिभाषित किया गया है। ○ ये कार्य उन स्तंभों के रूप में हैं जिन पर फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये मजबूत **साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने में विनियमित संस्थाओं का मार्गदर्शन** करते हैं। • सभी **विनियमित संस्थाएं** एक अप-टू-डेट **साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP)**[10] तैयार करेंगे। • इसके अलावा, **विनियमित संस्थाओं** को एक **व्यापक घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन योजना**[11] और संबंधित **मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)** भी लागू करनी होगी।

2.1.2.2. रैंसमवेयर (Ransomware)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने **रैंसमवेयर रिपोर्ट, 2022** जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में रैंसमवेयर की घटनाओं में **53 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
- इस वर्ष ऐसे हमले न केवल धन-प्राप्ति से प्रेरित रहे हैं, बल्कि **भू-राजनीतिक संघर्षों** ने भी रैंसमवेयर हमलों को बढ़ाने में योगदान किया है।

[9] Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover

[10] Cyber Crisis Management Plan

[11] Comprehensive incident response management plan

- कई महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में व्यापक रैंसमवेयर हमले हुए हैं। साथ ही, इसकी **बारम्बारता व जटिलता में भी वृद्धि** हुई है।
    - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवा क्षेत्रक** रैंसमवेयर हमले से सबसे **अधिक प्रभावित क्षेत्रक** था। इसके बाद **वित्त** और **विनिर्माण क्षेत्रक** थे।
        - रैंसमवेयर हमले के बाद लगातार सातवें दिन एम्स का सर्वर हैक रहा था।

- **लॉकबिट** भारत में सबसे ज्यादा **कुख्यात रैंसमवेयर** वेरिएंट था। इसके बाद **मैकोप और DJVU/स्टॉप रैंसमवेयर** का स्थान था। वर्ष 2022 में **वाइस सोसाइटी और ब्लू स्काई** जैसे नए वेरिएंट देखे गए थे।
    - **मैकोप और फोबोस रैंसमवेयर समूहों** ने मुख्य रूप से मध्यम एवं छोटे संगठनों को लक्षित किया है। इसके विपरीत **Djvu/स्टॉप जैसे वेरिएंट** व्यक्तियों को लक्षित करते हैं।
- **रैंसमवेयर-एज-ए-सर्विस** (RaaS) इकोसिस्टम प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा है।

2.1.3. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure: CII)

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII): एक नज़र में

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के बारे में

- CII का आशय ऐसी **आवश्यक भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से है**, जिनके बाधित या नष्ट हो जाने की स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा, आर्थिक या सामाजिक कल्याण प्रभावित हो सकता है।
  - **बांध, विद्युत एवं ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं**, सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), परिवहन, न्यूक्लियर रिएक्टर आदि **किसी देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना के भाग माने जाते हैं।**
- सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) की धारा 70 के तहत CII की घोषणा करती है।
  - हाल ही में, जनगणना और **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)** डेटाबेस, ICICI और HDFC बैंक तथा NPCI के IT संसाधनों को 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरे

- **प्राकृतिक:** भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, इत्यादि।
- **मानवीय–कारण:** आतंकवाद, साइबर हमले, आर्थिक जासूसी आदि। उदाहरण के लिए– **रेडइको कैंपेन** जिसके कारण मुंबई में विद्युत् आपूर्ति में बाधा देखने को मिली थी।
- **दुर्घटना या तकनीक जनित खतरे:** खतरनाक पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाएं, परिवहन से संबंधित दुर्घटनाएं, विद्युत ग्रिड की विफलता, आदि।

महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा में चुनौतियां

- **भारत में हार्डवेयर के साथ–साथ सॉफ्टवेयर उपकरणों में स्वदेशीकरण की कमी है।**
- **एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी,** क्योंकि इनमें से कुछ एजेंसियां प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) को रिपोर्ट करती हैं, जबकि अन्य एजेंसियां रक्षा मंत्रालय आदि को रिपोर्ट करती हैं।
- अपनी प्रणाली की कमियों/सुभेद्यताओं के बारे में **सूचना साझा करने को लेकर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रक में संकोच।**
- कई **संगठनों के पास** अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवर नहीं हैं।**

भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

विधायी उपाय

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

संस्थागत उपाय

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)
- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)
- रक्षा साइबर एजेंसी
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)

आगे की राह

- सुरक्षा के भौतिक, कानूनी, साइबर और मानवीय आयामों के समाधान हेतु एक **व्यापक सुरक्षा नीति** विकसित करने की आवश्यकता है।
- नई पद्धतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है, जैसे– **साइबर किल चेन**, जो साइबर हमलों के स्तरों का पता लगाता है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना के मध्य परस्पर निर्भरताओं के साथ–साथ **प्रणाली की कमजोरियों की बेहतर समझ की आवश्यकता है।**
- **राज्य और कॉर्पोरेट क्षेत्रक के मध्य व्यापक सहयोग और एक कार्यात्मक साझेदारी।**
- **साइबर कार्यबल का क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना।**
- बिजनेस प्लान, अनुबंधों और काम–काज में **एकीकृत एवं संधारणीय सुरक्षा उपायों** को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- CII की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है।

2.1.4. कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी (Technology for Law Enforcement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने **'फिंगरप्रिंट एनालिसिस ट्रैकिंग सिस्टम'** का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम का उपयोग अपराधियों के **बायोमेट्रिक डेटाबेस** रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए किया जाएगा।

अपराध और कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

- **अपराधों की बदलती प्रकृति:** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उदय ने **अपराध की प्रकृति और कार्यप्रणाली को बदल** दिया है। उदाहरण के लिए-
  - **पारंपरिक अपराधों** (लूटपाट, चोरी आदि) में कमी आ रही है, जबकि **पहचान की चोरी, रैंसमवेयर सहित वित्तीय चोरी, फेक न्यूज, सेक्सटॉर्शन** जैसे अपराध बढ़ रहे हैं।
  - डार्क वेब की सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों को संचालित किया जा रहा है।
- **कानून प्रवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना:** अपराध की प्रकृति और अपराध करने के तरीकों में बदलाव आया है। इसके साथ ही, **कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs)**[12] और **उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाली** प्रौद्योगिकी में भी बदलाव दिखा है। ये प्रौद्योगिकियां **अपराधों का पता लगाने** में तथा **अपराधों की रोकथाम** में सहयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारतीय कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा शुरू की गई तकनीकी पहलें और इनके लाभ

- **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS):** CCTNS अपराध तथा अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए इसे **इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)** में फ़ीड करता है। ICJS के अंतर्गत **ई-कोर्ट, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन (Prosecution)** शामिल हैं।

- **निगरानी और पहचान से संबंधित प्रौद्योगिकियां,** जैसे- बायोमेट्रिक्स, CCTV, चेहरे की पहचान, स्वचालित लाइसेंस प्लेट पहचान (ALPR)[13] आदि।
- **डिजिटल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर:** यह सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के बाद या सुरक्षा संबंधी निवारक रख-रखाव के उद्देश्य से IT सिस्टम की जांच और निगरानी करता है।

[12] Law Enforcement Agencies

[13] Automatic License Plate Recognition

- **क्राइम मैपिंग और फॉरकास्टिंग:** इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके स्थान विशिष्ट अपराधों की प्रवृत्ति को ट्रैक किया जाता है। AI और बिग डेटा अपराध के हॉटस्पॉट/ स्थानों का पता लगाने में मदद करते हैं। यहां तक कि ये किसी **अपराध (समय और स्थान सहित) के घटित होने से पहले** ही इसकी पूर्व-सूचना प्रदान कर देते हैं। उदाहरण के लिए- दिल्ली में इसे प्रूफ किया जा चुका है।
- **क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC):** इसे गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 2020 में आरंभ किया गया था। यह विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 आधार पर अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करता है।

अपराध के खिलाफ प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में आने वाली बाधाएं

- विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इन प्रौद्योगिकी एवं सुविधाओं को खरीदने की लागत बहुत अधिक है।
  - **भारत में संसाधनों और सक्षम अवसंरचना या प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता** के मामले में राज्यों के बीच अंतर अधिक है।
- **प्रौद्योगिकी (विश्वसनीयता/ प्रभावकारिता) संबंधी जोखिम,** अर्थात् प्रौद्योगिकी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रही है या वांछित कार्यों को पूरा करने में असमर्थ रही है। उदाहरण के लिए-
  - **पक्षपाती परिणाम या भेदभाव का जोखिम** विद्यमान है, क्योंकि पूर्व-सूचना देने वाले एल्गोरिदम सिस्टम को पिछले अपराधों के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय पक्षपाती एल्गोरिदम के कारण ऐसे पक्षपाती परिणाम देखे गए हैं।
- डेटा उल्लंघनों और इन प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए **डेटा सुरक्षा से संबंधित उचित कानून का अभाव है।**
- **मानव जनित जोखिम,** जैसे- नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने या उनके कुशल उपयोग की कमी से जुड़े जोखिम भी विद्यमान हैं, जो विशेषकर अधिकारियों के बीच अपर्याप्त प्रशिक्षण या इनमें अनिच्छा के कारण देखने को मिलता है।
- **नैतिक चिंताएं जैसे कि:**
  - प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करने से **गोपनीयता का उल्लंघन** हो सकता है। यह व्यक्तिगत डेटा संग्रह, गैर-कानूनी निगरानी और संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के कारण हो सकता है।
  - उन क्षेत्रों में **प्रौद्योगिकियों का अत्यधिक और अनुचित उपयोग,** जहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

आगे की राह

- **वैधता:** स्पष्ट कानूनी मानकों का विकास करना चाहिए तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग उन मानकों के अधीन होना चाहिए।
- **लागत-प्रभावी:** अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देकर निवेश से जुड़े उचित रिटर्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे लागत कम करने और क्षमताओं को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।
- **तकनीकी प्रमाणिकता:** उपयोग से पहले प्रत्येक प्रौद्योगिकी की प्रदर्शन मानकों के साथ यथोचित समीक्षा की जानी चाहिए।
- **जवाबदेही:** लोक अविश्वास को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का पारदर्शी उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए।
- **कार्मिक संवेदीकरण (Personnel sensitization):** प्रौद्योगिकी अपनाने के मानवीय कारकों को दूर करने के लिए उचित प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के साथ निष्पक्ष भर्ती को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मानवीय कारकों में कम तनाव और उपयोग में पर्याप्त विश्वास आदि शामिल हैं।
- पूरे देश में ऐसी प्रौद्योगिकियों में सुधार और उनके विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र के साथ **लोगों के बीच जागरूकता पैदा** की जानी चाहिए।

2.1.4.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के कई हवाई अड्डों ने डिजीयात्रा (DY) ऐप का उपयोग शुरू किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- डिजी-यात्रा ऐप, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक **बायोमेट्रिक सक्षम बाधारहित यात्रा अनुभव (BEST)**[14] है।

[14] Biometric Enabled Seamless Travel experience

- यह ऐप आईडी प्रूफ, वैक्सीन प्रूफ और बोर्डिंग पास जैसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (चेहरा पहचान प्रणाली) का प्रयोग करता है। इस प्रकार, इसके तहत यात्रियों का चेहरा उनके आईडी प्रूफ और यात्रा दस्तावेज के सत्यापन के रूप में कार्य करता है। यह ई-गेट के माध्यम से हवाई अड्डे पर प्रवेश, सुरक्षा जांच, विमान बोर्डिंग आदि के साथ-साथ सभी चेकपॉइंट्स पर यात्रियों के स्वचालित सत्यापन में सहयोग करता है।

FRT के बारे में

- फेशियल रिकॉग्निशन **बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन** पर आधारित एक तकनीक है। यह किसी व्यक्ति के चेहरे की आकृति के आधार पर फेस पैटर्न की तुलनात्मक जांच और विश्लेषण करके किसी व्यक्ति को विशिष्ट रूप से चिन्हित या सत्यापित करती है।
- **अधिकतर FRT प्रणालियों के तहत निम्नलिखित तीन प्रमुख घटकों का उपयोग किया जाता है:**
  - कैमरा;
  - संग्रहित इमेज का एक डेटाबेस; तथा
  - एक कंप्यूटर एल्गोरिदम।
    - एल्गोरिदम, कैमरे द्वारा ली गई इमेज की डेटाबेस में संग्रहित इमेज के साथ तुलना करके **'फेसप्रिंट'** का निर्माण करता है।

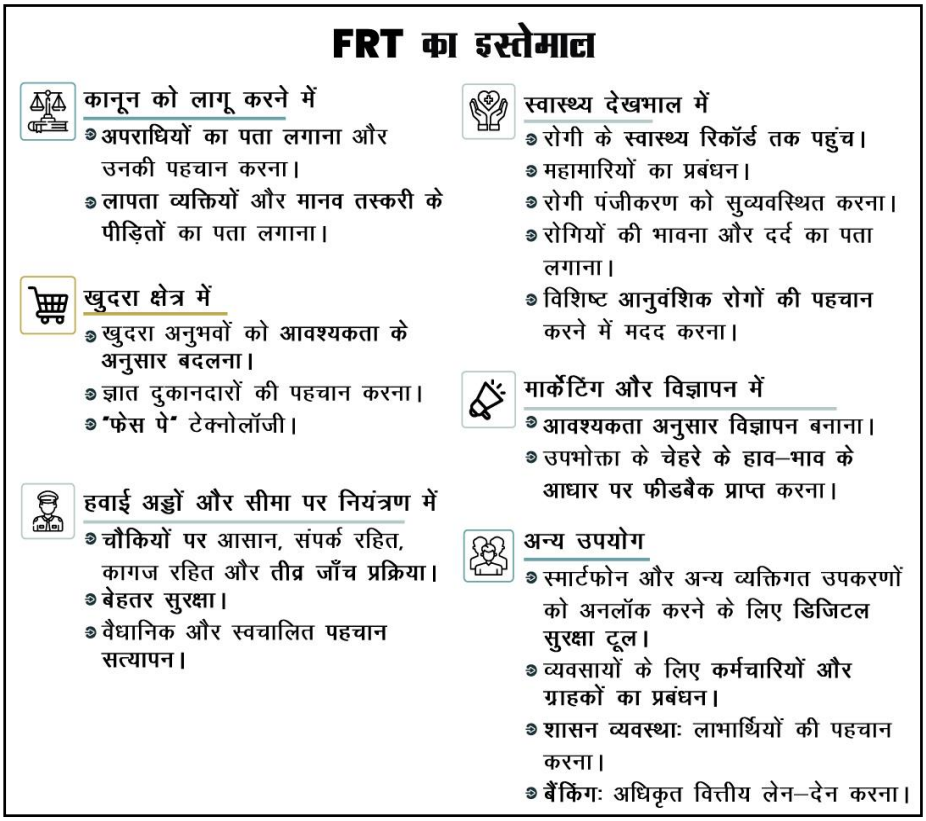

FRT के उपयोग से जुड़ी चिंताएं

- **निगरानी:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा एनालिटिक्स तथा क्लोज-सर्किट टेलीविज़न (CCTV) कैमरों के मौजूदा सेटअप के साथ फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग बड़े पैमाने पर जन-निगरानी से जुड़े मुद्दों को उत्पन्न कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए- चीन में फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग नस्लीय प्रोफाइलिंग तथा उइगर मुस्लिमों की ट्रैकिंग और नियंत्रण के लिए किया जा रहा है।
- **त्रुटिपूर्ण और गलत पहचान:** FRT के परिणाम केवल संभावनाओं पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ समूहों के संदर्भ में इसके परिणाम असमान रूप से त्रुटिपूर्ण रहे हैं।
- **अन्य कार्यों की ओर विस्तार:** इसमें कोई तकनीक या प्रणाली अपने मूल उद्देश्यों को त्यागकर व्यापक कार्यों को करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर लेती है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है:**
  - उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है। यह उल्लंघन डेटा को कैसे और किसके द्वारा एकत्रित, भंडारित, साझा, तथा उपयोग किया जाएगा, इस संबंध में स्पष्टता व सहमति की कमी के कारण हो सकता है।
  - सार्वजनिक स्थानों में निजता के अतिक्रमण से **अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण के अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है।
- **भारत में डेटा सुरक्षा विनियमों का अभाव:** ऐसे विनियमों की कमी सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के भीतर डेटासेट के एकत्रण, भंडारण, उन्हें सुरक्षित बनाए रखने तथा उनके साझाकरण के संबंध में चिंताएं पैदा करती हैं।
- **साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे:** फेशियल डेटा को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की श्रेणी में रखा गया है। हैकर्स द्वारा ऐसे डेटा पर अनधिकृत रूप से से धोखाधड़ी, पहचान की चोरी आदि को बढ़ावा मिल सकता है।

- **तकनीकी सीमाएं:** ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं, जो लोगों के चेहरों की सत्यापन संबंधी तकनीकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कैमरे का एंगल, प्रकाश का स्तर, इमेज या वीडियो की गुणवत्ता, कपटवेश (disguises), समय के साथ शारीरिक उपस्थिति में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- फेशियल रिकॉग्निशन में संगठनों की मदद करने के लिए **गोपनीयता प्रभाव मूल्यांकन को अपनाया** जाना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के एकत्रण, उपयोग, साझाकरण और उसे बनाए रखने के संबंध में संगठनों की सहायता कर सकते हैं। साथ ही, इस तरह की व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले निजता/गोपनीयता संबंधी जोखिमों की पहचान करने में भी इस मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि सरकारी एजेंसियों द्वारा FRT का उपयोग अनिवार्यता और आनुपातिकता के समानुपाती हो।
- डेटा को हटाने और मिटाने के विकल्प के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए **सहमति-आधारित मानकों एवं कानूनों को लागू** किया जाना चाहिए।

भारत में फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली के उपयोग से संबंधित मामले

- **पेंशनभोगियों के 'जीवन प्रमाण-पत्र' के सत्यापन** तथा सेवानिवृत्त और बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है।
- तेलंगाना पुलिस ने **ऑपरेशन स्माइल के हिस्से के रूप में** इसका प्रयोग किया है। इस ऑपरेशन को बाल श्रम और लापता बच्चों से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए समय-समय पर अभियान चलाने हेतु आरम्भ किया गया था।
- **जांच के उद्देश्य से राज्य की कानून एजेंसियों** (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि) द्वारा इसे अपनाया गया है।
- CBSE द्वारा छात्रों को **डिजिटल मार्कशीट जारी करने के लिए** FRT का उपयोग किया जाता है।
- **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India: UIDAI) ने वित्तीय सेवाओं के लिए FRT की कार्यक्षमता के परीक्षण हेतु एक पायलट कार्यक्रम की घोषणा** की है। यह कार्यक्रम **राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर** आरंभ किया जाएगा।
- पुलिस रिकॉर्ड का उपयोग करके राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) **स्वचालित फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (AFRS)** का निर्माण करेगा।

- **तकनीकी कदम उठाए जाने चाहिए:**
  - डेटासेट का विस्तार करके फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम में **नस्लीय और लिंग संबंधी पूर्वाग्रहों को दूर** किया जाना चाहिए।
  - लोगों की निजता तथा डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विकेन्द्रीकृत पहचान प्रबंधन को अपनाया जाना चाहिए।
  - निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा **फेशियल डेटा का सुरक्षित संग्रहण/ भण्डारण सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
  - तकनीकी व्यवहार्यता और सटीकता निर्धारित करने के लिए **FRT प्रणाली के दायरे, संरचना तथा प्रक्रिया के मूल्यांकन हेतु प्रयास** किए जाने चाहिए।

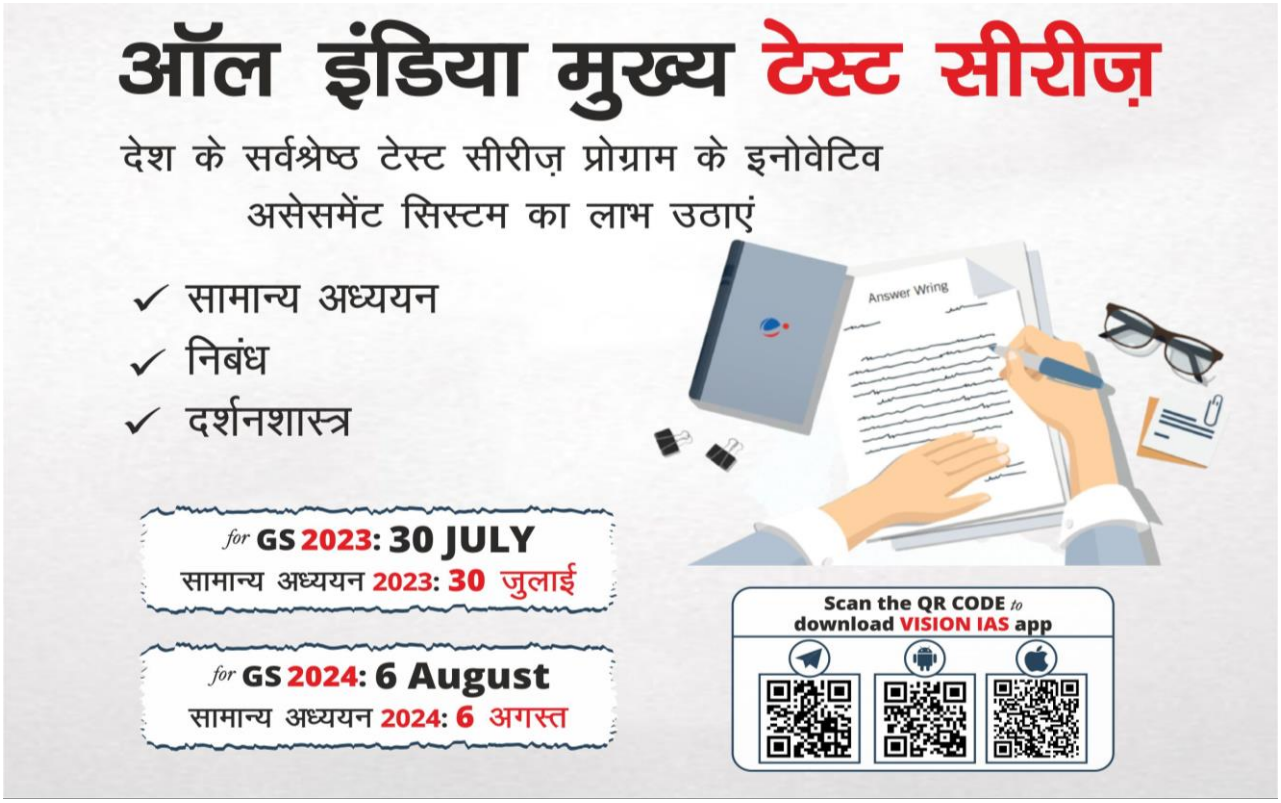

2.2. मनी लॉन्ड्रिग और तस्करी (Money Laundering and Smuggling)

मनी लॉन्ड्रिग या धन–शोधनः एक नज़र में

मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में

- मनी लॉन्ड्रिग वस्तुतः **अवैध रूप से प्राप्त आय (यानी काले धन) को वैध (यानी सफेद) बनाने की प्रक्रिया है।**
- **मनी लॉन्ड्रिग के तीन चरणः प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन**
  - **प्लेसमेंटः** अवैध गतिविधियों से पैसा जुटाना और फिर उस पैसे को वैध बनाने के लिए वित्तीय प्रणाली में डालना।
  - **लेयरिंगः** भ्रम पैदा करने के लिए कई जटिल लेन–देन तथा गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इससे धन के अवैध स्रोत का पता लगा पाना चुनौतीपूर्ण बन बन जाता है।
  - **इंटीग्रेशनः** लॉन्ड्रिग किए गए धन को वापस वैध अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जाता है, जो साफ–सुथरे और वैध धन के रूप में दिखाई देता है।

मनी लॉन्ड्रिग के परिणाम

- इससे कर राजस्व की हानि होती है।
- इसके चलते अवैध व्यवसायों को वैध व्यवसायों के साथ अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल जाता है। इससे बाजार में विकृति पैदा हो सकती है।
- इससे भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलता है।
- इससे अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्रक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी नुकसान पहुंच सकता है।
- यह देश के वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करता है।

मनी लॉन्ड्रिग को रोकने में आने वाली चुनौतियां

- **कमजोर प्रवर्तन तंत्रः** धन शोधन निवारण अधिनियम **(PMLA)** के तहत केवल 19 प्रतिशत मामलों में ही आपराधिक शिकायतें (एक आरोप–पत्र के बराबर) दायर की गई हैं।
- **IT** अधिनियम, 1961 या किसी अन्य अधिनियम के तहत **'ब्लैक मनी' जैसे शब्दों की उचित परिभाषा का अभाव है।**
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा दिखाई गई उदासीनता/उपेक्षा** के कारण **KYC** मानदंड कम प्रभावी हो जाते हैं।
- जांच एजेंसियों के बीच उचित तालमेल का अभाव है।
- **प्रवर्तन क्षमताओं की तुलना में प्रौद्योगिकी विकास की गति अधिक तीव्र** है,उदाहरण के लिए– डिजिटल करेंसी, नई–नई भुगतान प्रणालियां आदि।

मनी लॉन्ड्रिग को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें

भारत में शुरू की गई पहलें

- **वैधानिक ढांचाः** इसमें शामिल हैं– **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** और इससे जुड़े नियम **(PML नियम)। कंपनियों के गठन में सहायक एजेंटों (Formation agents of companies) और अन्य लोगों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसके दायरे में लाने के लिए** नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
- **संस्थागत ढांचाः** इसमें प्रमुख संस्थानों में **प्रवर्तन निदेशालय (ED) और वित्तीय आसूचना इकाई– भारत (FIU-IND)** शामिल हैं।
- सशक्त विनियामक: अग्रलिखित विनियामकों को शक्ति प्रदान की गई है: भारतीय रिज़र्व बैंक **(RBI)**, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI)**
- **अन्य संस्थानः आर्थिक अपराध शाखा; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI);** आयकर विभाग आदि।

वैश्विक पहलें

- **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन (वियना कन्वेंशन):** इसके तहत धन शोधन को एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाना अनिवार्य है।
- **धन शोधन व अपराध से होने वाली आय और आतंकवादी वित्त–पोषण के विरुद्ध वैश्विक कार्यक्रम (GPML)।**
- **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशें।**

आगे की राह

- **एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोगः** उदाहरण के लिए– AI और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियां प्रवर्तन तंत्र की दक्षता को बढ़ा सकती हैं।
- **नियमित अंतर–संपर्क बनाए रखनाः** उदाहरण के लिए– बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक–दूसरे को अपडेटेड रख सकते हैं।
- **उचित जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करनाः** वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट माध्यम स्थापित करने चाहिए। उचित रूप से परिभाषित, प्रलेखित और सुसंगत जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करना समय की मांग है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ाना।**

2.2.1 धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन {Amendment to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने **धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम[15], 2005** में संशोधनों को अधिसूचित किया है।

संशोधन के जरिए 2023 के नियमों में शामिल मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा को कठोर बनाया गया है:** "रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं" के क्लाइंट्स में 10% का स्वामित्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति या समूह अब एक लाभार्थी स्वामी माना जाएगा। हालांकि, पहले 25% की स्वामित्व सीमा लागू थी।
  - धन-शोधन रोधी कानून के तहत, **बैंक एवं वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट और आभूषण क्षेत्रकों में कार्यरत इकाइयां "रिपोर्ट करने वाली संस्थाएं"** हैं।
  - इन संस्थाओं में **कैसीनो और क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) में संलग्न मध्यस्थ** भी शामिल हैं।
- **ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता का विस्तार:** संशोधन के तहत KYC (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों की वर्तमान आवश्यकता के इतर लाभ प्राप्त करने वाले स्वामियों की प्रकटीकरण आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। यह कार्य अलग-अलग दस्तावेजों, जैसे- **पंजीकरण प्रमाण-पत्र और पैन** की सहायता से किया जाएगा।
  - रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को उन **क्लाइंट्स के विवरण को नीति आयोग के दर्पण (DARPAN) पोर्टल पर** पंजीकृत कराना आवश्यक होगा, जो गैर-लाभकारी संगठन (NGO) हैं।
- **राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति (PEPs)[16] के लिए: PEPs** को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें किसी अन्य देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं। इनमें राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता आदि शामिल हैं।
- **गैर-लाभकारी संगठन की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसमें अब शामिल हैं:**
  - **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) में निर्दिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित कोई भी संस्था या संगठन।**
  - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इसी तरह के किसी भी राज्य कानून के तहत **पंजीकृत ट्रस्ट या सोसायटी।**
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8 के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी।**

2.2.2. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने FCRA, 2010 के कथित उल्लंघन के आधार पर **केयर इंडिया के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित** कर दिया है।

FCRA के बारे में

- FCRA को **1976 में आपातकाल के दौरान लागू** किया गया था। FCRA, 2010 **विदेशी धन के उपयोग को कानून के दायरे में** लाता है। साथ ही, यह **राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों में विदेशी धन के उपयोग पर रोक** लगाता है।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020** के तहत NGOs द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं उसकी जांच के लिए **FCRA, 2010** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में **पंजीकृत 29 लाख गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) में से 10 प्रतिशत से भी कम अपनी वार्षिक आय और व्यय का विवरण** दर्ज कराते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन सक्रिय रूप से विकास परियोजनाओं को बाधित करते हैं, जिसके कारण प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत GDP संवृद्धि प्रभावित हो रही है।

[15] Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules

[16] Politically Exposed Persons

- **इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित उद्देश्य हेतु FCRA में संशोधन किए गए हैं:**
  - **गैर-सरकारी संगठनों को विनियमित करने** और उन्हें अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाना।
  - विदेशी निधियों द्वारा समर्थित **धर्मांतरण को नियंत्रित** करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि **विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध या देश विरोधी गतिविधियों हेतु** ना किया जाए।

FCRA 2020 के प्रमुख प्रावधान	FCRA 2020 में संशोधन के संदर्भ में चिंता
• यह चुनाव के लिए उम्मीदवारों; पत्रकार और मीडिया प्रसारण कंपनियों; लोक सेवकों, विधायिका के सदस्यों आदि द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाता है। • **विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।** • विदेशों से धनराशि प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में नामित FCRA खाता होना चाहिए। • इसमें विदेशी अंशदान के अलावा कोई अन्य धनराशि प्राप्त या जमा नहीं की जा सकती है और इसे किसी अन्य व्यक्ति या NGO को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। • FCRA पंजीकरण की वैधता पांच वर्ष होगी और पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के छह महीने के भीतर इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। • इस धनराशि का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है। साथ ही इस व्यय का अधिकतम 20% (पहले 50%) भाग ही प्रशासनिक व्यय के रूप में खर्च किया जा सकता है। • इसके तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाया गया है। • **लाइसेंस के नवीनीकरण से पहले जांच-पड़ताल:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति ने अधिनियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है। • सरकार किसी व्यक्ति के पंजीकरण को 360 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है (मौजूदा अधिनियम के तहत यह 180 दिन है)।	• **वित्तीयन तक पहुंच का अभाव:** कई NGOs विदेशी निधियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस योजना के तहत वे **अनुदानकर्ता एजेंसियों और बड़े NGOs** से ये निधियां प्राप्त करते हैं, जिसे **पुनरानुदान (Regranting)** के रूप में जाना जाता है, को प्रतिबंधित कर दिया गया है। • **अन्वेषण पर प्रतिबंध:** प्रशासनिक खर्चों को कम करने से गैर-सरकारी संगठन पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करने, विशेषज्ञों को नियुक्त करने और उन रणनीतियों को क्रियान्वित करने में असमर्थ होंगे, जिनकी NGOs के विकास हेतु आवश्यकता होती है। • **आधार की बाध्यता के कारण निजता संबंधी चिंता:** आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, व्यक्तिगत आधार डेटा की अधिक से अधिक गोपनीयता सुनिश्चित करने और सरकारों की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था, जबकि **संशोधन के तहत आधार की अनिवार्यता इस निर्णय का उल्लंघन** करती है। • **सामाजिक कल्याण योजनाओं के वितरण में बाधा:** शिक्षा, स्वास्थ्य व लोगों की आजीविका के क्षेत्रों में इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि NGOs इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए अंतिम व्यक्ति तक संयोजकता प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- **विजय कुमार समिति की अनुशंसाएं:**
  - गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में **आयकर अधिनियम** और **FCRA** के लागू होने वाले प्रावधानों को अमल में लाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जाए।
  - NGO का विवरण ऐसा हो जिससे सर्च करने पर आसानी से उसके बारे में पता चल जाए।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की अनुशंसाएं:**
  - FCRA को विकेंद्रीकृत कर राज्य सरकारों/ जिला प्रशासन को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए।
  - कानून की **व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या और इसके संभावित दुरुपयोग** से बचने के लिए विधायिका के उद्देश्य व स्वयंसेवी क्षेत्रक की कार्यप्रणाली के मध्य उत्तम संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

2.2.3. तस्करी और जालसाजी (Smuggling and Counterfeiting)

तस्करी और जालसाजी: एक नज़र में

तस्करी और जालसाजी के बारे में

- तस्करी (Smuggling): विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) ने तस्करी को **सीमा शुल्क अपराध** के रूप में परिभाषित किया है। इसमें **सीमा शुल्क अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी गैर-कानूनी या निषेधात्मक तरीके से वस्तुओं का व्यापार** शामिल है। यह आमतौर पर शुल्क निगरानी से बचकर संचालित किया जाता है।
  - भारत में, ऐसी तस्करियों से **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962** के तहत निपटा जाता है।
  - **भारत में आमतौर पर तस्करी की जाने वाली वस्तुएं:** सोना, विदेशी मुद्रा, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि।
- जालसाजी (Counterfeiting): भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 28 के तहत जालसाजी (या कूटकरण) को अग्रलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: **"यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की नकल कर उसी के समान कोई दूसरी वस्तु बनाता है, जो असल जैसी प्रतीत होती है तथा ऐसे कृत्य को वह जानबूझकर करता है या ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य किसी को धोखा देना या छल-कपट करना है, तो उसे जालसाजी कहा जाता है"।**
  - जालसाजी की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं: मुद्रा, ड्रग्स, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेर, किताबें आदि।

तस्करी और जालसाजी को बढ़ावा देने वाले कारक

- यह **व्यापक घरेलू मांग** के कारण संचालित किया जाता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति** की कमी तथा **अपर्याप्त अवसंरचना या वित्तीय संसाधन और कठोर अनुपालन** के अभाव के कारण इन्हें रोकने में बाधा आती है।
- **विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन और विदेश व्यापार समझौतों का दुरुपयोग।**
- **इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग।**

तस्करी और जालसाजी के प्रभाव

- **भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान:** जालसाजी बाज़ार ने 2019-2020 में **भारतीय अर्थव्यवस्था को 7 बिलियन डॉलर** का नुकसान पहुंचाया था।
- **रोजगार का नुकसान:** जालसाजी बाजार के कारण 3 मिलियन रोजगार का नुकसान हुआ है।
- **अतिरिक्त व्यय:** सरकार को जालसाजी-रोधी उपायों को लागू करने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।
- **कर राजस्व की हानि:** सरकार के राजस्व को होने वाली क्षति का **कल्याणकारी व्यय** (जैसे- स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि पर खर्च) पर **सीधा प्रभाव** पड़ता है।
- **पर्यावरण को नुकसान:** जालसाज शायद ही कभी **सुरक्षा मानकों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन** करते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: प्रायः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निम्नस्तरीय सामग्रियों, एक्सपायर्ड या खतरनाक वस्तुओं का उपयोग** कर लेते हैं।
- **दुष्चक्र:** अवैध व्यापार **अत्यधिक लाभ प्रदान** करता है। इस लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा इन अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले क्राइम सिंडिकेट को प्राप्त होता है।

तस्करी और जालसाजी को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय

- **राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI):** यह देश में कार्यरत शीर्ष तस्करी रोधी आसूचना और जांच एजेंसी है।
- **सीमा पर सीमा शुल्क क्लियरेंस से संबंधित प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन किया गया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली (Risk Management System RMS) की शुरुआत की गयी है।**
- **नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों** को भारतीय मुद्रा की तस्करी/ जालसाजी के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु उनके लिए **प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।**
- टेरर फंडिंग और जाली मुद्रा मामलों की केंद्रित जांच हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अंतर्गत **'टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी' (TFFC)** सेल का गठन किया गया है।
- **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन:** इसमें नकली भारतीय उत्पाद के उत्पादन/ तस्करी/ प्रचलन से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने को एक आतंकवादी कृत्य घोषित किया गया है।

आगे की राह

- **आंतरिक मांग को रोकना:** मादक पदार्थों के लिए **सीमा शुल्क/ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो/ पुलिस आदि के फ्लाइंग स्क्वाड्स** का गठन किया जाना चाहिए।
- **जालसाजी से निर्मित वस्तुओं पर व्यापक कानून और नीति:** एक समान कानूनी संरचना और समर्पित निवारण ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, एक समयबद्ध निपटान व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए।
- सीमा शुल्क अधिकारियों तथा सीमा पर तैनात अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ **समन्वय का एक द्विस्तरीय दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिए।
- सक्षम उत्पादकों द्वारा **"अपने आपूर्तिकर्ता/ ग्राहक को जानें"** कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

2.2.3.1. स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 (Smuggling in India Report 2021-22)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस रिपोर्ट को राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI)[17] के 65वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जारी किया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- रिपोर्ट में **महामारी के दौरान तस्करी के उभरते रुझानों पर भी प्रकाश** डाला गया है।
- अन्य निषिद्ध वस्तुओं के अतिरिक्त **हेरोइन** (मुंद्रा पोर्ट पर जब्ती सहित), **सोना और कोकीन रिकॉर्ड मात्रा में जब्त** किए गए हैं।
  - महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में पैदा हुए अवरोध के कारण **म्यांमार, सोने की तस्करी के लिए मुख्य पारगमन गलियारा बन गया है।** पहले सोने की सबसे ज्यादा तस्करी मध्य-पूर्व से होती थी।
  - पहले **नशीले पदार्थों की तस्करी** पैसेंजर रूट से होती थी, लेकिन अफगानिस्तान में राजनीतिक परिवर्तन और महामारी की वजह से अब यह **कार्गो रूट से** होने लगी है।
  - **बांग्लादेश** के साथ लगती सीमा पर **नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) की जब्ती में वृद्धि हुई है।** भारत में FICN को पहुंचाने के लिए **म्यांमार का उपयोग एक स्टेजिंग पॉइंट** (अर्थात यहां एकत्रण करके आगे आपूर्ति) के रूप में किया जा रहा है।
  - तस्करी करने वाले सिंडिकेट्स तस्करी के **सामान को छुपाने एवं इसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग** करते हैं। इसके कारण तस्करी को रोकने में आने वाली **चुनौतियों में वृद्धि** हुई है।
  - पारंपरिक हवाला निपटान प्रणाली में बाधा उत्पन्न होने के कारण **क्रिप्टोकरेंसी व डार्क नेट का दुरुपयोग तथा विदेशी मुद्रा की भौतिक तस्करी,** अन्य चुनौतियों के रूप में उभरे हैं।

2.2.3.2. जाली मुद्रा नोट (Counterfeit Currency Notes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में जाली मुद्रा की संख्या और उसके चलन में गिरावट आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **वर्ष 2016-17** में बैंकिंग प्रणाली में **कुल 43.47 करोड़ रुपये** के जाली नोट चलन में थे, जो घटकर **वर्ष 2021-22 में लगभग 8.26 करोड़ रुपये** हो गया। यह **80% से अधिक की कमी** दर्शाता है।
- इस अवधि के दौरान, **विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अधिक मात्रा में जाली मुद्रा नोट जब्त किए हैं।**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग **28 करोड़ रुपये का जाली नोट जब्त** किया था। यह वर्ष 2020 में बढ़कर **92 करोड़ रुपये** हो गया था।
  - बांग्लादेश के साथ संलग्न सीमा पर **नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN)** जब्ती में वृद्धि हुई है। भारत में FICN को पहुंचाने के लिए **म्यांमार का उपयोग एक स्टेजिंग पॉइंट (अर्थात यहां एकत्रित करके आगे आपूर्ति) के रूप में** किया जा रहा है।

जाली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए उठाए गए कदम

जाली नोटों की छपाई और प्रचलन से संबंधित कानूनी प्रावधान	• **भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से लेकर 489E के अंतर्गत** 'जालसाजी' को एक अपराध घोषित किया गया है। • इन्हें **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967**[18] के दायरे में लाया गया है।
RBI द्वारा अपनाए गए जालसाजी विरोधी उपाय	• **भारतीय बैंक नोटों में नोटों से संबंधित उच्च सुरक्षा उपायों को अपनाया** गया है। उदाहरण के लिए वॉटरमार्क/सिक्योरिटी थ्रेड/लेटेंट इमेज/माइक्रो-लेटरिंग/इंटेग्लियो/आइडेंटिफिकेशन मार्क/फ्लोरोसेंस/ऑप्टिकल वेरिएबल इंक इत्यादि। • **बैंक नोट की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को लगातार अपडेट** किया जाता है। • नागरिकों को शिक्षित करने हेतु **जन जागरूकता अभियान** चलाए जाते हैं। • **नोट छँटाई मशीनों की भी स्थापना** की गई है।

[17] Directorate of Revenue Intelligence

[18] Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967

	• जालसाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी बैंकों में **जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठों** का भी गठन किया गया है। • **नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन** किया जाता है।
जाली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN)[19] के प्रचलन की निगरानी एवं जब्ती हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय	• सरकार ने राज्यों और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया सूचना व जानकारी साझा करने के लिए **FICN समन्वय समूह** का गठन किया है। • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)[20] के अधीन एक **टेरर फंडिंग और फेक करेंसी प्रकोष्ठ** का गठन किया गया है। यह आतंकवादियों के वित्तपोषण और जाली मुद्रा से जुड़े मामलों की सघन जांच करेगा। • केंद्र/राज्य स्तर पर विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का आयोजन किया जाता है। • FICN के प्रचलन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के रूप में **1000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण** किया गया था। • **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:** ○ **नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों** को भारतीय मुद्रा की तस्करी/जालसाजी के बारे में संवेदनशील बनाने **के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।** ○ FICN के तस्करों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विश्वास व सहयोग के निर्माण हेतु **भारत एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्य बल का गठन** किया गया है।

आगे की राह

इस मुद्दे से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने अत्यंत आवश्यक हैं:

- नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए **डिजिटल मुद्रा की शुरुआत** की जानी चाहिए।
- नकद लेन-देन की जगह डिजिटल लेन-देन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **नए कानूनों का निर्माण** करना चाहिए तथा उनके प्रवर्तन हेतु रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए।
- **मिश्रित विशेषताओं को अपनाना:** उदाहरण के लिए- सिक्योरिटी थ्रेड को फोटो ल्यूमिनसेंट इंक के साथ प्रिंट किया जाना चाहिए।
- **सूचना का आदान-प्रदान:** नई विशेषताओं की प्रभावशीलता, विशेषताओं के स्थायित्व, लोक स्वीकृति, जालसाजी विधियों तथा विकासाधीन विशेषताओं के संबंध में विश्व के अन्य देशों के साथ सूचनाओं का विनिमय जारी रखना चाहिए।
- **नागरिकों की भूमिका:** लोगों को FICN के बारे में जागरूक बनाने हेतु प्रयास करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुद्रा के जाली होने के संदेह के संबंध में बैंकों/ पुलिस को सूचित करने हेतु नागरिकों को जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए।

[19] Fake Indian Currency Notes

[20] National Investigation Agency

2.2.4. मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking)

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी: एक नज़र में

मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में

- मादक पदार्थों की तस्करी **वैश्विक अवैध व्यापार** का एक रूप है। इसमें 'मादक पदार्थ निषेध कानूनों' के अधीन प्रतिबंध **पदार्थों की खेती, विनिर्माण, वितरण और बिक्री** संबंधी अवैध गतिविधि शामिल होती हैं।
- UNODC की वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार, उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे इसके मुख्य बाजारों के बाहर अफ्रीका और एशिया सहित अन्य क्षेत्रों में भी मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है।
  - नशाखोरों की संख्या 2011 के 240 मिलियन से बढ़कर 2021 में 296 मिलियन हो गई।
  - कम लागत और उत्पादन में आसानी के कारण सिंथेटिक मादक पदार्थों का अवैध विनिर्माण बढ़ रहा है।
  - डार्कनेट मार्केटप्लेस सहित इंटरनेट पर मादक पदार्थों का कारोबार किया जा रहा है।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े तथ्य

- **भारत** गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित हेरोइन और हशीश के लिए एक **पारगमन हब के साथ-साथ गंतव्य स्थल** भी बन गया है।
- **अफगानिस्तान** से आने वाली सिंथेटिक दवा **मेथामफेटामाइन के लिए भारत शीर्ष** गंतव्यों में से एक है।
- इससे सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में **पूर्वोत्तर भारत** (विशेष रूप से **मणिपुर**), **पश्चिमोत्तर भारत** (विशेष रूप से **पंजाब**) और प्रमुख बड़े शहर हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र म्यांमार के करीब है जो अफगानिस्तान के बाद दुनिया में अफीम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित समस्याएं

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा:**
  - इससे मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अन्य **संगठित अपराधों में मदद मिलती है।**
  - **नार्को-आतंकवाद** (नशीली दवाओं के तस्करों, आपराधिक नेटवर्क और आतंकवादियों के बीच सांठ-गांठ) **से देश को अस्थिर करता है।**
  - नारकोटिक्स और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से उत्पन्न **धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और वामपंथी उग्रवाद के वित्त-पोषण** के लिए किया जाता है।
- **सामाजिक अपराधों में वृद्धि: मादक पदार्थों के सेवन** को बढ़ावा मिलता है जिससे समाज में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या पैदा होती है।
- **भ्रष्टाचार: ड्रग कार्टेल** अवैध ड्रग व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राज्य की संस्थानों को अप्रभावी बना देते हैं, उनमें घुसपैठ करते हैं तथा उन्हें और अधिक भ्रष्ट बनाते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** अवैध मादक पदार्थों के बाज़ारों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे- कार्बन फुटप्रिंट, वनों की कटाई, अपशिष्ट उत्पादन आदि।
  - उदाहरण के लिए- अमेज़ॅन बेसिन में **नार्को के कारण वनों की कटाई की घटना** देखी जा रही है।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- **हिंद महासागर क्षेत्र** में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा **ऑपरेशन समुद्रगुप्त** शुरू किया गया था।
- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 जैसे **कानून लागू करना।**
- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली** (CIBMS): सीमाओं की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और अपराधियों के ऑनलाइन डेटाबेस** के लिए जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS) और गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN) पोर्टल।
- **नार्को-समन्वय केंद्र** (NCORD) पोर्टल ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साझा मंच प्रदान करेगा।
- नारकोटिक्स मादक पदार्थों आदि की अवैध तस्करी से निपटने के लिए **विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर** किए गए हैं।
- **UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961 जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों पर हस्ताक्षर** किए गए हैं।

आगे की राह

- प्रवर्तन एजेंसियों के बीच **प्रभावी समन्वय तथा सूचनाओं का साझाकरण होना चाहिए।**
- पोत परिवहन, रेलवे कंपनियों, डाक सेवाओं और एयर कार्गो के लिए **जवाबदेही तंत्रों तथा पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए।**
- क्रिप्टो मुद्रा बाजारों को विनियमित कर तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की निगरानी करके **इंटरनेट पर मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित किया जाना चाहिए।**
- NDPS तथा मादक पदार्थों से संबंधित अन्य कानूनों के तहत **दंड में वृद्धि की जानी चाहिए।**
- **नागरिकों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए** तथा नशा मुक्ति केंद्रों और शिविरों की स्थापना की जानी चाहिए।

2.3. आतंकवाद (Terrorism)

आतंकवादः एक नज़र में

आतंकवाद के बारे में

- आतंकवाद, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करने वाला और एक गैर–कानूनी तरीका है (स्वतंत्रता का विरोधी)।
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI)–2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर और भारत 13वें स्थान पर है।

आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक

- **उग्रपंथी विचारधाराएं** जैसे कि वामपंथी साम्यवाद; दक्षिणपंथी–पूंजीवाद; और धार्मिक विचारधाराएं।
- आत्मनिर्णय या स्वाधीनता से संबंधित नृजातीय या राष्ट्रवादी आकांक्षाएं या स्वतंत्रता या स्वायत्तता की मांग करने वाले **अलगाववादी आंदोलन।**
- वैश्वीकरण के चलते आवागमन और संचार प्रणालियों से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है।
- **विदेश नीति के रूप में आतंकवादः** शत्रु देशों द्वारा आतंकवाद को युद्ध के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
- **कमजोर शासन प्रणाली वाले देश और वहां के समाज में गरीबी।**
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय** से बदला लेने की भावना, जैसे– ISIS का उदय।

आतंकवाद से निपटने में मौजूद चुनौतियां

- **'आतंकवाद' की परिभाषा को लेकर अस्पष्टता** क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'आतंकवाद' शब्द को लेकर कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई है।
- **व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव।**
- **नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधः** वर्ष 2019 की मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे आतंकवाद–रोधी उपाय नागरिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- आतंकवाद के वित्त–पोषण को प्रभावी ढंग से न रोक पाना।

आतंकवाद से निपटने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें

- **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद–रोधी रणनीति** (Global Counter–Terrorism Strategy: GCTS), 2006
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** (UNSC) **की आतंकवाद–रोधी समिति** (CTC): **इसे UNSC के संकल्प 1373** (2001) **के कार्यान्वयन की निगरानी** का कार्य सौंपा गया है। इसके तहत आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किया जाना है।
- **ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम** (GCTF) एक अनौपचारिक, गैर–राजनीतिक और बहुपक्षीय मंच है। भारत भी इस मंच का सदस्य है।
- **यूनाइटेड नेशन काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम।**
- **मनी लॉन्ड्रिंग (धन–शोधन) और आतंकवाद के वित्त–पोषण को रोकने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)।**
- **SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना (Regional Anti–Terrorist Structure: RATS)।**
- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT),** जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सभी रूपों को आपराधिक कृत्य घोषित करना है।
- **फ्रांस की सरकार** द्वारा शुरू किया गया **"नो मनी फॉर टेरर"** सम्मेलन (भारत ने इसके तीसरे संस्करण में भाग लिया था)।

आतंकवाद से निपटने हेतु भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- **गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967**
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency: NIA) की स्थापना**
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या NATGRID**
- **केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत दो नए डिवीजनः**
  - आतंकवाद–रोधी और उग्रपंथ–रोधी डिवीजनः तथा
  - साइबर एवं सुरक्षा डिवीजन।
- **आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय/ क्षेत्रीय सहयोग।**
- भारत ने विदेशी आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरों को रोकने के लिए UNSC संकल्प 2396 को लागू किया। इसके तहत पोर्ट ऑफ एंट्री पर बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग का उपयोग किया जा रहा है।

आगे की राह

- **आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने हेतु देशों की क्षमता को बढ़ाना एवं मौजूद कमियों की पहचान करनी चाहिए।**
- राष्ट्रों की क्षमता को बढ़ाने में क्षेत्रीय और **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना** और सर्वोत्तम उपायों को साझा तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं दायित्वों का बेहतर पालन करना।
- **आतंकवाद–रोधी घटकों के तहत लैंगिक पहलू को शामिल करना चाहिए।**
- आतंकवाद–रोधी उपायों के दौरान **मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता** की रक्षा करनी चाहिए।
- आतंकवाद से जुड़े खतरों और सार्वभौमिक आतंकवाद–रोधी उपायों के बारे में जन–जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए।

2.3.1. लोन वुल्फ आतंकवाद (Lone-wolf Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई विशेषज्ञों ने भारत में **लोन वुल्फ आतंकवाद** के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है।

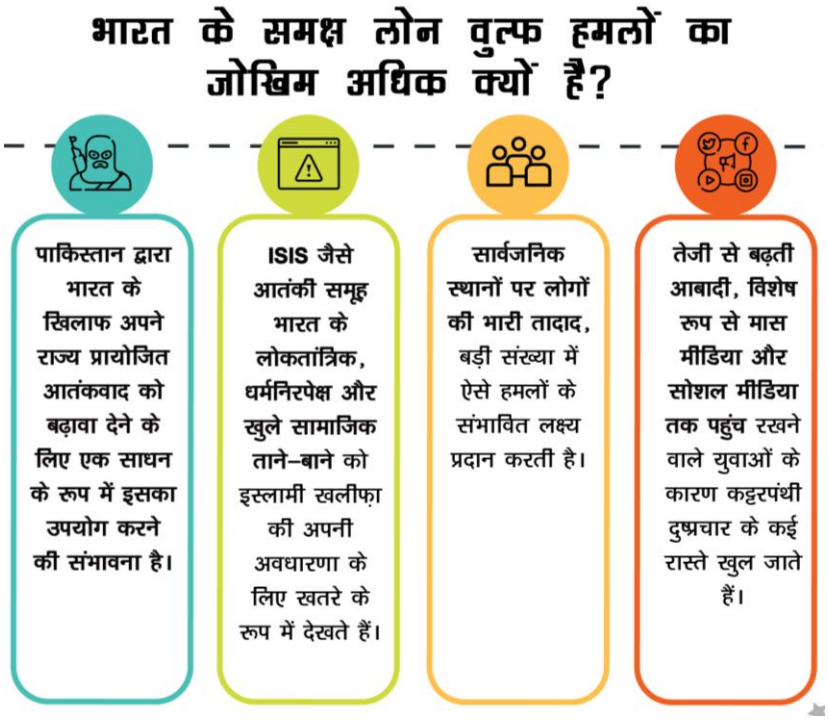

लोन वुल्फ आतंकवाद के बारे में

- **परिभाषा: कट्टरपंथी व्यक्तियों** द्वारा अपने **कट्टर विचारों** से प्रेरित होकर किए जाने वाले हिंसक आतंकवादी हमलों को 'लोन-वुल्फ़ आतंकवाद' कहा जाता है।
- **उद्देश्य:** इसे वे किसी विशेष आतंकवादी संगठन और विचारधारा से **प्रेरित या प्रभावित** होकर अंजाम देते हैं। साथ ही, ऐसे हिंसक हमले एक विशेष सामाजिक परिवेश के भीतर संचालित किए जाते हैं।
- **गतिविधियां:** ये **संगठित प्रकृति वाले या नेटवर्क आधारित आतंकी हमलों से अलग** होते हैं, उदाहरण के लिए- 9/11 का अमेरिकी आतंकी हमला या 26/11 का मुंबई आतंकी हमला संगठित आतंकी हमले थे।
  - लोगों को **धमकाने और भयभीत करने से लेकर अंधाधुंध गोलीबारी, वाहन को टकराने, धारदार हथियार से प्रहार करने और आत्मघाती बम विस्फोट** जैसी घटनाओं के रूप में लोन वुल्फ आतंकी हमला एक गंभीर चुनौती बन गया है।

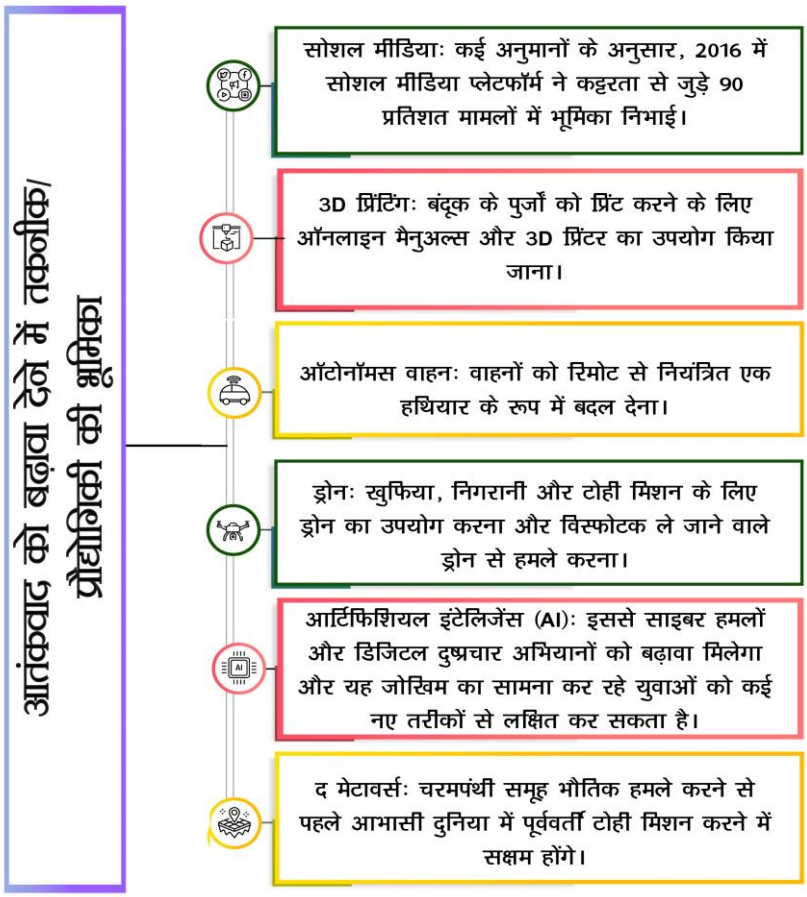

लोन वुल्फ आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां क्या हैं?

- **अप्रत्याशित प्रकृति:** लोन-वुल्फ आतंकी गतिविधियों और उनके द्वारा किए जाने वाले हमलों को **अप्रत्याशित तरीके से अंजाम** दिया जाता है। इसके कारण आतंकवाद-रोधी एजेंसियों, पुलिस और खुफिया संगठनों के लिए इस तरह की गतिविधियों व हमलों से निपटना **चुनौतीपूर्ण** हो जाता है।
- **इंटरनेट का उपयोग:** इंटरनेट लोन-वुल्फ को **अपनी पहचान गुप्त बनाए रखते हुए संवाद स्थापित करने में भी सक्षम** बनाता है।
- **लोन-वुल्फ हमलों का आसानी से संचालन:** लॉजिस्टिक की दृष्टि से इस तरह के हमलों का संचालन सरल होता जा रहा है।
  - लोन-वुल्फ **कॉपी-कैट (नकल करना) व्यवहार** को प्रोत्साहित करते हैं। ये अन्य अलग-थलग युवाओं के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। इससे बैंड वैगन हमलों को बढ़ावा मिलता है।

लोन वुल्फ आतंकवाद से निपटने हेतु किए जाने वाले उपाय

- भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को विविधतापूर्ण बनाया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण हेतु उपाय: तकनीकी खुफिया क्षमताओं (जैसे- सोशल मीडिया और साइबर स्पेस की निगरानी)** को मजबूत किया जाना चाहिए। **खुफिया और आतंकवाद-रोधी संरचनाओं द्वारा आकस्मिक योजनाएं** विकसित की जानी चाहिए।
- **कट्टरवाद से मुक्ति और कट्टरवाद से निपटने की रणनीति:** कानूनों में **नियमित संशोधन करने चाहिए तथा इन्हें युक्तिसंगत बनाना; सामुदायिक जुड़ाव के प्रयासों का विस्तार; पेशेवर परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों** को नियुक्त किया जाना चाहिए।

लोन-वुल्फ हमलों से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **हथियार प्राप्त कर पाना कठिन:** अमेरिका में उन्नत हथियारों को आम नागरिकों द्वारा आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत, भारत में इस तरह के हथियारों तक पहुंच प्राप्त कर पाना उतना ही **जटिल/ मुश्किल है, क्योंकि यह लाइसेंस प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करता है।**
- राज्य सरकारों की ओर से **परामर्श पहलें** संचालित की जा रही हैं, जैसे- **केरल का ऑपरेशन-पिजन।**

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना:** आतंकवाद के **वित्त-पोषण के साधनों से निपटने के लिए** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए।

2.3.2. जैव आतंकवाद (Bio-Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जैविक युद्ध को दुनिया के लिए एक आगामी खतरे के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद, भारत-यू.एस.ए. के संयुक्त अभ्यास **"तरकश"** में पहली बार जैविक आतंकी हमलों के खिलाफ प्रतिक्रिया को शामिल किया गया।

जैव आतंकवाद के बारे में

- **क्या है?:** जैव आतंकवाद के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाने हेतु बैक्टीरिया, वायरस या उनके विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीवों के रोगजनक उपभेदों का एक योजनाबद्ध एवं सुविचारित उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, किसी क्षेत्र की आबादी के विनाश हेतु किए गए कार्यों के लिए जैव आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- **क्रियान्वयन**: ये कारक **स्कड मिसाइल, स्प्रे करने वाले मोटर वाहन, हैंड पंप स्प्रेयर, पुस्तक या पत्र, बंदूकें, रिमोट कंट्रोल, रोबोट आदि द्वारा** प्रसारित किए जाते हैं।

जैव आतंकवाद कारकों को ए, बी और सी श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणी ए

उच्च–प्राथमिकता वाले कारक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सरलता से प्रसारित या संचारित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर अत्यधिक उच्च होती है, उदाहरण के लिए– बेसिलस एन्थ्रेसिस द्वारा एंथ्रेक्स।

श्रेणी बी

द्वितीय सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कारकों में ब्रुसेलोसिस (ब्रुसेला प्रजाति), ग्लैंडर्स (बर्कहोल्डरिया मलेली) आदि शामिल हैं।

श्रेणी सी

इसमें उभरते रोगजनक शामिल हैं। इन्हें भविष्य में वृहद पैमाने पर प्रसार के लिए विकसित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए– उभरते संक्रामक रोग जैसे निपाह वायरस और हंता वायरस आदि।

भारत में जैव आतंकवाद के विरुद्ध कानून की आवश्यकता क्यों?

- **भारत की उच्च सुभेद्यता:** उच्च जनसंख्या घनत्व, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, उपोष्णकटिबंधीय जलवायुवीय परिस्थितियां, निम्नस्तरीय सफाई व्यवस्था और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं भारत को ऐसे हमलों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाती हैं।
  - ऐसी बीमारियों/ हमलों की उत्पत्ति की निगरानी करना अक्सर मुश्किल होता है।
- **समाज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करना:** ये जैविक हथियार विशाल आबादी में व्यापक पैमाने पर मृत्यु दर और रुग्णता का कारण बन सकते हैं तथा न्यूनतम समय में अधिकतम नागरिक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- **पहुंच को नियंत्रित करना:** जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी में आए बदलाव ने पारंपरिक बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के अतिरिक्त **अधिक परिष्कृत जैविक कारकों** के लिए एक सरल पहुंच का निर्माण किया है।

जैव आतंकवाद का मुकाबला करने का तंत्र

- **कानून द्वारा रोकथाम:** इसके लिए **लोक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन) विधेयक, 2017**[21] की तर्ज पर लोक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लोक स्वास्थ्य विधेयक, 2017 में महामारी (Epidemic), अलगाव (Isolation), क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी (Social distancing) को परिभाषित किया गया था, लेकिन यह विधेयक व्यपगत हो गया है।

[21] Public Health (Prevention, Control and Management of epidemics, bio-terrorism and disasters) Bill-2017

- **रोकथाम:** एडवांस खुफिया जानकारी में वृद्धि, जांच, केस स्टडी, हमलों की रोकथाम, कानून प्रवर्तन कर्मियों की तैयारी और प्रशिक्षण तथा संबंधित कानूनी एवं राजनीतिक ढांचे के माध्यम से जैव आतंकवादी हमलों की रोकथाम की जानी चाहिए।
- जैविक हमले के शुरुआती लक्षणों का संकेत देने वाले नॉन-स्पेसिफिक सिंड्रोम के पैटर्न को पहचानना और उनका आकलन कर **निगरानी एवं मूल्यांकन** करना चाहिए।
- **लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन:** जैविक जीव के निदान एवं परीक्षण के लिए प्रयोगशाला तथा संस्थानव्यापी प्रतिक्रिया योजना, दोनों विकसित की जानी चाहिए।
- **चिकित्सा प्रबंधन:** इसमें **निवारक, प्रेरक और उपचारात्मक सेवाओं** को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे- रोग के प्रसार को रोकने के लिए आबादी के उस वर्ग की पहचान करना जिसे कीमोप्रोफिलैक्सिस दी जानी है।
- **सामान्य जनता को जागरुक करना:** इस संदर्भ में विधि प्रवर्तन एजेंसियों, अस्पतालों के चेतावनी नेटवर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों आदि द्वारा प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से जागरुकता का प्रसार किया जा सकता है।

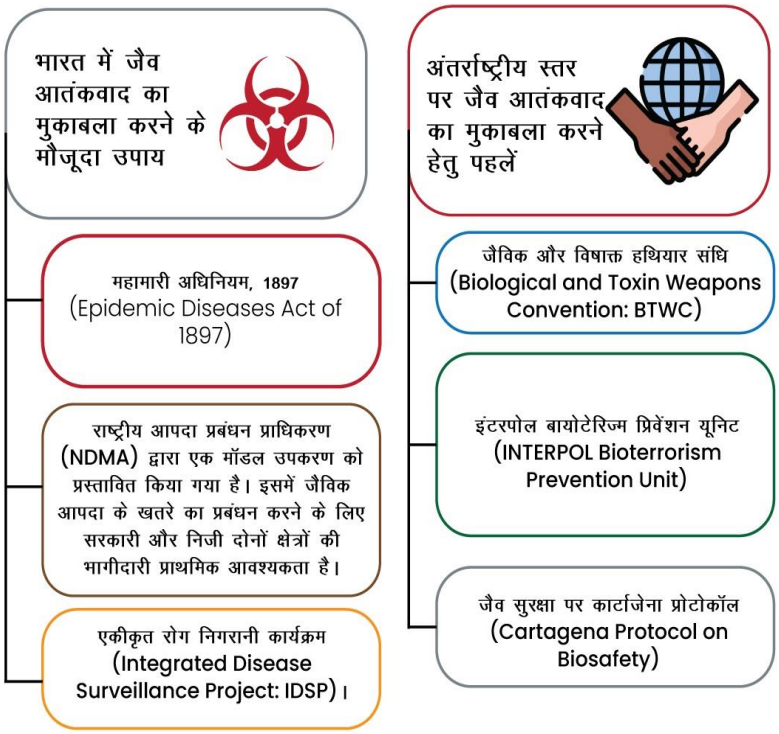

2.3.3. गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम {Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी **प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता** ग्रहण करता है तो इसे **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** के तहत अपराध माना जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- **2011 के फैसले के विपरीत निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि एक व्यक्ति जो **किसी प्रतिबंधित संगठन का "केवल सदस्य है या उसकी सदस्यता जारी रखता है"** तो वह **भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य कर रहा होता है,** इसलिए वह **UAPA के तहत आपराधिक कृत्य में शामिल माना जाएगा।**
  - इससे पहले, 2011 में तीन अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी प्रतिबंधित संगठन की केवल सदस्यता UAPA, 1967 या आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा/TADA) के तहत अपराध नहीं हो सकती है, **जब तक कि इसके साथ कोई स्पष्ट हिंसक घटना न जुड़ी हो।** ये तीन मामले थे- **केरल राज्य बनाम रानीफ; अरूप भुइया बनाम भारत संघ** और **श्री इंद्र दास बनाम असम राज्य वाद।**

Mains 365 – सुरक्षा

- **"संबद्धता के आधार पर दोषी[22] होने के सिद्धांत" को फिर से लागू किया जाना:** इस सिद्धांत को **"किसी साक्ष्य के कारण नहीं, बल्कि किसी अपराधी के साथ जुड़े होने के कारण दोषी"** के रूप में परिभाषित किया जाता है। संबद्धता के आधार पर दोषी को **'एसोसिएशन फॉलसी'** के रूप में भी जाना जाता है।
- **शीर्ष न्यायालय ने UAPA, 1967 की धारा 10(a)(i) की संवैधानिक वैधता और औचित्य को सही ठहराया है:** यह धारा **किसी प्रतिबंधित संगठन की निरंतर सदस्यता को दंडनीय अपराध बनाती है** और इसके लिए **दो साल तक की जेल की सजा और जुर्माने** का प्रावधान करती है।
  - न्यायालय ने कहा कि **धारा 10(a)(i) पूरी तरह से संविधान के 19(1)(a) और 19(2) के अनुरूप** है। इस प्रकार, यह UAPA के उद्देश्यों के भी अनुरूप है।
  - न्यायालय ने यह भी कहा कि अमेरिका के विपरीत, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, यह युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है।
- **किसी संघ को गैर-कानूनी घोषित करना: UAPA की धारा 3 के तहत,** यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई संघ गैर-कानूनी संगठन है या बन गया है, तो **वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संघ को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।** हालांकि, इसके लिए कारण बताना आवश्यक है।

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के बारे में

- इसे **व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए** पारित किया गया है। साथ ही, इसे **आतंकवादी गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों से निपटने** के लिए भी अधिनियमित किया गया है।
- **गैर-कानूनी गतिविधि को परिभाषित करता है:** किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके तहत भारत के एक हिस्से पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है या भारत की संप्रभुता पर प्रश्न उठाया जाता है या भारत की अखंडता को बाधित किया जाता है तो उसे गैर-कानूनी गतिविधि माना जाएगा।
  - **सरकार के पास शक्तियां:**
    - सरकार उन संगठनों पर **अखिल भारतीय प्रतिबंध** लगा सकती है, जिन्हें अधिनियम के तहत 'गैर-कानूनी' घोषित किया गया है।
    - इस अधिनियम के तहत **भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर** आरोप लगाया जा सकता है। साथ ही, **भारत के बाहर विदेशी भूमि पर किए गए अपराध के लिए भी** यह अधिनियम अपराधियों को समान प्रकार से जवाबदेह ठहराता है।

UAPA में किए गए संशोधन

- **2004 में संशोधन:** इसमें किसी आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाकर या आतंकवादी संगठन की सदस्यता आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने को अपराध घोषित किया गया था।
- **2008 में संशोधन:** आतंकवाद के वित्त-पोषण के अपराधों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए **'फंड्स' से संबंधित प्रावधान** का दायरा बढ़ाया गया था।
- **2012 में संशोधन: देश की आर्थिक सुरक्षा** को खतरे में डालने वाले अपराधों को शामिल करने के लिए **'आतंकवादी कृत्य'** की परिभाषा का विस्तार किया गया था।
- **2019 में संशोधन:**
  - सरकार को **व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार** प्राप्त हुआ। इससे पहले, केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।
  - यदि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए **NIA के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता** होगी। पहले, पुलिस महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता थी।
  - **मामलों की जांच करने के लिए NIA** में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। पहले, DSP और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया था।
  - **परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (2005)** को अधिनियम के तहत अनुसूची में जोड़ा गया है।

  - **जांच की शक्तियां:** मामलों की जांच **राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)**[23] दोनों द्वारा की जा सकती है।
  - **अपील तंत्र:** यह प्रतिबंध के खिलाफ अपील की समीक्षा करने या सुनवाई के लिए अधिकरण का प्रावधान करता है।

[22] Doctrine of "guilt by association"

[23] National Investigation Agency

UAPA से जुड़ी समस्याएं

- **आतंकवादी कृत्य की व्यापक परिभाषा:** किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
    - आतंकवादी की अस्पष्ट परिभाषा के कारण **गलत तरीके से 'आतंकवादी' के रूप में नामित किए गए लोगों पर अनुचित कलंक** लग जाता है। किसी को गलत नामित करने से वास्तविक आतंकवाद से निपटने के प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं।
- **संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन:** केंद्र सरकार/ गृह मंत्रालय के माध्यम से राज्य पुलिस से जांच को स्थानांतरित करने की NIA की "स्वत: संज्ञान की शक्ति" को संघवाद के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- **UAPA के तहत कम दोषसिद्धि दर:** 2015-2020 के दौरान **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर, UAPA से जुड़े मामलों में दर्ज केस में केवल 3.6% में सजा हुई।
- **हालिया फैसले से जुड़े मुद्दे:** यह इस तरह के प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य का पता लगाने की प्रक्रिया पर मौन है।

आगे की राह

- **दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा:** राज्य की अलग-अलग एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून के तहत अलग-अलग मामलों से निपटने के दौरान **कानून की उचित प्रक्रिया** लागू हो।
- **साक्ष्य संग्रह की देख-रेख के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता:** इससे जांच प्रक्रिया में सहायता मिल सकेगी, विशेषकर जब मामलों की जांच के दौरान सीमा-पार बिंदुओं को जोड़ने की आवश्यकता होती है।
- **पुलिस सुधार:** इसमें **समुदाय व धर्म** के संदर्भ में संवेदीकरण शामिल होना चाहिए। साथ ही, पुलिस की **व्यापक विवेकाधीन शक्तियों को कम करने की दिशा में कार्य** करना चाहिए।
- **निर्दोष व्यक्तियों के लिए मुआवज़ा:** उन व्यक्तियों को मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए, जिन्हें UAPA के तहत काफी समय तक हिरासत में रखा गया था और जो बाद **निर्दोष साबित हुए थे।**
- **राजनीतिक असहमति का संरक्षण:** राजनीतिक असहमति एक मौलिक अधिकार है। इसके संरक्षण से संबंधित कानून पारित किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक असहमति क्या है और क्या नहीं इसे ठीक से परिभाषित किया जा सके।

2.4. युद्ध के उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Warfare)

2.4.1. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare)

हाइब्रिड वारफेयरः एक नज़र में

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में

- हाइब्रिड वारफेयर में शक्ति के **पारंपरिक और गैर–पारंपरिक साधनों तथा विनाशकारी उपकरणों का इस्तेमाल** होता है। इसमें वैध सत्ता को **हानि पहुँचाने वाले माध्यमों का भी उपयोग** किया जा सकता है।
- कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए **इन साधनों/ माध्यमों को सुव्यवस्थित तरीके से एक साथ उपयोग किया जाता है।**
  - रूस–यूक्रेन युद्ध को देखते हुए यह एक **उभरती हुई वैश्विक चुनौती** है तथा इसने देशों के लिए अपनी क्षमताओं को और बेहतर रूप से विकसित करने की आवश्यकता को जन्म दिया है।

हाइब्रिड वारफेयर के प्रमुख स्वरूप

- **राजनीतिक वारफेयरः** इसके अंतर्गत किसी देश की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करके उस देश को हानि पहुंचाई जाती है।
- **तकनीकी वारफेयरः** इसके तहत नागरिकों, उद्यमों, संस्थानों जैसी इकाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया जाता है।
- **सैन्य वारफेयरः** इसके तहत इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव, लक्षित कमांडो अभियान, गुरिल्ला युद्ध पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है।
- **आर्थिक वारफेयरः** इसमें नकली/ जाली मुद्राओं को बढ़ावा देकर लक्षित देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है।
- **सामाजिक वारफेयरः** इसमें दुष्प्रचार, भड़काऊ संदेशों आदि के द्वारा पहले से प्रचलित सामाजिक मुद्दों और कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है।

हाइब्रिड वारफेयर में वृद्धि के कारण

- **खतरों के आकलन की पारंपरिक पद्धति में सामान्यतः हाइब्रिड वारफेयर के स्वरूपों की अनदेखी** की जाती है।
- **अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्रों को लक्षित** किया जाता है, जहां न्यूनतम प्रयास से अधिकतम नुकसान किया जा सकता है।
- इसमें राज्य अभिकर्ता, गैर–राज्य अभिकर्ता या दोनों, एक ही समय पर सुव्यवस्थित तरीके से अलग–अलग भूमिकाएं निभाते हैं।
- **अपने विरूद्ध जवाबी कार्रवाई और अपनी पहचान के प्रकट होने की संभावना** से बचते हुए लक्ष्य एवं हमले की व्यापकता को सुव्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
- हाइब्रिड वारफेयर का **तब तक पता न लग पाना जब तक कि वह पूर्ण रूप से प्रभावी न हो जाए।**

भारत के लिए संभावित चुनौतियां

- हाइब्रिड वारफेयर का विचार **'लोन–वुल्फ' हमलों, 'स्लीपर सेल' और हाइब्रिड लड़ाकों के उद्भव** जैसे आतंकवादी हमलों के नए रूपों को प्रोत्साहित करता है, जिनका पाता लगाना अत्यधिक कठिन होता है।
- **साइबर हमलेः**
  - **निजता का उल्लंघन और व्यक्तिगत डेटा की चोरी**
  - मोबाइल ऐप्स का असुरक्षित फ्रेमवर्क
  - पाकिस्तान और चीन द्वारा साइबर जासूसी का मुद्दा
- मीडिया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से **निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप।**
- **लक्षित समाज में मतभेद को बढ़ावा देने के लिए दुष्प्रचार और फेक न्यूज** पर आधारित एक अलग वास्तविकता का निर्माण करना।
- प्रतिकूल ऊर्जा–आपूर्ति सौदों जैसे निवेश के माध्यम से वित्तीय प्रभाव।

हाइब्रिड वारफेयर से निपटने हेतु आगे की राह

- **व्यवस्थित और समकालिक रूप से रियल टाइम आधारित कार्रवाई करनाः**
  - त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करने हेतु एक संस्थागत **तंत्र का निर्माण** किया जाना चाहिए।
  - **कार्रवाई के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
  - **रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस (RTSA)** जैसे आसूचना साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **संस्थागत उपायः**
  - सभी क्षेत्रकों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों और सुभेद्यताओं का **स्व–आकलन** करते हुए उनकी नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
  - **खतरे का आकलन करने संबंधी पारंपरिक गतिविधियों में सुधार करना चाहिए।**
- डिजिटल पारितंत्र या साइबर–स्पेस को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए समर्पित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत बनानाः**
  - ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए **नागरिक समाज संबंधी संस्थानों को शामिल करने पर** बल दिया जाना चाहिए।
  - **मीडिया साक्षरता बढ़ाने हेतु पत्रकारिता में निवेश** बढ़ाया जाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करनाः**
  - इसके लिए **स्पष्ट परिभाषा और प्रोटोकॉल** विकसित किए जाने चाहिए।
  - हाइब्रिड वारफेयर से निपटने से संबंधित हस्तक्षेप से जुड़े चरणों और तरीकों को संस्थागत रूप प्रदान करना चाहिए।
  - वर्तमान समय में जारी सुरक्षा संवादों में हाइब्रिड युद्ध के मुद्दे को मुख्यधारा में लाना और एकीकृत करना।

2.4.2. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponisation)

अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण: एक नज़र में

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के बारे में

- इसका आशय **बाह्य अंतरिक्ष या आकाशीय पिंडों में हथियार स्थापित करने** के साथ-साथ ऐसे हथियारों का निर्माण करने से है, जो अंतरिक्ष में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
- यह परंपरागत युद्ध के मैदान में सेनाओं की सहायता करने वाले **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से अलग** है।

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के पीछे के कारण

- परमाणु हथियार से लैस व इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) को रोकने के लिए **वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी।**
- अन्य एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियारों के खिलाफ अंतरिक्ष में **अपने उपग्रहों को सुरक्षित रखना।**
- यह **भूमि पर, समुद्र और वायु में युद्ध के संचालन के दौरान किसी देश को सर्वोच्चता** प्रदान करेगा।
- **असक्षम मौजूदा संधियां, जैसे- बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST)।**

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के संभावित परिणाम

- **युद्ध का डर:** यह राष्ट्रों के बीच अनिश्चितता, संदेह और आक्रामक तैनाती का माहौल पैदा करेगा। इस कारण युद्ध हो सकता है।
- **वाणिज्यिक और वैज्ञानिक हितों के खिलाफ:** यह वैज्ञानिक अन्वेषणों में शामिल उपग्रहों सहित वाणिज्यिक उपग्रहों की पूरी श्रृंखला को जोखिम में डाल देगा।
- **अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि:** इससे केसलर सिंड्रोम की घटना देखने को मिल सकती है।
- पृथ्वी आधारित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर असर पड़ेगा।
- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- पहले से ही दुर्लभ रेडियो फ्रीक्वेंसी एवं कक्षीय स्थान की उपलब्धता और कम हो जाएगी।

अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST):** इसमें बल दिया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। इसके अनुसार **कोई राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष में राष्ट्रीय संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।**
- **बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ पर रोकथाम:** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना, हथियारों की होड़ से बचना आदि।
- **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963)**
  - बाह्य अंतरिक्ष और संबद्ध खतरे को रोकने के लिए हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध (PPWT) के लिए संधि को लेकर चीन-रूसी प्रस्ताव।
  - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का "कोड"
  - यू.एस.ए. के नेतृत्व वाला "आर्टेमिस समझौता"; इसमें भारत भी शामिल हो गया है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु **मिशन डेफ-स्पेस।**
- **मिशन शक्ति:** एंटी सैटेलाइट (ASAT) मिशन।
- **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी:** भारतीय सशस्त्र बलों की ट्राई एजेंसी।
- **रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी:** अंतरिक्ष वारफेयर संबंधी हथियार प्रणाली और प्रौद्योगिकियों का निर्माण करना।
- नाविक (NaVIC) अर्थात् नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटिलेशन।
- **IndSpaceEx:** सिमुलेटेड अंतरिक्ष वारफेयर अभ्यास।

आगे की राह

- बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की तेजी की रोकथाम के लिए **कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।**
- **सभी देशों के लिए बाह्य अंतरिक्ष तक वैध पहुंच।** राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के उपाय** अंतरिक्ष सुरक्षा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
- अंटार्कटिका की तरह अंतरिक्ष को भी वैश्विक रूप से साझा क्षेत्र मानना।
- निवारक उद्देश्यों के लिए **ड्यूल-यूज प्लेटफॉर्म्स** का विकास करना।
- क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) तकनीक का उपयोग करके **उपग्रह-आधारित संचार को सुरक्षित करना।**
- अंतरिक्ष-आधारित आसूचना, निगरानी और टोही (ISR) क्षमता को मजबूत करना।
- **भारत के लिए:** सु-परिभाषित राष्ट्रीय अंतरिक्ष और रक्षा अंतरिक्ष रणनीति की आवश्यकता है; अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों से जुड़े मसौदा विधेयक को पारित करना चाहिए।

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

3.1. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे (Security Issues in Border Areas)

सीमा सुरक्षा: एक नज़र में

सीमा से संबंधित मुद्दे या सीमा पर चुनौतियां

आरंभ की गई पहलें

भारत–चीन

- अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम, अक्साई चिन आदि जगहों पर **सीमा विवाद** और अतिक्रमण की कुछ घटनाएं
- चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की **बड़े पैमाने पर तस्करी**
- कठिन भू–क्षेत्र के कारण **अपर्याप्त आधारभूत संरचना**
- **सीमा पर तैनात अलग–अलग बलों** (जैसे– आई.टी.बी.पी., असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स) के परिणामस्वरूप समन्वय में कठिनाईयां
- **जल साझाकरण से संबंधित मुद्दे**

- सैनिकों की आवाजाही के लिए समय को कम करने के लिए अधिक–से–अधिक **बुनियादी ढांचे का निर्माण।**
- पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास
- LAC के 100 कि.मी. के भीतर सेना की अवसंरचना परियोजनाओं को वन संबंधी स्वीकृति से छूट दी गई है।
- सीमा सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम**
- **परामर्श एवं समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म**

भारत–पाकिस्तान

- सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद**
- सिंधु नदी से संबंधित **जल–साझाकरण मुद्दे**
- **घुसपैठ और सीमा–पार आतंकवाद**
- मरुस्थल, दलदल, हिम से ढके पर्वत और मैदान सहित कठिन भू–क्षेत्र
- अवसंरचना परियोजनाओं में लगने वाला अत्यधिक समय और लागत
- अन्य मुद्दों में नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्रा, हथियारों की तस्करी आदि शामिल हैं।

- एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए व्यापक **प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन** (CIBMS)
- जम्मू और कश्मीर में **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो की तैनाती**
- **सिंधु जल संधि (1960) में संशोधन की मांग**

भारत–नेपाल

- **बढ़ता अतिवाद और भारत विरोधी गतिविधियां**
- नेपाली माओवादियों से लिंक के चलते भारत में माओवादी उग्रवाद के फैलने का डर
- एक–दूसरे के भू–क्षेत्र में अपराधियों का पलायन और अवैध गतिविधियां जैसे कि तस्करी या स्मगलिंग, नकली भारतीय मुद्रा आदि
- सीमा के दोनों ओर से भूमि पर कब्जा
- नेपाल के प्रमुख क्षेत्रकों में चीन द्वारा निवेश

- बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एस.एस.बी. में नए खुफिया विभाग की स्थापना
- **सीमावर्ती जिला समन्वय समिति की स्थापना**
- **नेपाल को विकास सहायता**
- **सीमा प्रबंधन को लेकर संयुक्त कार्य समूह (JWG)**
- **फतेहपुर बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP)**

भारत–भूटान

- **उग्रवाद**
- **भूटानी भांग जैसे सामानों की तस्करी**
- **वस्तुओं और लोगों की मुक्त आवाजाही**

- सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर **इंडिया–भूटान ग्रुप**
- विद्रोहियों को शरण देने से रोकने के लिए भूटानी सेना के साथ सहयोग
- सिक्किम में नई **सीमा चौकियों की स्थापना**
- प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन **भूमि के इस्तेमाल के लिए सामान्य स्वीकृति**

भारत–म्यांमार

- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था**
- गोल्डन ट्रायंगल से निकटता के कारण **मादक पदार्थों की तस्करी**
- **सीमा पर कोई भौतिक अवरोध नहीं**
- **निम्न स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं**

- थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा 13 नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) की स्थापना को मंजूरी
- सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)।

भारत–बांग्लादेश

- तीस्ता नदी और बराक नदी के संदर्भ में **जल विवाद**
- **अवैध प्रवास**
- **सीमा पर अपर्याप्त बाड़बंदी**
- **वस्तुओं की तस्करी** जैसे कि जामदानी साड़ी

- **भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 2015**
- **बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड (BPG) की स्थापना**
- **सीमा निगरानी उपकरण** जैसे ड्रोन आदि की व्यवस्था की गई है
- स्थानीय लोगों में अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूकता का प्रसार
- नदी जल विवाद के समाधान हेतु संयुक्त नदी आयोग
- **सीमा क्षेत्रों हेतु व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**

3.1.1. सीमा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका (Role of Community In Border Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **सीमा के नजदीक बसे हर गांव को देश का पहला गांव और सीमा के पास रहने वाले लोगों को देश का मजबूत रक्षक** बताया है। इस प्रकार उन्होंने **सीमा प्रबंधन में स्थानीय आबादी की भूमिका** को रेखांकित किया है।

सीमा प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने का महत्त्व

- **मजबूत और सुरक्षित सीमा सुनिश्चित करना:** इससे स्थानीय लोगों का देश से भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा। साथ ही, सीमाओं की बेहतर सुरक्षा और विकास करने में मदद भी मिलेगी।
- **बेहतर स्थितिपरक जागरुकता:** सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास क्षेत्र, इलाके की विशेषताओं आदि के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है।
- **निगरानी में बढ़ोतरी:** भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक (ICG)[25] बल नियमित रूप से तटीय गांवों में मछुआरों के लिए **सामुदायिक संवाद कार्यक्रम** (CIPs)[26] आयोजित करते हैं। इसमें उन्हें रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों की संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है।
- **मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए:** सीमा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि **सुरक्षा प्रतिक्रियाओं के कारण मानवाधिकारों से समझौता नहीं** किया जा सकता। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ये प्रतिक्रियाएं वस्तुओं और लोगों की मुक्त आवाजाही को अनुचित रूप से बाधित नहीं करेंगी।

सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए की गई पहलें

- **जीवंत ग्राम कार्यक्रम (Vibrant Villages Programme: VVP):** इस कार्यक्रम में **उत्तरी सीमा पर बसी विरल आबादी और सीमित कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे वाले गांवों को शामिल** करने की परिकल्पना की गई है। ये गांव अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं।
  - हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने **अरुणाचल प्रदेश में अंजॉ जिले के किबिथू गांव में VVP** शुरू किया है।
- **सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme: BADP):** इसे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बसावट से 0-10 कि.मी. के भीतर स्थित बस्तियों में कार्यान्वित किया गया है। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है।
- **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM)[24] योजना:** BIM का लक्ष्य सीमा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत करना है।
- **सीमा सड़क संगठन (BRO) के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि:** भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने संघीय बजट में BRO के बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में रिकॉर्ड 40 प्रतिशत अधिक है।

- **सामुदायिक तंत्र का उपयोग:** स्थानीय आबादी के साथ बेहतर संपर्क, सीमा प्रबंधन हेतु एक **नई समुदाय आधारित पुलिस व्यवस्था के दृष्टिकोण के क्रमिक विकास** को आगे बढ़ाएगा।

सीमा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में चुनौतियां

- **राज्य की क्षमता का अपर्याप्त होना:**
  - खराब या अनुपलब्ध सीमावर्ती अवसंरचना;
  - परिवहन, संचार और सुरक्षा नियंत्रण के लिए बुनियादी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं या उनका रखरखाव नहीं किया जाता है;
  - कानून लागू करने वाले कार्मिकों को कम वेतन दिया जाता है और उन्हें पर्याप्त तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
- **सीमावर्ती समुदायों का अलगाव:** भारत की सीमावर्ती आबादी आमतौर पर अक्सर असंतुष्ट और अलग-थलग महसूस करती है। साथ ही, कई लोग सीमा सुरक्षा बलों के प्रति विरोधी व्यवहार भी दिखाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- तस्करी संबंधी गतिविधियों की रोकथाम से यह धारणा बनती है कि **अधिकारी अनावश्यक रूप से स्थानीय लोगों की आजीविका के साधनों में हस्तक्षेप करते हैं।**
- **सीमा पर बाड़ लगाना और उससे जुड़ी समस्याएं:** बाड़बंदी (Fencing) ने स्थानीय ग्रामीणों और सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के बीच कई मतभेद भी पैदा किए हैं। बाड़बंदी के पार खेत तक पहुंच को नियंत्रित किया जाता है। बार-बार तलाशी लेने और निश्चित समय पर ही गेट खोलने से किसानों को परेशानी होती है।

[24] Border Infrastructure and Management

[25] Indian Coast Guard

[26] Community Interaction Programmes

- **आंदोलन की राह अपनाना:** कई बार **कुछ स्थानीय लोग** अज्ञात आर्थिक लाभ और सामाजिक दबाव सहित कई कारणों से ऐसे निहित स्वार्थों का समर्थन करते हैं।
- **तंत्र में कमी:** कई मामलों में, सीमावर्ती समुदायों और अधिकारियों के बीच सहयोग पहले से ही मौजूद है, लेकिन यह अक्सर अस्थायी और अनौपचारिक तरीके का है। यह सहयोग को अविश्वसनीय और धीमा बनाता है।

सीमा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए अन्य तरीके

- **स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखना:** सीमा पर तैनात अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास का माहौल बनाने के लिए स्थानीय विशेषताओं पर आधारित रूपरेखा बनाई जा सकती है।
- **सीमावर्ती आबादी का विश्वास जीतना:** ऐसा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके, बुनियादी सुविधाओं और उनके रहने की स्थितियों में सुधार करके तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता करके किया जा सकता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** जमीनी स्तर पर **'सीमा सुरक्षा' की अवधारणा को 'सीमा प्रबंधन' द्वारा प्रतिस्थापित** करना चाहिए। इसके लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए।
- **सीमा पर तैनात कार्मिकों की सामुदायिक संबंध क्षमता में सुधार करना:** इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
  - सीमा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र का व्यवस्थित रूप से पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।
  - स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए। साथ ही, स्थानीय महिलाओं, बुजुर्गों और रीति-रिवाजों का सम्मान करना चाहिए।
  - सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, सीमावर्ती आबादी को दिए जाने वाले अनुदान का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए आदि।

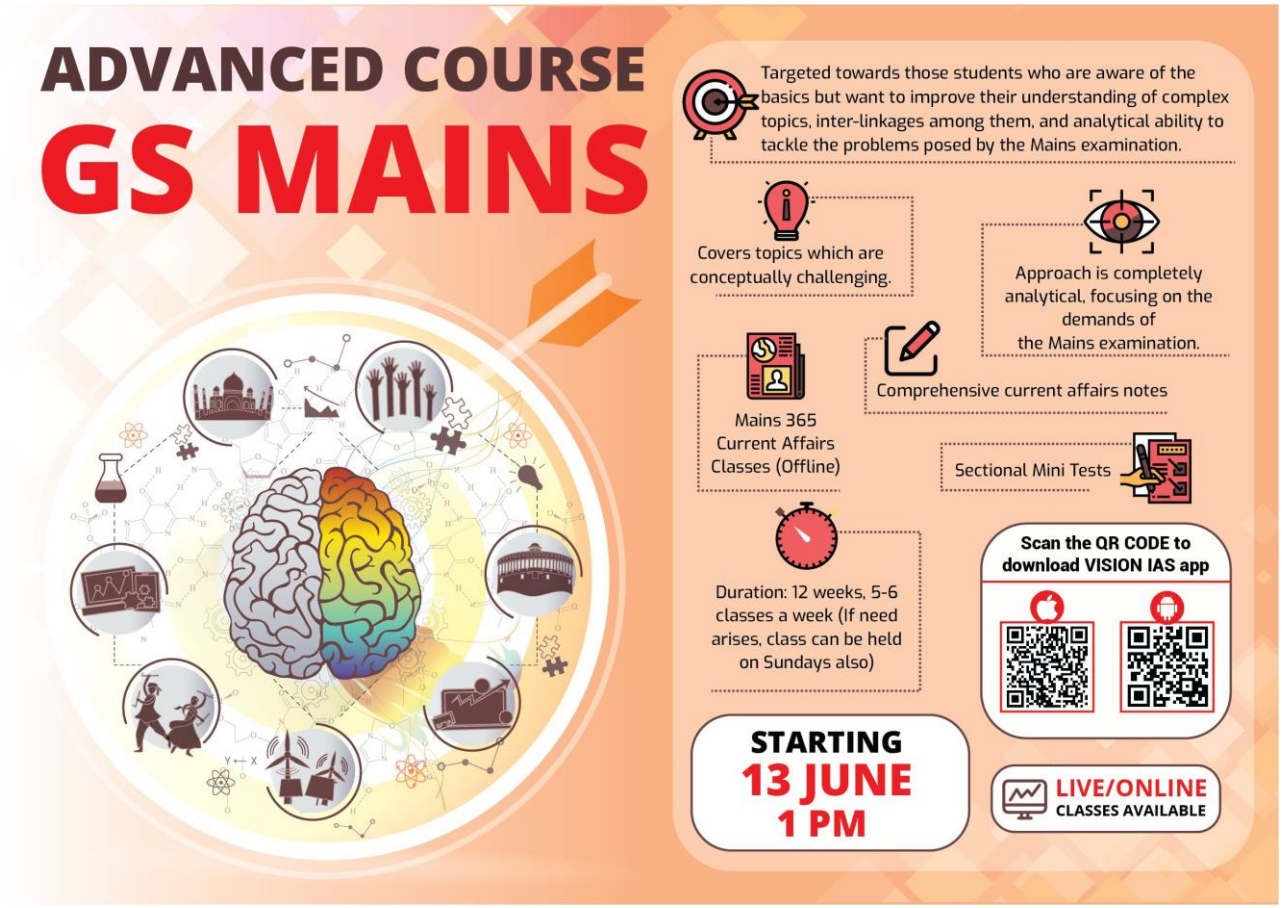

3.1.2. भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा (Geospatial Data and National Security)

भू–स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा: एक नज़र में

भू–स्थानिक डेटा के बारे में

- भू–स्थानिक डेटा वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित विशिष्ट स्थानों, वस्तुओं, घटनाओं या परिघटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है।
- भू–स्थानिक डेटा को **फोटोग्रामेट्री, LIDAR और RADAR, उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग** आदि का उपयोग करके कैप्चर किया जाता है।
- **भू–स्थानिक डेटा में 3 प्रकार की सूचनाएं शामिल होती हैं:**
  - **भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित सूचनाएं**– आमतौर पर पृथ्वी पर स्थित किसी जगह/स्थान की अवस्थिति
  - **विशिष्ट सूचनाएं**– किसी वस्तु, घटना या संबंधित परिघटना से जुड़ी विशेषताएं, और
  - **सामयिक (Temporal) सूचनाएं** – एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताओं से जुड़ी जानकारी।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भू–स्थानिक डेटा का महत्त्व

- **इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही गतिविधियों की सटीकता तथा विश्वसनीयता को बढ़ाने में।**
- संकटपूर्ण स्थितियों से निपटने के क्रम में त्वरित और सुरक्षित निर्णय लेने के लिए **स्थितिजन्य सूचनाओं को बेहतर बनाने में।**
- लॉजिस्टिक प्रबंधन, सामरिक योजनाओं को विकसित करने, आभासी तौर पर किसी इलाके की छानबीन करने आदि के रूप में **सैन्य अभियानों को समर्थन प्रदान करने में।**
- साइबर हमले, हाइब्रिड युद्ध जैसे नए और **उभरते हुए खतरों से निपटने में।**
- **सैन्य अभियानों के आधुनिकीकरण में:** जैसे– **अपराधों का पूर्वानुमान लगाना और सटीक रूप से निर्देशित युद्ध सामग्री का विकास करना आदि।**
- **भारत की समुद्री क्षमताओं को बेहतर करके विशाल हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।**
- **प्रगतिशील रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बनाना:** उदाहरण के लिए– USA के साथ BECA साझेदारी।

भू–स्थानिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास

- **नीतिगत ढांचा:** भू–स्थानिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए **राष्ट्रीय भू–स्थानिक नीति, 2022** तथा भौगोलिक सूचना को विनियमित करने के लिए **राष्ट्रीय मानचित्र नीति।**
- भू–अवलोकन उपग्रहों के समूह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है।
- कुछ समर्पित संस्थानों का भी गठन किया गया है, जैसे– **भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, राष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केंद्र** आदि।
- **राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना, भारत–मैप्स प्लेटफॉर्म और भुवन पोर्टल जैसी पहलों की शुरुआत की गई है।**
- **भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली "NAVIC"** (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटिलेशन)।
- **PM गति शक्ति और स्वामित्व (SVAMITVA)** जैसी पहलों के तहत भू–स्थानिक डेटा को एकत्र किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भू–स्थानिक डेटा के उपयोग में आने वाली चुनौतियां

- **व्यापक और सटीक डेटा की उपलब्धता का न होना।**
- **अनुसंधान परिणामों की स्टैंडअलोन प्रवृत्ति और इनको लेकर सर्वसम्मति का अभाव होना।**
- **सरकारी एजेंसियों में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी का होना।**
- भू–स्थानिक एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को अपनाने एवं उभरते और प्रयोगात्मक क्षेत्रों से संबंधित तकनीकों को अपनाने तथा उसके उन्नयन के समक्ष वित्तीय बाधाएं।
- भारत के सुभेद्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के मद्देनजर **भू–स्थानिक डेटा के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने में मौजूद बाधाओं का होना।**
- डेटा साझाकरण पर स्पष्टता के अभाव और शासन के निचले स्तरों पर आपसी सहयोग के अभाव की स्थिति।
- **स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीक का अभाव होना।**
- **भू–स्थानिक डेटा की विशाल मात्रा को प्रॉसेस करने में आने वाली कठिनाइयां।**

आगे की राह

- सरकार द्वारा शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाकर **भू–स्थानिक क्षेत्रक में सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु प्रयास** किए जाने चाहिए।
- निर्णय लेने वालों और उपयोगकर्ताओं को **जागरूक बनाने** तथा उनकी **क्षमता–निर्माण** का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए।**
- **स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के विकास को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- भू–सूचना विज्ञान, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे **विशिष्ट क्षेत्रों में** अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- राज्य पुलिस, सुरक्षा और खुफिया ब्यूरो जैसी **एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाया** जाना चाहिए।
- भू–स्थानिक डेटा के बेहतर तरीके से उपयोग के लिए एक **समर्पित विभाग का गठन और पर्याप्त वित्तीय आवंटन** प्रदान किया जाना चाहिए।
- **नागरिकों की निजता को सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।

3.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

समुद्री सुरक्षा: एक नज़र में

समुद्री सुरक्षा के बारे में

- समुद्री सुरक्षा का आशय समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चीजों की सुरक्षा से है जिसमें **राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण, आर्थिक विकास, मानव सुरक्षा** आदि शामिल हैं।
- भारत ने हाल ही में **"समुद्री सुरक्षा में वृद्धिः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विषय"** पर आयोजित UNSC की एक उच्च स्तरीय ओपन चर्चा की अध्यक्षता की।

भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्त्व

- यह व्यापार, मत्स्यपालन और रणनीतिक खनिज अन्वेषण जैसे क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव डालते हुए **भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र** (IOR) में भारत के भू–रणनीतिक हित को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि चीनी प्रभाव का मुकाबला करना, एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदाता बनना और HADR ऑपरेशन को निष्पादित करना।
- **विकासात्मक गतिविधियों के कारण बढ़ते समुद्र स्तर और पर्यावरणीय निम्नीकरण** जैसे जलवायु प्रेरित संकटों से निपटना।
- **तटीय क्षेत्र की सुरक्षा** बेहतर होने से 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं को रोकने में सफलता मिली है।

समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां

- हिंद महासागर क्षेत्र में **समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री आतंकवाद** का खतरा मौजूद है।
- **तस्करी और ट्रैफिकिंग** जैसे संगठित अपराध।
- समुद्री साइबर खतरे समुद्री अवसंरचना, जहाजों या समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करते हैं।
- समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और तेल रिसाव, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना।
- मत्स्यन की अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) गतिविधियां आर्थिक चुनौतियाँ पैदा करती हैं।
- पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे **पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमा विवाद** जारी है।
- समुद्री अवसंरचना के विकास के लिए **पर्याप्त निवेश की आवश्यकता** है: राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये के परिणामस्वरूप **तटीय अवसंरचना के विकास की गति धीमी** हो गई है।
- सुरक्षा ढांचे से जुड़े मुद्दे– **खंडित दृष्टिकोण और अतिव्यापी क्षेत्राधिकार**।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे– चीन ने म्यांमार और श्रीलंका में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह बनाए हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां (SSBN), INS अरिहंत और विमानवाहक पोत 'INS विक्रांत' को शामिल करके भारत एक **परमाणु त्रयी** देश बन गया है।
- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया गया है।
- रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर समुद्र क्षेत्रीय जागरूकता के लिए एक **इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर** (IFC) **की स्थापना** की गई है।
- गश्त और निगरानी को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा **तटीय सुरक्षा योजना** (CSS) शुरू की गई है।
- तटीय देशों के साथ फिर से जुड़ने के लिए **प्रोजेक्ट मौसम जैसी सॉफ्ट पावर** का उपयोग किया जा रहा है।
- **'ब्लू इकोनॉमी'** जैसी संधारणीयता आधारित पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **सागरमाला** जैसी बुनियादी ढांचा विकास पहल शुरू की गई है।
- वैक्सीन मैत्री जैसी मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) पहल।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः बहरीन स्थित संयुक्त समुद्री बलों** (CMF) **के साथ सहयोग।**

आगे की राह

- भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए **पांच–सूत्रीय रूपरेखा** पर प्रकाश डाला गया। इसमें शामिल हैं– **मुक्त समुद्री व्यापार, समुद्री विवादों का निपटारा, जिम्मेदारीपूर्ण समुद्री कनेक्टिविटी, समुद्री खतरों का मुकाबला** और **समुद्री पर्यावरण का संरक्षण**। इन्हें अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए।
- UNCLOS **जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करके** देशों के बीच सहयोग स्थापित किया जाए।
- नौसेना के **आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ** उठाने पर जोर दिया जाए।
- द्वीपीय और तटीय देशों के साथ विश्वास बहाली के उपाय किए जाएं।

3.2.1. समुद्री पायरेसी-रोधी अधिनियम (Anti-Maritime Piracy Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, समुद्री पायरेसी-रोधी विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई।

इस अधिनियम में शामिल मुख्य बिंदु

- **पायरेसी या जलदस्युता की परिभाषा:** यह अधिनियम **"किसी व्यक्ति या किसी निजी पोत के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी अन्य पोत, किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध खुले समुद्र में की गई हिंसा, बंधक बनाने या किसी प्रकार की लूट-पाट के किसी भी गैर-कानूनी कृत्य को पायरेसी के रूप में परिभाषित करता है।"**
  - उकसाना या जान-बूझकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने में सहायता करना तथा पायरेसी में संलग्न जहाज़ या विमान के संचालन में की गई स्वैच्छिक भागीदारी को भी पायरेसी के कृत्य में शामिल किया गया है।

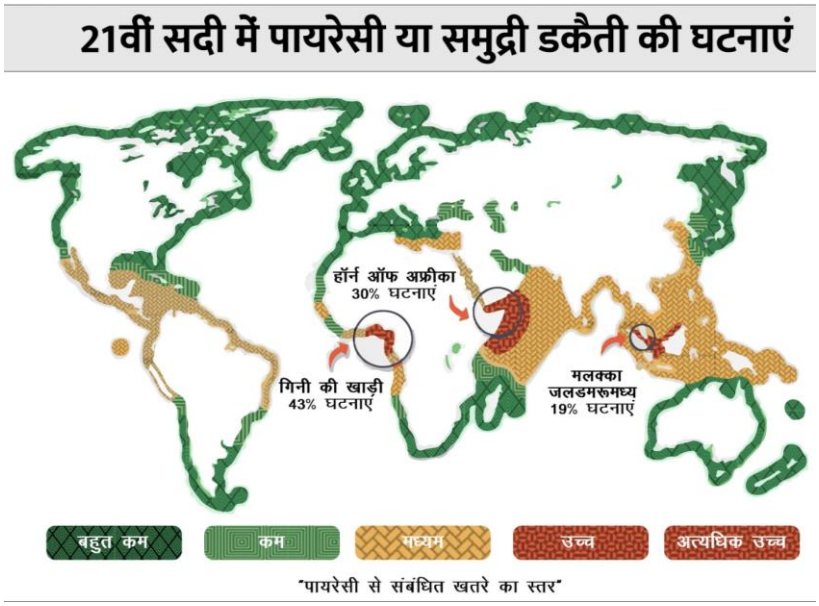

- **कानून का भौगोलिक दायरा:** अधिनियम के प्रावधान खुले समुद्री क्षेत्र (High seas) पर लागू होंगे। इसमें भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र और किसी अन्य देश के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित सभी समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।
- **पायरेसी को प्रत्यर्पण-योग्य अपराध (Extraditable offence) माना जाएगा:** इसका अर्थ है कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए उसे किसी भी ऐसे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **नामित न्यायालय (Designated Courts):** केंद्र सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, पायरेसी से संबंधित अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए कुछ अदालतों को नामित न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट करेगी।
- **अधिकृत कार्मिक (Authorized Personnel):** केवल अधिकृत कार्मिकों को ही पायरेसी में लिप्त जहाजों को पकड़ने और उनकी जब्ती की अनुमति दी जाएगी।
- **जब्त की गई संपत्ति का निपटान:** समिति ने सुझाव दिया था कि जब्त की गई संपत्ति के निपटान हेतु एक उपयुक्त एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि, अब जब्त जहाज या संपत्ति का निपटान न्यायालय के आदेश के अनुसार ही किया जाएगा।

अधिनियम से जुड़ी चिंताएं

- **मृत्युदंड:** अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा पायरेसी कार्रवाई या ऐसा करने के प्रयास में लिप्त पाए जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान, "दुर्लभतम में से भी दुर्लभ" (Rarest of rare) मामलों में ही मौत की सजा देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है।
- **स्पष्टता का अभाव:** इस **बात पर भी स्पष्टता का अभाव है कि किन गतिविधियों को पायरेसी की कार्रवाई में मदद** करने वाला माना जाएगा।
- **प्रत्यर्पण संबंधी बाधाएं:** अधिनियम के अनुसार, कुछ शर्तों के पूरा होने की स्थिति में ही **अभियुक्त को दोषी समझा जाएगा।**
  - यदि अभियुक्त को किसी तीसरे देश से भारत में प्रत्यर्पित किया जाना है, तो **वह देश उस अभियुक्त को प्रत्यर्पित नहीं करेगा, जो पहले से ही दोषी साबित** हो चुका है। इसके अलावा, वह देश आरोपी को तब तक प्रत्यर्पित नहीं करेगा जब तक कि वह स्वयं को निर्दोष साबित नहीं करता है।
- **साइबर हमले: पोतों/ जहाजों पर संभावित साइबर हमलों के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं** किया गया है।

समुद्री पायरेसी-रोधी विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- भारत **UNCLOS का हस्ताक्षरकर्ता** है। इस कारण उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुनिया भर में पायरेसी से जुड़े खतरों को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करे।
- **अदन की खाड़ी में बढ़ते पायरेसी संबंधी जोखिम** ने भी इस तरह के कानूनी उपायों को अपनाने हेतु प्रेरित किया है। गौरतलब है कि अदन की खाड़ी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पूर्वी तट को जोड़ने वाले एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है।
- **पायरेसी के लिए भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता में कोई विशेष कानून या कानूनी प्रावधान नहीं** है।
- मौजूदा स्थिति में समुद्री सुरक्षा हेतु कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि **भारत का 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से संपन्न होता है। इसके अलावा, देश की 80 प्रतिशत से अधिक हाइड्रोकार्बन आवश्यकताएं समुद्री मार्ग से ही पूरी होती हैं।**

निष्कर्ष

भारत की सुरक्षा और आर्थिक बेहतरी के मद्देनजर समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार के विकास के लिए इस क्षेत्र को पायरेसी से मुक्त किया जाना भी आवश्यक है। इससे भारत को अपना क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

3.2.2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्त्व {Strategic Importance of Andaman and Nicobar Islands (ANI)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) ने भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

ANI का सामरिक महत्त्व

- **समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communications: SLOC) की सुरक्षा:** ये द्वीपसमूह व्यस्त **SLOCs** को चोकपॉइंट्स की एक श्रृंखला बनाकर सुरक्षित करते हैं। इन चोकपॉइंट्स में उत्तर में **प्रिपेरिस चैनल,** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच **10 डिग्री चैनल** तथा दक्षिण में **6 डिग्री चैनल** प्रमुख हैं।
- **चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करना:** महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स पर अधिकार करके, चीन भारत के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष या गतिरोध के दौरान अपने लाभ के लिए इनका उपयोग कर सकता है।

- ANI की सामरिक स्थिति भारत को **सी डिनायल वारफेयर[27] रणनीति** (शत्रु को निकट समुद्र का उपयोग करने से रोकना) के माध्यम से तटीय क्षेत्र में अपनी शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है।

- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** भारत अपने हितों की रक्षा के लिए इन द्वीपसमूहों की क्षमता का लाभ उठा सकता है। साथ ही, इस क्षेत्र में **'समग्र सुरक्षा प्रदाता'** के रूप में अपनी छवि को बेहतर कर सकता है।
- **दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध:** इसमें भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** का लगभग 30 प्रतिशत शामिल है। ANI दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है।
- **हिंद-प्रशांत का महत्वपूर्ण आधार:** ANI हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के चौराहे पर स्थित है और आगे प्रशांत महासागर तक विस्तारित है। इस प्रकार यह **हिंद-प्रशांत की सामरिक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार बिंदु है।**

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामरिक विकास में चुनौतियां

क्षेत्र में गलत अवधारणा

- इन द्वीपों को सामरिक–सैन्य केंद्र में बदलना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सुसंगत नहीं रहेगा, जो भारत को एक परोपकारी और सौम्य शक्ति के रूप में मानते हैं।

विकास की धीमी गति

- सड़क निर्माण, हवाई पट्टी निर्माण और यहां तक कि घाटों का निर्माण भी धीमा है या किया ही नहीं गया है।

संस्थागत अनिच्छा

- अन्य नौसेनाओं द्वारा प्रासंगिक यात्राओं के बावजूद, सामान्य रूप से विदेशी नौसेनाओं और विशेष रूप से अमेरिकी नौसेना द्वारा ANI के बंदरगाह के दौरे की अनुमति देने के प्रति कुछ पारंपरिक संस्थागत अनिच्छा विद्यमान है।

पारिस्थितिक भंगुरता (Ecological Fragility)

- इस पारिस्थितिकीय रूप से भंगुर और नृवंशविज्ञान (Ethnographically) की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में एक विश्वसनीय वायुसेना और नौसेना की उपस्थिति सुनिश्चित करना जटिल चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

ANI में की गई विकासात्मक पहलें

- **समुद्री केंद्र:** वर्ष 2015 में, सरकार ने इन द्वीपों को देश के प्रथम समुद्री केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए **एक लाख करोड़ रुपये की योजना** की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य **दूरसंचार, विद्युत और जल जैसी सुविधाओं का विकास** करना है।
- **संरक्षण संबंधी प्रयासों में संतुलन:** वर्ष 2019 में, एक नवीन **द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना** जारी की गई थी। इसमें **पत्तनों, बंदरगाहों, और अन्य समुद्री किनारों (Jetties)** के लिए भूमि सुधार एवं विस्तार की अनुमति दी गई थी। ऐसी परियोजनाओं को अनुमति देने से सामरिक अवसंरचना तैयार करने में मदद मिलेगी।
- **समुद्री अभ्यास:** भारतीय नौसेना कई सारे **संयुक्त समुद्री अभ्यासों** का आयोजिन करती है, जैसे- सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास; **'मिलन'** आदि। इसके अलावा, नौसेना म्यांमार, थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ इस क्षेत्र में समन्वित गश्त भी करती है।
- **नौसेना की उपस्थिति का विस्तार:** मई 2020 में चीन के साथ लद्दाख गतिरोध के बाद, भारत ANI में **अतिरिक्त बल, युद्धपोत, विमान और मिसाइल बैटरी तैनात** करने की योजना में तेजी ला रहा है।
- **अन्य:**
  - चेन्नई-अंडमान और निकोबार समुद्र तल आधारित इंटरनेट केबल का उद्घाटन किया गया है। यह केबल ANI के सात दूर-दराज के द्वीपों को **हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन** प्रदान करेगी।
  - **वर्ष 2018 में, भारत और इंडोनेशिया ने ANI एवं आचेह के सबांग बंदरगाह के मध्य** संपर्क बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया है। इसका उद्देश्य व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है।

[27] Sea denial warfare

आगे की राह

- **प्रवास को प्रोत्साहित करना:** मुख्य भूमि से प्रवास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। साथ ही, सामरिक रूप से स्थित कुछ निर्जन द्वीपों को पर्यटन के लिए खोलने पर विचार करने की भी आवश्यकता है।
- **सामरिक अवसंरचना:** अपनी क्षेत्रीय श्रेष्ठता पर बल देने के लिए, भारतीय नौसेना ने हाल के दिनों में बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभियानों की गति बढ़ा दी है। द्वीपों पर सामरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भारत की युद्ध क्षमता को दर्शाने का एक तरीका है।
- **सामरिक साझेदारों के साथ सहयोग:** यू.एस.ए., जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम द्वारा पोर्ट विजिट (बंदरगाहों पर आगमन) से **भारत एवं इसके प्रमुख सामरिक साझेदारों के बीच ANI में सभी आयामों में और अधिक सहयोग** प्राप्त हो सकेगा।
- **आसियान (ASEAN) के साथ जुड़ाव:** ANI में पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के जुड़ने की **"एक्ट ईस्ट पॉलिसी"** का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने का अवसर विद्यमान है।

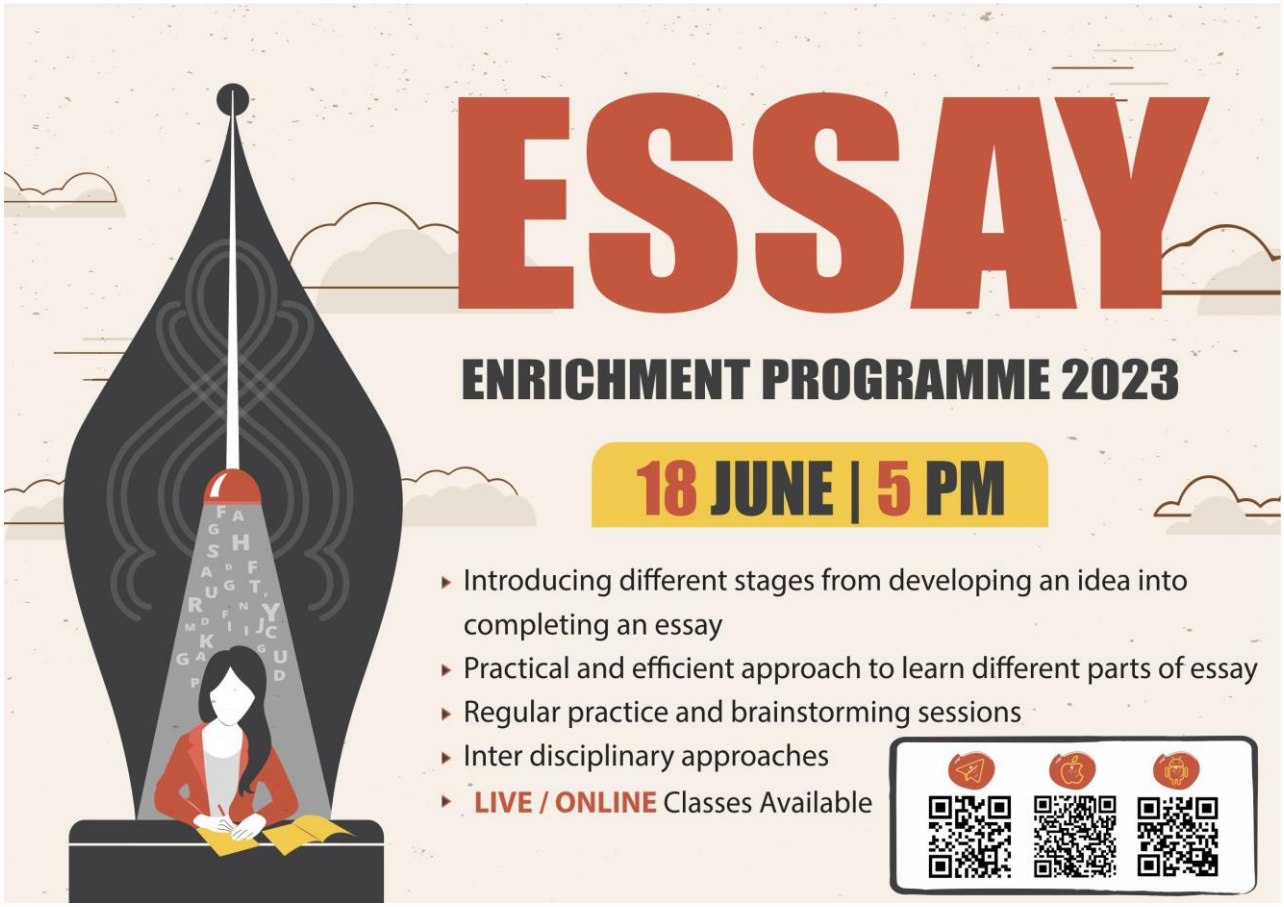

4. सुरक्षा बल (Security Forces)

4.1. भारत में सुरक्षा बल (Security Forces in India)

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियां: एक नजर में

भारत में सुरक्षा बलों की संरचना

- **रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत:** थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG)
- **गृह मंत्रालय के अंतर्गत:**
  - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)
    - सीमा सुरक्षा बल (BSF),
    - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
    - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF),
    - भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP),
    - सशस्त्र सीमा बल (SSB)
    - असम राइफल्स (AR)
  - राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
  - स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG)

सुरक्षा बलों के समक्ष चुनौतियां

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में **लालफीताशाही**।
- बहुत अधिक संख्या में **रिक्तियां** और पदोन्नति की संभावनाओं का अभाव।
- **हथियारों और गोला–बारूद की कमी।**
- ITBP के समक्ष हिमालयी क्षेत्रों में ऑपरेशन के संचालन में आने वाली कठिनाई।
- **खराब आसूचना एकत्रण और निम्न स्तरीय विश्लेषण** के कारण तस्करी तथा सीमा पर उग्रवाद में बढ़ोतरी।
- **ओवर द ग्राउंड सपोर्टर** जैसे जम्मू–कश्मीर में नक्सली–माओवादी समर्थक, हाइब्रिड उग्रवादी आदि।

सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण** जिसमें प्लेटफॉर्म्स, प्रौद्योगिकियों आदि का अधिग्रहण शामिल है।
- LWE ऑपरेशन में ड्रोन जैसी **उभरती प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग।**
- जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के अशांत क्षेत्रों के लिए **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम** (AFSPA)।
- भारत–बांग्लादेश सीमा के लिए CIBMS **जैसी स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग का निर्माण।**
- सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) **जैसे विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा के मानवीय पहलु को नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करना।**
- NIA **(संशोधन) अधिनियम, 2019** जैसे विधायी परिवर्तन।
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड** (NATGRID) सेवाएँ, जिसे 11 केंद्रीय एजेंसियों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के लिए उपलब्ध कराया गया है।

विभिन्न सुरक्षा बलों की भूमिका

- **थल सेना, वायु सेना और नौसेना:** बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
- ICG: पुरे वर्ष समुद्री क्षेत्रों की निगरानी, सुरक्षा एवं राहत व बचाव कार्य का संचालन करना।
- BSF: इसे **"फर्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस ऑफ़ इंडिया"** के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत की सीमा रेखाओं की सुरक्षा, सीमा–पार अपराधों व तस्करी को रोकने के लिए उत्तरदायी है।
- CISF: यह भारत की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं/PSUs/संस्थानों आदि की रक्षा और वी.आई.पी. सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- CRPF: लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के अधीन नागरिक प्रशासन की सहायता करना।
- ITBP: लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेप ला तक चीन से संलग्न सीमाओं की रक्षा करना और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना।
- SSB: भारत–नेपाल सीमा और भारत–भूटान सीमा की रक्षा करना।
- AR: शांति बनाए रखना और 'प्रॉक्सी वॉर' के दौरान सुरक्षा प्रदान करना; चीन और म्यांमार से संलग्न सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- NSG: यह आतंकवाद–रोधी और हाईजैकिंग–रोधी अभियानों में प्रशिक्षित एक विशेष स्ट्राइक फोर्स के रूप में कार्य करती है।
- NIA: भारत में आतंकवाद–रोधी मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- SPG: प्रधान मंत्री और उनके सरकारी आवास में उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना।

आगे की राह

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का **आधुनिकीकरण** करना।
- प्रत्येक बल में समर्पित **अनुसंधान एवं विकास विंग** की स्थापना करना।
- योग और ध्यान के माध्यम से **तनाव प्रबंधन** के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण **सड़कों का निर्माण** करना।

4.1.1. रक्षा क्षेत्रक स्वदेशीकरण (Defence Indigenisation)

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता: एक नज़र में

आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों?

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, जम्मू–कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद आदि।
- **क्षेत्रीय शक्ति:** क्षेत्र में एक पूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अपरिहार्य।
- **आर्थिक लाभ:** हथियारों के आयात पर निर्भरता कम करना। साथ ही, चालू खाता घाटा कम करना।
- **प्रौद्योगिकी में उन्नति:** सशस्त्र बलों की युद्ध लड़ने की क्षमताओं में सुधार, नए हथियारों का विकास आदि।

भारत के रक्षा औद्योगीकरण को पांच विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- **स्वतंत्रता से 1960 के दशक के मध्य तक:** ब्रिटिश भारत के आयुध कारखानों ने राज्य के स्वामित्व वाले रक्षा उद्योग को आधार प्रदान किया।
- **1960 के दशक से वर्ष 1980 तक:** आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) की जगह स्वावलंबन (Self-Sufficiency), लाइसेंसीकृत उत्पादन और प्रत्यक्ष खरीद की प्रभावी कार्यप्रणाली को अपनाया गया।
- **1980 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के प्रारंभ तक:** विदेशी कंपनियों के साथ सह–विकास और सह–उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **2000 के दशक के मध्य से वर्ष 2014 के अंत तक:** निजी क्षेत्रक की 100 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति दी गई।
- **2014 से वर्तमान तक:** मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता, अधिक–से–अधिक राजनीतिक और नौकरशाही इच्छाशक्ति, निजी क्षेत्रक की अधिक भागीदारी आदि पर बल दिया गया।
  - SIPRI के अनुसार, आत्मनिर्भर हथियार उत्पादन क्षमताओं में भारत **12 इंडो–पैसिफिक देशों में चौथे स्थान** पर है।
  - SIPRI के अनुसार, 2022 में **सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले पांच देशों में** यू.एस.ए., चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब शामिल थे।

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं

- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** SIPRI के अनुसार, भारत वर्ष 2018–2022 के दौरान वैश्विक स्तर पर **प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक** देश था।
- आत्मनिर्भरता की निगरानी के लिए **एक व्यापक नीतिगत ढांचे और तंत्र की अनुपस्थिति।**
- हितधारकों के बीच **समन्वय का अभाव।**
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी।**
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी का अभाव।**
- अन्य क्षेत्रकों की तुलना में **रक्षा विनिर्माण क्षेत्रक पर कम ध्यान केंद्रित करना।**

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलें

- **रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति–2020 का ड्राफ्ट** तैयार किया गया है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया–2020** लागू की गई है।
- **सरकार द्वारा सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची** (Positive Indigenisation List) जारी की गई है। इस सूची में शामिल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **प्रौद्योगिकी विकास कोष** (TDF) **का गठन किया गया है।**
- **रक्षा औद्योगिक गलियारों** (DICs) **का निर्माण** किया जा रहा है।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए **वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी मॉडल** अपनाया जा रहा है।
- **मिशन डेफस्पेस, iDEX योजना, आदि।**
- भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए **सृजन पोर्टल।**

आगे की राह

- प्रगति में तेजी लाने के लिए 5 Is **(आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडीजेनाइज़)** की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- हासिल की गई प्रगति की निगरानी को सक्षम बनाने हेतु **आत्मनिर्भरता का अनुमान लगाने के लिए एक डेटा बैंक बनाया जाना चाहिए।**
- रक्षा उत्पादन क्षेत्रक के वित्तपोषण और विकास हेतु **सहायक वित्तीय ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए।**
- प्रमुख रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद के लिए **रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन किया जाना चाहिए।**
- कुशल मानव संसाधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए **समर्पित रक्षा–विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।**
- उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRADS) की सहायता से **नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**

4.1.2. तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची {Third Positive Indigenisation List (PIL)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) के लिए तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL) को मंजूरी दी है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- रक्षा मंत्रालय ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण **780 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (LRUs) की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL)** को मंजूरी प्रदान की है। फिलहाल, इन्हें विदेशों से आयात किया जा रहा है। यह कदम **रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने** के लिए उठाया गया है।
  - आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद इन सामग्रियों को घरेलू उद्योग से खरीदा जाएगा। आयात पर प्रतिबंध **दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 के बीच** अलग-अलग चरणों में लगाए जाएंगे।

प्राथमिकता श्रेणी	स्वदेशी सामग्री
खरीद (इंडियन–IDDM: स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)	स्वदेशी डिजाइन और न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग
खरीद (भारतीय)	50% स्वदेशी डिजाइन के मामले में तथा अन्य के मामले में 60%
खरीद और निर्माण (भारतीय)	50% 'निर्माण' खंड के तहत तथा निर्धारित सीमा, गहनता और विस्तार के अनुसार विदेशी विक्रेताओं से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण
खरीद (वैश्विक–भारत में निर्माण)	न्यूनतम 50%
खरीद (वैश्विक)	विदेशी विक्रेता-शून्य भारतीय विक्रेता-न्यूनतम 30% स्वदेशी सामग्री

- इन सामग्रियों का स्वदेशीकरण **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के 'निर्माण (Make)' श्रेणी** के तहत किया जाएगा। **(श्रेणियों एवं स्वदेशी सामग्री के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।**

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के बारे में

- इसने **2016 की रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) को प्रतिस्थापित किया है।**
  - **DAP-2020 की मुख्य विशेषताएं:**
    - हथियारों/ प्लेटफॉर्म्स के संबंध में **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अधिसूचना जारी करना।**
    - खरीद की विभिन्न श्रेणियों में **स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content: IC) को प्रोत्साहन देना।**
    - रक्षा खरीद के लिए **खरीद (भारतीय-IDDM) श्रेणी** के तहत को **सर्वोच्च प्राथमिकता देना।**
    - प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर **MSMEs तथा छोटे शिपयार्ड के लिए आरक्षित करना।**
  - **महत्त्व:**
    - **भारत को वैश्विक रक्षा उपकरणों का विनिर्माण केंद्र बनाना।**
    - **आयात पर देश की निर्भरता को कम करना।**
    - **समग्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना।**
    - **सैन्य उपकरणों का समय पर अधिग्रहण सुनिश्चित करना।**
    - **सेना का आधुनिकीकरण करना एवं सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार करना।**
    - **निजी क्षेत्र की भूमिका को परिभाषित करना।**

4.1.3. INS विक्रांत (INS Vikrant)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **कोच्चि में, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत "INS विक्रांत"** को **नौसेना** को समर्पित किया।

INS[28] विक्रांत के बारे में

- **पूर्ववर्ती INS विक्रांत** भारत का पहला विमानवाहक पोत था। इसे **यूनाइटेड किंगडम (UK) से खरीदा** गया था और **वर्ष 1961 में नौसेना में शामिल** किया गया था।
  - इसने कई सैन्य अभियानों, जैसे- **वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध** आदि में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई थी। इसे **वर्ष 1997 में सेवामुक्त** कर दिया था।
- **INS विक्रांत, भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है।**
  - यह भारतीय नौसेना के लिए **स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया पहला विमानवाहक पोत** भी है।
  - INS विक्रांत को भारतीय नौसेना की अपनी संस्था **वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB)** द्वारा डिजाइन किया है। इसका निर्माण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी, **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL)** ने किया है।

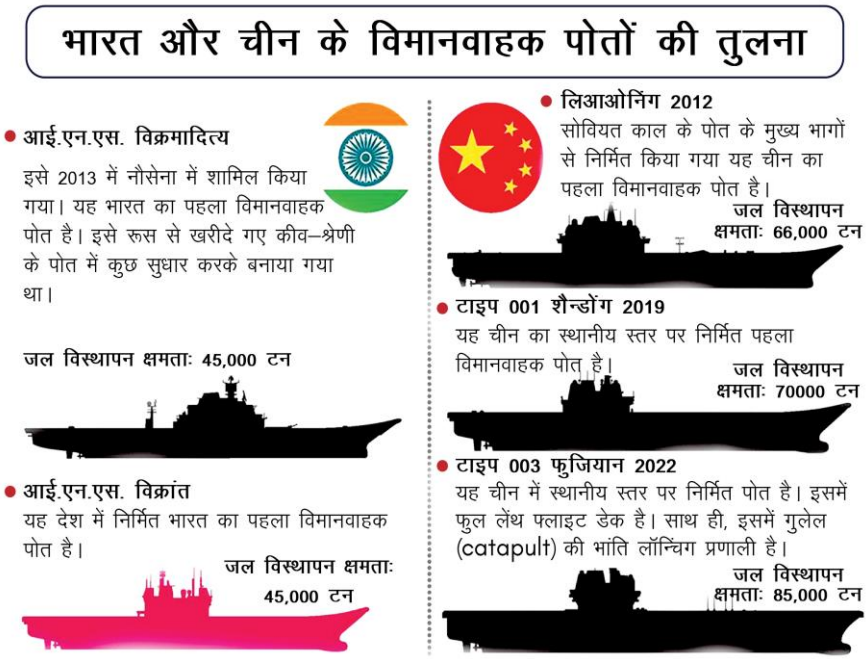

  - वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास एकमात्र परिचालनरत विमानवाहक पोत **INS विक्रमादित्य** है। **वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने पहले** INS विक्रमादित्य ने **तत्कालीन सोवियत संघ** और उसके बाद **रूसी नौसेना में एडमिरल गोर्शकोव के रूप में** अपनी सेवाएं दी थी।

इस विमानवाहक पोत का महत्त्व

- **आत्मनिर्भरता:** नया विमानवाहक पोत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के अभियान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है।
- **क्षमता में वृद्धि:** यह भारतीय नौसेना के हवाई वर्चस्व का विस्तार करेगा। इसमें **हवाई अवरोधन (Air Interdiction), एंटी-सरफेस वारफेयर** आदि भी शामिल हैं।
- **शक्ति में वृद्धि:** INS विक्रांत के शामिल होने से भारत का नाम उन राष्ट्रों के एक छोटे समूह में जुड़ गया है, जो अत्याधुनिक नौसैनिक परिसंपत्ति का निर्माण करने में सक्षम हैं। यह विदेशों में भारत की शक्ति का भी प्रदर्शन करता है।
- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** यह **हिंद महासागर क्षेत्र में एक समग्र सुरक्षा प्रदाता होने के भारतीय दावे के लिए** महत्वपूर्ण है।
- **भयादोहन (Deterrence) यानी शत्रु पक्ष में भय पैदा करना:** विमानवाहक पोत **भयादोहन** का भी कार्य करते हैं। यह **भारत की रक्षा के साथ-साथ शत्रुओं के खिलाफ पारंपरिक युद्ध में इसकी हमला करने की क्षमता बढ़ाएगा।** चीन 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति' के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है।

4.1.4. भारत में पनडुब्बियां (Submarine in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस ने परियोजना की शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट-75 इंडिया (P-75I) पनडुब्बी परियोजना से खुद को अलग कर लिया है।

प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

- **कोई प्रोटोटाइप उपलब्ध नहीं है:** इस परियोजना के लिए भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं हैं- **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण; स्टील्थ प्रौद्योगिकी; शक्तिशाली मिसाइलों से लैस अत्याधुनिक पनडुब्बियां आदि।**

[28] भारतीय नौसेना पोत/ Indian Naval Ship

- फ़िलहाल, दुनिया में ऐसी पनडुब्बी का **कोई प्रोटोटाइप उपलब्ध नहीं** है।

- **उच्च अर्थदंड:** इन पनडुब्बियों का **निर्माण भारत में** ही किया जाएगा। परियोजना समय पर पूरी नहीं होने की स्थिति में **मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEM) को उच्च अर्थदंड का भुगतान** करना होगा।

P-75I के बारे में

- वर्ष 1999 में **सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति** ने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों के **स्वदेश में निर्माण** को मंजूरी दी थी। इन्हें **वर्ष 2030 तक नौसेना में शामिल** किया जाना था। इसे दो चरणों यानी **P-75 और P-75I में वर्गीकृत** किया गया है।
  - **P-75** के प्रथम चरण पर वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत **भारत और फ्रांस ने छह स्कॉर्पीन श्रेणी (डीजल-इलेक्ट्रिक) की पनडुब्बियों** के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  - इन पनडुब्बियों में नौसेना-युद्ध की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत कार्य करने की क्षमता है। इनकी कार्य क्षमता में युद्धपोत-रोधी और पनडुब्बी-रोधी अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और निगरानी तथा नौसैनिक बारूदी सुरंग बिछाना शामिल हैं।
  - हाल ही में पांचवीं स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी **"वागीर"** नौसेना को सौंपी गई है।
- **P-75I चरण में छह पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना** बनाई गई है। ये पनडुब्बियां बेहतर सेंसर व हथियारों और **एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (AIP)** से लैस होंगी।
  - AIP **गैर-परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना काम करने में** सक्षम बनाता है।
  - यह **पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में सक्षम** बनाता है और **पनडुब्बियों के शोर के स्तर को कम करता है।**
- यह भारत में पनडुब्बियों के **स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता** को बढ़ावा देगा। साथ ही, नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन और प्रौद्योगिकियां भी भारत में आएंगी।

पनडुब्बियों का वर्गीकरण

सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर (SSBNs)	न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन (SSNs)	डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन (SSKs)
• नौसेना की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्रायः **बूमर्स (Boomers)** भी कहा जाता है। यह **अंतर-महाद्वीपीय मिसाइलों के लिए एक अनडिटेकटेबल प्रक्षेपण प्लॅटफॉर्म** के रूप में कार्य करती हैं। • इन्हें विशेष रूप से **स्टील्थ क्षमता से युक्त और परमाणु आयुधों के सटीक प्रक्षेपण** के लिए डिज़ाइन किया गया है। • भारत के पास **एक न्यूक्लियर**	• यह **गैर-परमाणु हथियारों से लैस,** हमला करने वाली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। • ये पनडुब्बियां नौसेना को महत्वपूर्ण **स्टील्थ क्षमता प्रदान करती हैं। विशेष रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और विशेष अभियान बलों की गुप्त तैनाती करने के मामले में।** • वर्तमान में केवल **6 देशों** के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली	• इनमें **दो या दो से अधिक डीजल इंजन** होते हैं। • ये इंजन **संयोजन (Combination)** में काम कर सकते हैं, एक इंजन प्रोपेलर को चलाता है, जबकि दूसरा जनरेटर को चलाता है। • **बैटरी की क्षमता किसी डीजल आधारित पनडुब्बी की जल के भीतर रहने की अवधि को सीमित कर सकती है।** इसके कारण इसे बार-बार सतह पर आना पड़ता है और इस प्रकार इसका **आसानी से पता लगाया जा सकता है।**

बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिहंत (S2) है।	पनडुब्बियां हैं: **यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस।**	• भारत के पास **15 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां** हैं।

भारत के नौ-सैन्य गठन से संबंधित मुद्दे

- **विलंब और पुराना बेड़ा:** भारत का वर्तमान पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा अत्यधिक पुराना है। हाल ही में शामिल की गई **INS कलवरी** के बाद, नौसेना की अगली सबसे कम आयु की पारंपरिक पनडुब्बी 17 साल पुरानी है।
- **संविदात्मक दायित्व: INS चक्र** नामक अकुला श्रेणी की पनडुब्बी रूस से पट्टे पर केवल भारतीय नौसैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ली गई है। इसे परमाणु मिसाइलों से लैस करने या किसी अभियान के लिए तैनात करने की अनुमति नहीं है।
- **सीमित क्षमता:** उदाहरण के लिए, **INS अरिहंत** के परमाणु रिएक्टर का ईंधन पुनर्भरण चक्र छोटा है और इसलिए इसकी क्षमता सीमित है।
- **शिथिल विकास:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा AIP प्रणाली के धीमे विकास के कारण **भारतीय नौसेना की पनडुब्बी संबंधी योजनाओं में काफी विलंब हुआ** है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत के पास दुश्मन की **पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एडवांस्ड टोड ऐरे सोनार (ATAS);** दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए भारी वजन वाले टॉरपीडो और अलग-अलग प्रकार की वायु रक्षा प्रणालियों जैसी आवश्यक क्षमताओं का अभाव है।

- **वित्त पोषण:** भारत अपनी **नौसेना पर अपने कुल सैन्य खर्च का केवल 15 प्रतिशत व्यय करता है**, जो क्वाड (QUAD) में उसके साथी देशों की तुलना में बहुत कम है।

निष्कर्ष

चूंकि भारत की अधिकांश पनडुब्बियां 25 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, इसलिए हमारी अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत में पनडुब्बी निर्माण की योजना को तेज करने की आवश्यकता है। यह आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए जरूरी है।

4.1.5. रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण (Defence Modernisation)

रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण: एक नज़र में

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के बारे में

- रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण का तात्पर्य **उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई तकनीकों या प्लेटफॉर्म्स का उन्नयन करने और उन्हें अपनाने** से है।
  - यह किसी देश की सैन्य क्षमता और शत्रु देशों से स्वयं की रक्षा करने की दक्षता को दर्शाता है।
- यह **खतरे की आशंका, परिचालन संबंधी चुनौतियों** और तकनीकी परिवर्तनों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है।
- इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से **नवीनतम सैन्य हार्डवेयर (जैसे– सैन्य उपकरण, मशीनरी आदि)** प्राप्त करने के साथ–साथ इनके **स्वदेशी विनिर्माण** पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों?

- **चुनौतीपूर्ण सामरिक परिवेश** बना हुआ है, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति।
- विमान, पनडुब्बी **जैसे उपकरणों की अपर्याप्त** संख्या आधुनिकीकरण की आवश्यकता को बढ़ा देती हैं।
- **प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति और क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा प्रदाता बनना भारत की विदेश नीति का एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना आधुनिकीकरण की आवश्यकता को प्रकट करता है।**
- **युद्ध के तेजी से बदलते प्रकार,** जैसे– साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध आदि।
- सैन्य प्रौद्योगिकियों के लिए **अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के निर्माण** की आवश्यकता है।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरों की बदलती हुई प्रकृति,** जैसे– भारत और चीन सीमा पर चीन की ओर तेजी से हो रहा निर्माण कार्य।
- HADR क्षमताओं को बढ़ाना।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए उठाए गए कदम,** जैसे– रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL), सृजन (SRIJAN) पोर्टल आदि।
- **रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त जुटाना:** स्वचालित मार्ग के तहत 74% और सरकारी अनुमोदन मार्ग के जरिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
- **अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति से निपटने हेतु** मिशन डेफ स्पेस, मिशन शक्ति, आदि।
- **सशस्त्र बलों का पुनर्गठन/ एकीकरण:** एकीकृत थिएटर कमांड, अग्निवीर योजना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आदि का गठन।
- ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण।
- थल सेना त्वरित निर्णय लेने के लिए **युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली** के निर्माण की दिशा में कार्यरत है।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया:** उत्पादन और अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में लगभग 7 से 9 वर्ष लगते हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक की सीमित विनिर्माण क्षमता** एवं सामर्थ्य और निजी क्षेत्रक की भागीदारी का अभाव।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश का अभाव।**
- **ठोस रक्षा औद्योगिक आधार का अभाव।**
- **भविष्य के युद्ध की प्रकृति पर सीमित संवाद।**
- **सीमित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** जैसे हाल ही में रूस के साथ P-75I परियोजना को रद्द होना।

आगे की राह

- रामा राव समिति द्वारा सुझाए गए **उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRADS) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
- **निजी क्षेत्रक को सहयोग प्रदान करना चाहिए।**
- प्रगति में तेजी लाने के लिए **5 Is (आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडीजेनाइज़)** की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- **उद्योग–रक्षा–अकादमिक जुड़ाव का विकास** किया जाना चाहिए।
- **रक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को** अवसंरचना संबंधी आधुनिकीकरण, देश की बढ़ती मानव संसाधन क्षमताओं आदि के साथ **एकीकृत किया जाना चाहिए।**

4.1.5.1. प्रौद्योगिकी विकास कोष (Technology Development Fund: TDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) के तहत अभिनव रक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण की सीमा को वर्तमान 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) योजना के बारे में

- TDF का कार्यान्वयन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु एक माहौल तैयार करना है।**

4.1.6. प्रौद्योगिकी और सीमा प्रबंधन (Technology and Border Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय थल सेना **लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के समानांतर 700 कि.मी.** लंबी बाड़ को पूर्ण रूप से **स्मार्ट बाड़** में बदलने पर कार्य कर रही है। इससे सीमाओं की **निगरानी में सुधार होगा और घुसपैठ संबंधी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा।**

सीमा प्रबंधन में एकीकृत प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **मौजूदा प्रणाली को अपडेट करने में सहायक:** वर्तमान में, सीमा की सुरक्षा लगभग पूर्णत: मानव निगरानी पर निर्भर है। इस प्रकार सीमा प्रबंधन में अधिक समय लगता है, जिससे यह एक जटिल कार्य बन जाता है।
- **घुसपैठ का पता लगाना:** यह क्लोज सर्किट टेलिविज़न कैमरा (CCTV), थर्मल इमेजर[29]और नाईट विजन उपकरणों आदि को स्थापित करके भूमि, जल, वायु और सुरंगों से घुसपैठ का पता लगाने में सहायता करती है।
- **सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाना:** उदाहरण के लिए- ब्लॉकचेन तकनीक लेन-देन को त्वरित और सुरक्षित रूप प्रदान करने में सहायता कर सकती है, इससे अवैध व्यापार का पता लगाने एवं निगरानी करने में भी अधिक आसानी होती है।
- **बेहतर ख़ुफ़िया जानकारी और निगरानी:** सुदूर संवेदन उपग्रह, रडार उपग्रह और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) सेंसरों वाले उपग्रह दिन एवं रात में सभी प्रकार के भू-क्षेत्रों एवं सभी मौसम (बादलों की उपस्थिति में भी) की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
- **सीमा सुरक्षा पर मधुकर गुप्ता समिति** ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी कर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और कमियों को दूर करने के लिए संघ सरकार से अनुशंसा की थी। इसके तहत वर्ष 2015 में **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**[30] को लागू किया गया था।

सीमा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में आने वाली चुनौतियां

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए **बहुत अधिक मौद्रिक निवेश की आवश्यकता** पड़ती है।
- **मौजूदा बुनियादी ढांचे का कम उपयोग:** भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचा, जिसमें खोज-बीन एवं निगरानी उपकरणों और संचार प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ भौतिक संरचनाएं भी शामिल हैं, का अत्यंत सीमित उपयोग किया जा रहा है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता की कमी:** प्रशिक्षण, मरम्मत और रख-रखाव की सुविधा तथा स्मार्ट उपयोगकर्ताओं की कमी के कारण तकनीकी उपकरणों की प्रभावशीलता में और कमी आई है।
- **प्रतिकूल भू-भाग:** सीमाओं के पार जल निकायों द्वारा भी कुछ जटिलताएँ उत्पन्न की जाती हैं, जैसे नदी का मार्ग बदलना, घुसपैठ का पता लगाने में कठिनाई आदि।
    - भारत-पाकिस्तान सीमा का 12.36 प्रतिशत हिस्सा तथा भारत-बांग्लादेश सीमा का 37 प्रतिशत हिस्सा नदी के किनारे स्थित है।
    - साथ ही, ऐसे इलाकों में अनियमित विद्युत आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करती है।

संबंधित सुर्ख़ियां

सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

विश्व का पहला **"सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (REAIM)"** नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया।

सैन्य क्षेत्र में AI की भूमिका:

- सैनिकों को युद्ध क्षेत्र का अनुभव प्रदान करने के लिए **प्रशिक्षण और समान परिवेश में अभ्यास (सिमुलेशन) की सुविधा** प्राप्त होती है।
- विशेष रूप से दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए **निगरानी करने** में मदद मिलती है।
- **यह सैनिकों को आक्रामक क्षमता प्रदान** करती है। **स्वचालित सशस्त्र ड्रोन** इसका उदाहरण है, जो लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं।
- लक्षित हमलों जैसी युद्ध स्थितियों में **टोही और सामरिक समर्थन प्रदान** कर सकती है।

सैन्य क्षेत्र में AI के उपयोग से जुड़ी चिंताएं:

- **नैतिक जोखिम: असैन्य और सैन्य परिसंपत्तियों व आबादी के बीच अंतर के सिद्धांत** तथा बलों की तैनाती के **आनुपातिकता के सिद्धांत से समझौता** किया जाता है।
- **डेटा पूर्वाग्रह:** AI नस्लीय या लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे डेटा से युक्त होती है। इससे **तर्कसंगत निर्णय निर्माण प्रभावित** होता है।

सैन्य क्षेत्र में AI के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- अलग-अलग डोमेन्स में AI के उपयोग से जुड़े शोध के लिए **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित** की गई हैं।
- **डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी (DAIPA)** रक्षा संगठनों में AI आधारित प्रक्रियाओं को सक्षम बनाती है।

आगे की राह

- **वित्तीय भार साझा करना:** एक संभावित समाधान के रूप में यू.एस.-मैक्सिको मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। इस मॉडल के तहत दोनों देशों ने संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित किया है, जिसने उन्हें आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से अधिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध को कम किया जा सके।

[29] दूर से ही ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को दर्शाने वाला उपकरण

[30] Comprehensive Integrated Border Management System

- **क्षमता निर्माण:** श्रमशक्ति को पहले से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उपकरणों के त्वरित सेवा उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** निजी क्षेत्रक के पास उपलब्ध ज्ञान को इलेक्ट्रॉनिक और निगरानी उपकरणों तथा बायोमेट्रिक विवरण जैसे डेटा के रख-रखाव एवं उन्हें अपडेट करने की दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए।
- **निरंतर अपग्रेडेशन:** नई परियोजना के संयोजन के साथ उपकरण और सहायक उपकरणों की वर्तमान सूची को अपडेट करना महत्वपूर्ण है ताकि उनका भी इष्टतम उपयोग किया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बलों के साथ **ज्ञान के आदान-प्रदान और अनुभव साझा** करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

4.1.6.1. भारत में ड्रोन (Drones in India)

4.1.6.2. ड्रोन का सैन्य इस्तेमाल (Military Applications of Drones)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी **लड़ाकू प्रणालियों में मानव रहित विमानों (UAVs)[31] या ड्रोन को शामिल करने** का विचार प्रस्तुत किया है।

भारतीय सेना में ड्रोन प्रणाली

- **स्वार्म ड्रोन:** भारतीय सेना ने **स्वार्म ड्रोन** को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। स्वार्म ड्रोन समन्वय में संचालित होने वाले कई UAVs का एक समूह होता है। ये **युद्ध अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान** दे सकते हैं। उदाहरण के लिए- इनका उपयोग निगरानी करने वाले साधनों/ उपकरणों के रूप में तथा लक्ष्य के निकट जाकर टोह लेने के लिए किया जा सकता है।
- **वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) क्षमता से युक्त UAVs को शामिल करना:** VTOL क्षमताएं, इन UAVs को दूरदराज के क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों के संदर्भ में उपयोगी बनाती हैं। वर्ष 2021 में, इन UAVs के लिए सेना ने मुंबई स्थित आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।
- **स्वदेशी ड्रोन के कुछ उदाहरण हैं: लक्ष्य, निशांत, तापस UAV (रुस्तम) आदि।**
- **भारत द्वारा आयातित ड्रोन:**
  - इजरायल के **सर्चर और हेरॉन** UAVs

ड्रोन्स के खिलाफ रक्षा प्रणाली

- **नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम (Naval Anti Drone System: NADS):** यह DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी व्यापक एंटी-ड्रोन प्रणाली है।
  - यह **हार्ड किल** और **सॉफ्ट किल** दोनों तरह की क्षमताओं से युक्त है।
    - **हार्ड किल-** महत्वपूर्ण ड्रोन घटकों पर हमला करना, और
    - **सॉफ्ट किल-** गुमराह करना, सिग्नल जैमिंग आदि।
- **DRDO का D-4 ड्रोन सिस्टम:** इसे भारत की तीनों सेनाओं में शामिल कर लिया गया है। यह 4 कि.मी. के दायरे में अलग-अलग प्रकार के ड्रोन का पता लगा सकता है, उनकी पहचान कर सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है।
- **इंद्रजाल:** यह एक स्वदेशी **ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम** है। इसे एक निजी भारतीय फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है।
- **इजरायल का स्मैश (SMASH) 2000 प्लस सिस्टम:** इसका **भारतीय नौसेना** द्वारा उपयोग किया जा रहा है। यह प्रणाली मुख्य रूप से **असॉल्ट राइफलों** पर इंस्टॉल की जाती है। यह **हार्ड किल** जैसे विकल्प प्रदान करती है।

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वचालित ड्रोन की आवश्यकता क्यों?

- **सीमा निगरानी:** पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली सीमा पार घुसपैठ के कारण भारतीय सीमा की निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** ये **विदेशी जहाजों की गतिविधियों** पर कड़ी नजर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आस-पास **विदेशी जहाजों की तैनाती** में वृद्धि हुई है।
- **युद्ध जैसी स्थितियों में तकनीकी दक्षता को बनाए रखना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम स्वचालित प्लेटफॉर्म्स की **अत्यधिक युद्धक क्षमताओं** और चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR)[32] की विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मद्देनजर इनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है।
- **सैन्य टोह और सामरिक समर्थन:** ड्रोन दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों के बारे में **सटीक व रियल टाइम आधारित खुफिया जानकारी** प्रदान करते हैं। इससे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जटिल अभियानों के दौरान तथ्य आधारित बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

युद्ध की स्थिति में स्वचालित ड्रोन की तैनाती से संबंधित मुद्दे

- **युद्ध में मनुष्यों की जगह मशीनों का अधिक उपयोग: कंप्यूटर के पास सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक डेटा उपलब्ध नहीं** होते हैं। साथ ही, यह एक इष्टतम समाधान हेतु **आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकने में भी अक्षम है।**
- **जवाबदेही का अभाव:** संघर्षपूर्ण क्षेत्र में स्वचालित ड्रोन द्वारा गलती से हथियारों के प्रयोग किए जाने की स्थिति में किसी को जवाबदेह ठहराना अत्यंत कठिन हो सकता है। अतः ऐसे में जवाबदेहिता से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि मशीन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- **साझा दायित्व का जोखिम:** यह **नेटवर्क कनेक्टेड ड्रोन सिस्टम के मध्य साझा दायित्व** के जोखिम को बढ़ाता है। यह जोखिम तब और अधिक बढ़ जाता है, जब हथियार एल्गोरिदम तथा युद्धक स्थितियों में सहयोग करने वाले उपग्रह और लिंक सिस्टम आदि उपयोगकर्ता के नियंत्रण में न हों।

[31] Unmanned Aerial Vehicles

[32] Fourth Industrial Revolution

- **सैद्धांतिक विरोधाभास: सैन्य सिद्धांत में AI सक्षम ड्रोन को शामिल करना अत्यधिक कठिन** हो सकता है। ऐसी कठिनाई तब और बढ़ सकती है, जब युद्धक स्थिति में ऐसी तकनीक की प्रभावशीलता स्थापित नहीं हुई हो।
- **वर्तमान ड्रोन क्षमताओं के उपयोग से जुड़ी कमियां:** सीमित उड़ान समय, सीमित दायरा, पेलोड क्षमता, मौसमी स्थिति, साइबर सुरक्षा जोखिम जैसे तकनीकी मुद्दे ऐसी क्षमताओं के उपयोग को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय सशस्त्र बल अपने विकासवादी दौर में हैं और उन्हें युद्ध प्रणाली में **स्वचालित ड्रोन के एकीकरण की प्रक्रिया में** एक प्रगतिशील दृष्टिकोण का अनुपालन करना चाहिए। हालांकि, एक ओर जहां सशस्त्र बलों में प्रौद्योगिकी का समावेश पूर्ण रूप से विकसित हुआ है, वहीं दूसरी ओर **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में विद्यमान कमियों को अभी भी दूर किए जाने की आवश्यकता है।**

4.1.7. सैन्य लॉजिस्टिक समझौते (Military Logistics Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और वियतनाम ने एक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते[33]पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य रक्षा सामग्री की मरम्मत और रसद की पुनः आपूर्ति के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों के उपयोग की अनुमति देना है।

सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते क्या हैं?

- ये सामान्यतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं जो ईंधन, राशन और स्पेयर पार्ट्स की पुनःपूर्ति की सुविधा प्रदान करती हैं। साथ ही, इसके तहत बंदरगाहों पर आगमन और संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान एक-दूसरे के युद्धपोतों, सैन्य विमानों और सैनिकों के लिए ठहरने के स्थान (बर्थिंग) तथा रख-रखाव की सुविधा प्रदान की जाती है।
- ये सुविधाएं एक-दूसरे को पारस्परिक आधार पर प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार यह मुख्य रूप से एक-दूसरे को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है।

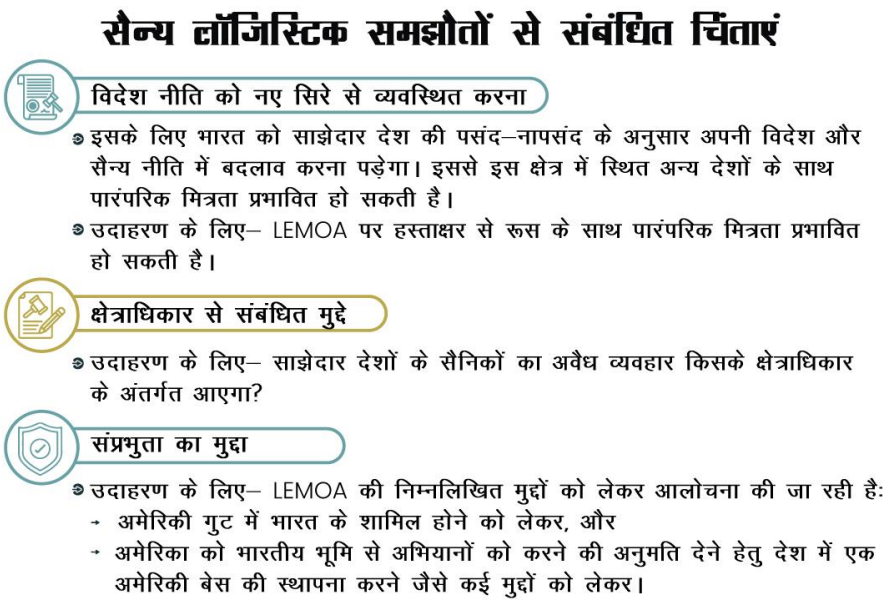

- भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका (क्वाड देश) के साथ-साथ फ्रांस, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया के साथ भी इस प्रकार के समझौते किए हैं।

सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों के लाभ

- **भारत की सैन्य पहुंच का विस्तार:** इससे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए:
  - रूस के साथ **रिसीप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS)** से भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी।
  - **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)** भारत को जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम और सुबिक बे में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करता है।
- **समय और लागत की बचत:** इस समझौते से लंबी बही-खाता रखने की प्रक्रिया में लगने वाले समय और लागत दोनों की बचत होगी जो सेनाओं को प्रत्येक दौरे के दौरान करनी होती है।

[33] Logistics support pact

- शांति अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) जैसी गतिविधियों के लिए **राष्ट्रों के बीच सहयोग और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बेहतर क्षमता।**
- **सामरिक महत्त्व:** इससे किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में अपनी सीमाओं से दूर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना सरल हो जाता है।
- **भारतीय नौसेना को बढ़त:** इन समझौतों के कारण सैन्य परिचालन में सुधार हुआ है। साथ ही, इसने खुले समुद्र (High seas) में भारतीय और भागीदार नौसेनाओं की एक साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता को भी मजबूत किया है।

निष्कर्ष

भारत एक दशक से भी अधिक समय से सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों को संपन्न करने से कतराता रहा है। लेकिन बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और मुखर होते चीन ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स समझौते भी शामिल हैं।

4.1.8. सशस्त्र बलों का थिएटराइजेशन (Theaterisation of Armed Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोक सभा में **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक[34]2023** पेश किया।

विधेयक में शामिल मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अंतर-सेवा संगठन:** वर्तमान में, ऐसे सेवाकर्मी **वायु सेना अधिनियम, 1950; सेना अधिनियम, 1950;** और **नौसेना अधिनियम, 1957** जैसे सेवा अधिनियमों द्वारा प्रशासित होते हैं। यह अंतर-सेवा संगठन **सैनिकों का एक निकाय** होगा, जिसमें सभी सेवा अधिनियमों या इनमें से किन्हीं दो अधिनियमों के अधीन एक **संयुक्त सेवा कमान[35] भी** शामिल है।
- **विधेयक का उद्देश्य:** यह विधेयक **अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड** को **उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा-कर्मियों** के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा में शामिल हों।

थिएटराइजेशन और इसके उद्देश्य के बारे में

- **थिएटराइजेशन:** इसका अर्थ **एकीकृत या संयुक्त थिएटर कमान (JTCs)** से है। इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद थल सेना, नौसेना और वायुसेना का **संपूर्ण कार्यबल और परिसंपत्तियां एकल परिचालन नियंत्रण[36] के अधीन** होंगी।
- **विश्व में अन्य उदाहरण:** विश्व स्तर पर, **यू.एस.ए. और चीन सहित 32 से अधिक देशों ने एकीकरण (Jointness)** को अपनाया है।
    - इसकी तुलना में, भारतीय सशस्त्र बल **17 एकल-सेवा कमान (थल सेना 7, वायु सेना 7,** और **नौसेना 3)** के साथ कार्य करते हैं। ज्ञातव्य है कि **1999 की कारगिल समीक्षा समिति** के गठन और उसकी सिफारिशों के बाद से ही JTC जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की जा रही है।
    - सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं **(इन्फोग्राफिक देखें)।**

भारत के लिए थिएटराइजेशन का महत्त्व

2021 में, तत्कालीन चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने परिचालन (Operations), योजना, खरीद, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में **एकीकरण (Jointness)** के लिए 4 JTCs (इन्फोग्राफिक देखें) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

- **एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना:** यह पाकिस्तान और चीन से संभावित सुरक्षा खतरों के खिलाफ तालमेल बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
    - वर्तमान में, **थल सेना की 4, वायु सेना की 3** और **नौसेना की 2 अलग-अलग कमानें पाकिस्तान** से जुड़े सुरक्षा मामलों का प्रबंधन करती हैं। इन कमानों का **योजना और परिचालन तथा कमान व नियंत्रण के मामले में आपसी समन्वय बहुत कम** है।
- **अंतर-सेवा संगठनों के काम-काज में सुधार:** उदाहरण के लिए- सेवाओं के बीच होने वाले प्रशासनिक विचार-विमर्श को विनियमित करना, जिनमें अत्यधिक समय लगता है।
- **बजटीय बाधाओं को दूर करना:** यह पूंजीगत व्यय के लिए संसाधनों को जुटाकर और संसाधनों को बचाकर रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में बजटीय बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा।

[34] Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill

[35] Joint Services Command

[36] Single operational control

- **भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी करना:** यह बेहतर कमान और नियंत्रण संरचनाओं की सहायता से अलग-अलग और बहु-आयामी प्रकृति के युद्ध क्षेत्रों (आर्थिक, साइबर, अंतरिक्ष सहित) को सरल तरीके से एकीकृत करने में सहायक होगा।
- **सैन्य अभियानों की दक्षता में सुधार:** ऐसा **त्वरित और एकल बिंदु सैन्य सलाह के माध्यम से** हो सकता है। इससे अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे-
    - थिएटर विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर **रक्षा खरीद को प्राथमिकता मिलेगी;**
    - निर्दिष्ट **युद्ध क्षेत्र और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सैनिकों का बेहतर अनुकूलन और प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा; आदि।**

थिएटराइजेशन से जुड़ी चुनौतियां:

- **सैन्य खर्च में कमी आई है: 2023-24 में, रक्षा बजट अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 1.97%** था, जबकि 2010-11 में यह GDP का 2.5% था।
- **अंतर-सेवा मतभेद:** कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि JTC भारतीय वायुसेना को थिएटर कमांडर्स के अधीन करने और एक सेवा के रूप में उसकी अलग पहचान को पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास है।
- **सुरक्षा खतरों की लगातार बदलती प्रकृति:** जैसे कि नेपाल और भूटान की अवस्थिति के कारण चीन की तरफ तीन अलग-अलग थिएटरों की उपस्थिति।
- **तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका को लेकर जो चिंताएं** प्रकट की गई हैं उनसे मौजूदा ढांचे में समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

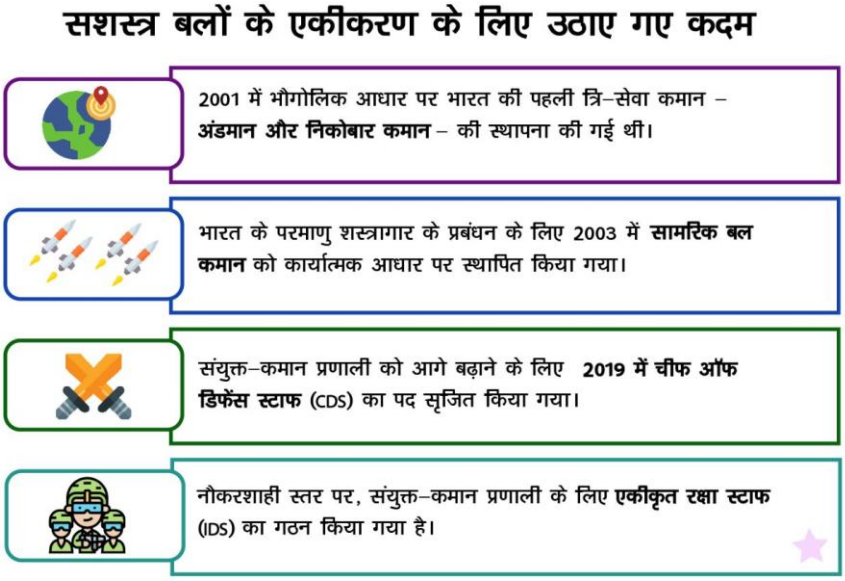

    - **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की कमी** है तथा प्रारंभिक चरण में सभी तीनों बलों के पास सीमित परिसंपत्ति ही शेष रह जाएगी।
- प्रभावी दिशा प्रदान करने और **सैन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग** को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव है।**

आगे की राह

- **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy: NSS):** आधुनिक लोकतंत्रों में, NSS सामरिक चुनौतियों पर स्पष्ट उद्देश्यों के साथ-साथ राजनीतिक दिशा भी प्रदान करेगी।
    - NSS के अलावा, एक **संयुक्त सेवा सिद्धांत का निर्माण** भी किया जा सकता है। इससे सशस्त्र बलों को प्रेरणा मिलेगी और उनकी रणनीतियों का बेहतर एकीकरण हो सकेगा।
- **अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाना:** संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए **तकनीकी बलों, परिसंपत्तियों और क्षमताओं को शामिल करने और उन पर निर्भरता बढ़ाने** की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- अगली पीढ़ी के हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अन्य विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

4.1.9. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff: CDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि नए CDS की नियुक्ति नौ माह तक इस पद के रिक्त रहने के बाद की गई है।

CDS के बारे में

- CDS का पद 2019 में सृजित किया गया था। CDS को **थल सेना, नौसेना** तथा **वायु सेना के प्रमुख** और **चार सितारा सैन्य अधिकारी** का दर्जा दिया गया है।
    - CDS के पद की सिफारिश पहली बार **कारगिल समीक्षा समिति (2000)** के आधार पर मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा की गई थी।
    - बाद में, रक्षा एवं सुरक्षा पर गठित **नरेश चंद्र समिति (2011)** और **शेकटकर समिति (2016)** ने CDS के पद के विचार को आगे बढ़ाया।
- CDS के पद को **सशस्त्र बलों के बीच दक्षता एवं समन्वय बढ़ाने** तथा दोहराव को कम करने के लिए गठित किया गया था।
- **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर **सभी स्तरों पर बेहतर परिणाम प्राप्त करना।**
    - राष्ट्र के उच्च रक्षा संगठन में **अंतर-सेवा एकीकरण** और बेहतर नागरिक-सैन्य समन्वय को **सुगम बनाने में मदद करना।**
    - **संयुक्त नियोजन, संचालन और खरीद की प्रक्रिया को मजबूत बनाना।** इससे सशस्त्र बलों को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाया जा सकेगा।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तीनों सेनाओं पर सैन्य कमान के प्रयोग की अनुमति नहीं है। उसे तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर भी कमान संबंधी अधिकार नहीं सौंपा गया है। ऐसा इसलिए है ताकि वह राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों में एक निष्पक्ष सुझाव दे सके।

CDS के कर्तव्यों और कार्यों में शामिल हैं:

- रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित **सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के प्रमुख** और इसके सचिव के रूप में कार्य करना।
- तीनों सेनाओं के मामलों में **रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में** कार्य करना।
- **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना** और तीनों सेनाओं के संगठनों/ एजेंसियों/ कमानों का प्रशासन करना।
- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले **रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करना** और परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।
- बुनियादी ढांचे का **इष्टतम उपयोग** सुनिश्चित करना और सेवाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे तर्कसंगत बनाना।
- एकीकृत क्षमता विकास योजना के बाद आगे के कदम के रूप में **पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत सामान अधिग्रहण योजना (DCAP)[37] और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (AAPs)[38] को कार्यान्वित करना।**

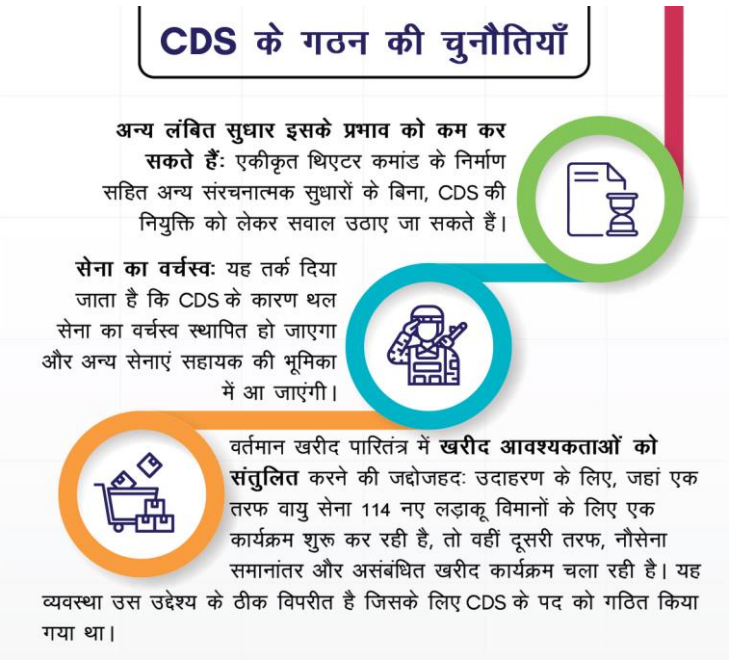

CDS की आवश्यकता क्यों?

- **राजनीतिक कार्यपालिका को बेहतर सलाह देने के लिए:** CDS सैन्य सेवाओं की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर कार्य करता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर समग्रता से सलाह देता है। इन मुद्दों में संयुक्त रणनीति एवं योजना, हथियारों की खरीद, सैन्य बलों का प्रयोग और संयुक्त संचालन शामिल हैं।
- **सशस्त्र बलों का एकीकरण:** CDS की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि सशस्त्र बल अलग-थलग काम करने के बजाय एकीकृत होकर काम करें।
- **लगातार परिवर्तनशील सुरक्षा समीकरण:** इसके लिए आवश्यक है कि भारत की सेना युद्ध में और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में कुशल हो। यह तभी संभव है जब सेना एकीकृत होगी।
- **खरीद को प्राथमिकता देना:** CDS, देश की सैन्य आवश्यकताओं को कुछ इस तरह पूरा कर सकता है कि इसमें सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं से समझौता न हो। साथ ही, उपलब्ध मौद्रिक संसाधनों से अन्य सैन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।

[37] Defence Capital Acquisition Plan

[38] Annual Acquisition Plans

- **वैश्विक समानता:** विश्व के कई प्रमुख देशों ने अपने सशस्त्र बलों में एकीकरण और सामूहिकता लाने के लिए CDS पद का गठन किया है। इन देशों में इटली, फ्रांस, चीन, यू.के., यू.एस.ए., कनाडा और जापान शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत में सशस्त्र बलों और रक्षा प्रतिष्ठान के एकीकरण की प्रक्रिया में काफी समय से देरी हो रही थी। CDS पद के गठन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसलिए, इसे अन्य संरचनात्मक सुधारों द्वारा मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इन सुधारों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, उपकरणों का उत्पादन, नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इससे सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

4.1.10. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अग्निपथ योजना** को मंजूरी दी है। यह सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है।

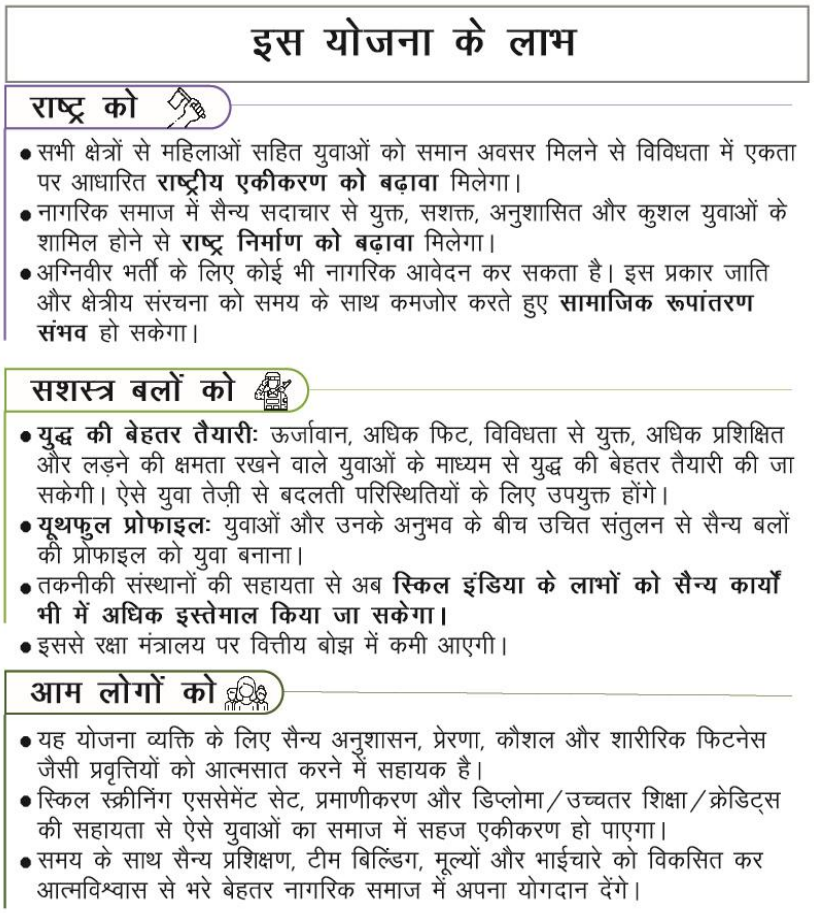

अग्निपथ के बारे में

- यह **रक्षा संबंधी एक प्रमुख नीतिगत सुधार** है। यह योजना तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में **एक नए युग की शुरुआत** करेगी।
    - **अल्पकालिक भर्ती मॉडल या 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD) का विचार पहली बार लगभग दो वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया था।** इसका उद्देश्य सीमित संख्या में रिक्तियों हेतु अधिकारियों और जवानों का चयन करना था।
- **इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के लिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है।** इनका चयन **चार वर्ष** की अवधि के लिए किया जाएगा। **सशस्त्र बलों में इनकी एक अलग रैंक बनाई जाएगी।** यह रैंक किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी।
- **चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नियुक्ति** के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
    - **प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों का नियमित कैडर में चयन किया जाएगा। यह चयन चार वर्ष की कार्य अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होगा।**

योजना से संबंधित चिंताएं

- **सैनिकों के बीच सामंजस्य निर्माण:** अग्निपथ की समय अवधि सैनिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत कम है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सैनिकों के बीच सामंजस्य उनके लंबे समय तक एक साथ रहने, एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और एक साथ कार्यक्षेत्र में, संचालन में व अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में तैनाती के दौरान तथा उग्रवाद-रोधी अभियानों के दौरान कठोर अनुभव प्राप्त करने से विकसित होता है।

- **सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करने में योजना विफल हो सकती है:** ऐसा इसलिए है, क्योंकि श्रेष्ठ उम्मीदवार पहले स्थायी नौकरियों, जैसे पुलिस या अर्धसैनिक बलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **संभावित उम्मीदवारों के प्रति अन्यायपूर्ण:** चार वर्ष की सेवा की समाप्ति पर स्थायी रोजगार गारंटी का अभाव रहेगा। ऐसे में असैनिक/ कॉर्पोरेट क्षेत्रक में आगे बढ़ने या नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल या प्रमाण-पत्र का न होना उनके मनोबल को गिराने वाला हो सकता है।
- **अपरीक्षित योजना:** यह एक ऐसी योजना है, जो तीनों सेनाओं में भर्ती का प्रमुख माध्यम होगी, किंतु इस योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन, पायलट परियोजना और/ या परीक्षण नहीं किया गया है।
- **समाज का संभावित सैन्यीकरण:** पूरे 15 वर्षों तक सेना में सेवा करने की महत्वाकांक्षा वाले निराश और बेरोजगार व असंगठित अग्निवीर आपराधिक संगठनों तथा कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के प्रलोभन का शिकार हो सकते हैं।

वैश्विक पद्धतियां/ प्रणालियां

- **रूसी सेना का प्रारूप हाइब्रिड है।** इसमें एक पारंपरिक कैडर-और-आरक्षित अनिवार्य भर्ती प्रणाली (जिसमें एक वर्ष का प्रशिक्षण व एक वर्ष की सेवा शामिल है) तथा एक अनुबंध-पेशेवर प्रणाली का संयोजन होता है।
- **इजराइल में सैन्य बलों में सक्रिय रूप से अनिवार्य कर्तव्य निर्वहन की अवधि पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने है।** इसके बाद अनिवार्य आरक्षित कर्तव्य की अवधि कई दशक लंबी होती है।
- **फ्रांसीसी सैनिकों के लिए दो प्रकार की भर्ती होती है:** 1 वर्ष का अनुबंध या 3-5 वर्ष का अनुबंध (दोनों नवीकरणीय हैं)।

- **क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ना:** योजना के तहत राज्य आधारित भर्ती की बजाय अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सेना के उच्च पदों पर उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक हो सकता है। इससे सेना के भीतर क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है।

आगे की राह

- **योजना को जनबल के प्रबंधन से संबंधित अन्य सुधारों से जोड़ा जाना चाहिए।** ये सुधार जनबल को इष्टतम बनाने, छंटनी करने और पुनर्गठित करने पर आधारित होने चाहिए।
- सशस्त्र बलों को अधिक तकनीक-सक्षम बनाने के लिए **शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर 10+2 किया जा सकता है।** साथ ही, योग्यता आधारित एक अधिक सख्त अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा शुरू की जानी चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण अवश्य शामिल किए जाने चाहिए। इससे अधिक तकनीक-सक्षम बनने के प्रति बदलाव हो सकेंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि **अग्निपथ योजना भारतीय सेना की रेजिमेंट संबंधी संरचना को विरूपित न करे।**

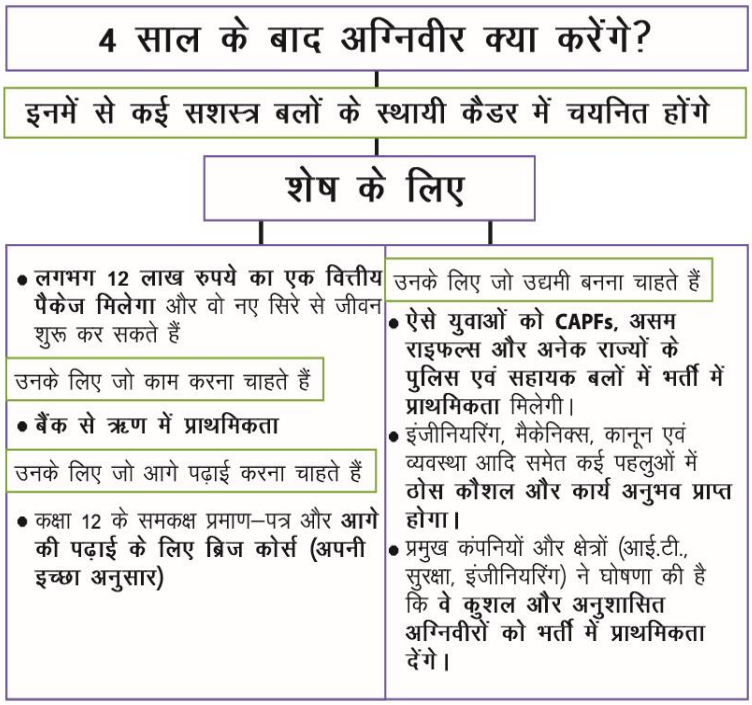

- **अग्निवीरों की प्रारंभिक सेवा अवधि के विस्तार और कम से कम 50% अग्निवीरों की अनिवार्य पुन:भर्ती** जैसे संशोधनों पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि कुछ पूर्व सैनिकों ने सुझाव दिया है।
- गहन प्रशिक्षण और अन्य नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षण की अल्प अवधि की भरपाई करनी होगी।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि **अग्निवीर लाभकारी रूप से समाज का हिस्सा बनें,** ऐसा न हो कि वे समाज के लिए संभावित खतरा बन जाएं।
- **इस नई योजना के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।** उदाहरण के लिए, अमेरिका में अल्पकालिक सेवा अवधि वाले सैनिक सरकारी खर्च पर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

4.1.11. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

थल सेना प्रमुख ने कहा है कि IBG पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यह पूर्णतः गठित होने के अंतिम चरण में है।

प्रस्तावित एकीकृत युद्धक समूह के बारे में

- IBG वस्तुतः **ब्रिगेड के आकार का फुर्तीला आत्मनिर्भर लड़ाकू सैन्य दल** होता है। यह युद्ध संबंधी स्थिति में विरोधियों के खिलाफ तेजी से हमले कर सकता है।
  - इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी की सहायता से सेना को **अधिक घातक और आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए सक्षम** बनाना है।
  - वर्ष 2019 में मैदानी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में इसका परीक्षण भी किया गया था।
- **IBG की संरचना:**
  - प्रत्येक IBG को **खतरे, भू-क्षेत्र और कार्य (Threat, Terrain and Task: T3)** के आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही, संसाधनों को **T3** के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इन्हें इसी के अनुरूप संसाधन भी आवंटित किए जाएंगे। इनका आकार डिवीजन से छोटा होगा, ताकि लॉजिस्टिक्स पर कम भार पड़े।
  - ये संबंधित **अवस्थिति के आधार पर 12-48 घंटों के भीतर तैनात होने** में सक्षम होंगे।
  - प्रत्येक IBG का **नेतृत्व एक मेजर जनरल द्वारा किया जाएगा।**
  - IBG लड़ाकू इकाई में **पैदल सेना, बख्तरबंद टैंक रेजिमेंट,** तोपखाने, मानव रहित विमान (UAV), लड़ाकू इंजीनियरों और सिग्नलों को शामिल किया जाएगा।
  - IBG वस्तुतः **रक्षात्मक (Defensive)** और **आक्रामक (Offensive)** प्रकृति के होंगे।

4.2. पुलिस बल (Police Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **पुलिस महानिदेशकों/ महानिरीक्षकों का 57वां अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली** में आयोजित किया गया। इसका आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा किया गया था।

भारत में पुलिस के दायित्व

- **संरचना:** भारत में पुलिस व्यवस्था की संरचना को स्वतंत्रता-पूर्व पारित किए पुलिस अधिनियम, 1861 के माध्यम से निर्धारित किया गया था।
  - देश के संघीय ढांचे में, **'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था'** राज्य सूची के विषय हैं। यह सूची भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची** में शामिल है।

- **राज्य पुलिस बल के दायित्व:** अपराध की रोकथाम, जांच तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे **मुद्दों के निपटान का दायित्व मुख्य रूप से राज्य पुलिस बल** का होता है।
    - इसके अलावा, **आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के मामले में भी वे प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य** करते हैं। उदाहरण के लिए- आतंकी घटना या विद्रोह के परिणामस्वरूप होने वाली हिंसा।

भारत में पुलिसिंग से संबंधित मुद्दे

- **मानव संसाधन से जुड़ी समस्याएं:**
    - **पुलिस बल पर कार्य का अतिरिक्त बोझ:** भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, भारत में पुलिस **अपनी स्वीकृत क्षमता (कार्मिक संख्या)** से अधिक कार्य **(77 प्रतिशत)** करती है और औसतन दिन में **14 घंटे कार्य** करती है।
    - **प्रदर्शन उन्मुख बनाने वाले प्रोत्साहनों की कमी:** राज्य पुलिस बल में **86 प्रतिशत** हिस्सेदारी निचले स्तर पर नियुक्त कर्मियों **(सिपाहियों)** की है। अतः ऐसे में पदोन्नति संबंधी संभावना का अभाव उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से रोकता है।
    - **लैंगिक असमानता:** पुलिस बल में **महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम** है। यह **पुलिस बल का केवल 10.3 प्रतिशत है।**

- **भौतिक अवसंरचना: पुलिस स्टेशन** के स्तर पर अवसंरचनात्मक उपलब्धता का अभाव बना हुआ है।
    - 2020 के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) के डेटा के अनुसार, कई पुलिस थानों में **न तो वायरलेस है और न ही टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है।** इसके अलावा, पुलिस स्टेशन **वाहनों के अभाव** से भी ग्रस्त हैं।
    - **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ऑडिट और BPRD ने भी अपनी समीक्षा में** राज्य पुलिस बलों के पास **हथियारों की कमी तथा आधुनिक हथियारों के अभाव पर प्रकाश डाला** है।

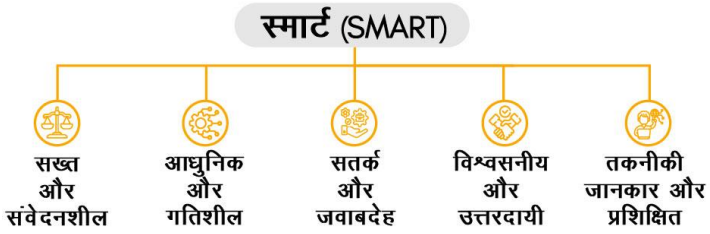

- **प्रौद्योगिकी:**
    - भारतीय पुलिस बल फोरेंसिक, फिंगरप्रिंटिंग, फेशियल रिकग्निशन जैसी **प्रौद्योगिकियों में आए परिवर्तनों के साथ समन्वय बनाए रख पाने में असमर्थ रहे हैं।** उदाहरण के लिए- क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) मुख्य रूप से सीमित उपयोग के कारण कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है।
- **अपर्याप्त वित्तीय आवंटन:**
    - **राज्य सरकार के बजट का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा ही** पुलिस पर खर्च किया जाता है।
- **पुलिस-जनसंपर्क:**
    - अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को जनसमुदाय के विश्वास, सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **पुलिस एवं लोगों के बीच का संबंध संतोषजनक नहीं है।**

पुलिस सुधार जिन्हें लागू किया जा सकता है

- **स्मार्ट पुलिस:** प्रधान मंत्री ने 2014 में 49वें DGP सम्मेलन में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
- **सामुदायिक पुलिसिंग:** सामुदायिक पुलिस मॉडल जैसे कि **महाराष्ट्र में संचालित मोहल्ला समिति तथा केरल में संचालित जनमैत्री पहल के बेहतर परिणाम** सामने आए हैं।

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ पुलिसकर्मियों का अनुकूलन:** इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें **उभरती हुई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण** भी प्रदान किया जाना चाहिए।
    - **नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क** जैसी पहल, एजेंसियों के बीच डेटा आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- **कानूनी कमियों को दूर करना:** अप्रासंगिक आपराधिक कानूनों को निरस्त और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानकों को विकसित किया जाना चाहिए। इसे पुलिस क्षमता के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी।
    - इसके अलावा, आपराधिक न्याय प्रणाली के समग्र परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए जेल सुधार संबंधी प्रयासों को भी शुरू करना होगा।
- **सहयोगात्मक पुलिस व्यवस्था: राज्य पुलिस और संघीय अधिकारियों के बीच सहयोग** को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से अधिकारियों की क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही, इससे सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साझाकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद, 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित पुलिस सुधार

- "**स्टेट सिक्यूरिटी कमीशन** (SSC)" का गठन हो, जो यह सुनिश्चित करेगा कि राजनेता या सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाल सकें।
- **पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति योग्यता–आधारित पारदर्शी** प्रक्रिया के माध्यम से की जाए।
- DGP के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल।
- पुलिस अधीक्षकों सहित **अन्य पुलिस अधिकारियों को कम–से–कम दो वर्षों का कार्यकाल प्रदान किया** जाए।
- पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने हेतु एक **पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना** की जाए।
- **केंद्रीय पुलिस संगठनों** (CPOs) के प्रमुखों के चयन व प्लेसमेंट हेतु एक पैनल तैयार करने के लिए संघ स्तर पर एक **नेशनल सिक्यूरिटी कमीशन** (NSC) आयोग का गठन हो।
- **CPOs के प्रमुखों** के लिए न्यूनतम कार्यावधि दो वर्ष होगी।
- **पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लोक शिकायतों की जांच के लिए** राज्य और जिला स्तर पर एक **पुलिस शिकायत प्राधिकरण** की स्थापना की जाए।
- **पुलिस के कार्यों** में जांच और कानून–व्यवस्था को **अलग–अलग किया जाना** चाहिए।

4.3. वैश्विक सुरक्षा एजेंसियां (Global Security Agencies)

4.3.1. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF)

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF): एक नज़र में

FATF के बारे में

- FATF वैश्विक **धन शोधन (Money laundering: ML)** एवं आतंकवाद के वित्त–पोषण की निगरानी करने वाला एक अंतर–सरकारी निकाय है।
  - यह **इन अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है।**
- **वर्तमान संरचना:** FATF में वर्तमान में **37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग)** शामिल हैं।
  - **भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था।**
  - **यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस को FATF की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था।**
- **FATF की 'ब्लैक' और 'ग्रे' लिस्ट: ये शब्द आधिकारिक FATF शब्दावली में मौजूद नहीं** हैं। ये अनौपचारिक शब्द हैं। इनका उपयोग इस निकाय द्वारा दो सूचियों में वर्गीकृत देशों को दर्शाने के लिए किया जाता है।
  - **ब्लैक लिस्ट वाले देश–** उच्च जोखिम और कार्रवाई के अधीन (म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, ईरान)
  - **ग्रे लिस्ट वाले देश–** अधिक निगरानी वाले देश; FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है।

FATF अनुशंसा के प्रमुख क्षेत्र

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
- अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए प्रयास।
- सहयोगी प्राधिकरणों की स्थापना।
- आपराधिक न्याय और नियामक प्रणालियों में शामिल किए जाने वाले उपाय।
- निवारक उपाय।

FATF की कमियां

- **संरचनात्मक कमी:** विभिन्न क्षेत्राधिकारों को ग्रे और ब्लैक लिस्ट के रूप में सरलता से वर्गीकरण के कारण।
- FATF वास्तविक प्रदर्शन पर अत्यंत कम विचार करता है जबकि **आश्वासनों पर अधिक विश्वास** करता है।
- इसे शक्ति की राजनीति के एक साधन के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह **आम सहमति पर निर्णय** लेता है।
- **अन्य मुद्दे:**
  - इसके अध्यक्ष के चयन की अनौपचारिक पद्धति।
  - आतंकवाद और आतंकी वित्त–पोषण के निर्धारण के संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता मौजूद न होना।
  - देश आपसी कानूनी सहायता, सूचना साझाकरण और सहयोग बढ़ाने में विफल रहे हैं।

संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए आगे की राह

- **ग्रे लिस्ट में और वर्गीकरण करना चाहिए:**
  - सूचियों में वर्गीकृत करने के बाद, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, बैंकों, IMF और विश्व बैंक जैसे अलग–अलग घटकों के परामर्श से एक क्रमिक कार्रवाई तैयार की जा सकती है।
- **विभिन्न पदों पर नियुक्ति को औपचारिक बनाकर FATF** को अधिक प्रतिनिधित्व युक्त बनाया जाना चाहिए।
- **नए जोखिमों का समावेश करना चाहिए:** इस संदर्भ में आभासी संपत्तियों के विनियमन को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **सदस्यों को नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- **IMF, विश्व बैंक सहित अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों** के साथ घनिष्ठ सहयोग और समन्वय को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

4.3.2. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाईजेशन (International Criminal Police Organization: Interpol)

इंटरपोलः एक नज़र में

इंटरपोल के बारे में

- इंटरपोल एक **अंतर–सरकारी संगठन** है। इसमें **भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल** हैं।
- यह सदस्य देशों को **अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और उन तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम** बनाता है। इसके अलावा यह कई प्रकार की तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान करता है।
- अन्य देशों की पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए **प्रत्येक सदस्य देश में इसके द्वारा एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) की स्थापना** की गई है।
- **इंटरपोल नोटिस** वस्तुतः सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं जो सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना साझा करने की अनुमति देते हैं। ये नोटिस जनरल सेक्रेटेरिएट (महासचिवालय) द्वारा जारी किए जाते हैं।
  - **नोटिस के प्रकार**– रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, इंटरपोल-UNSC स्पेशल नोटिस।

इंटरपोल की उपलब्धियां

- **ID-ART मोबाइल ऐपः** यह चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, तस्करी को नियंत्रित करने और चोरी की गई कलात्मक वस्तुओं व कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने में सहायता करता है।
- **मानव तस्करीः** इसने मानव तस्करी, लोगों को दूसरे देशों में अवैध रूप से पहुंचाने आदि में संलग्न अपराधियों के खिलाफ टार्गेटेड व समन्वित कानूनी कार्रवाई के महत्व को दर्शाने वाले अनेक अभियान संचालित किए गए हैं।
- **साइबरस्पेस को सुरक्षित करनाः** उभरती प्रवृत्तियों की निगरानी, साइबर अपराधों के मामलों में पुलिस और ऑनलाइन खतरों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बहु–क्षेत्रीय साझेदारी की गई है।
- **प्रशिक्षणः** पुलिस एवं आव्रजन **(Immigration)** अधिकारियों को वास्तविक स्तर पर कार्य सौंपे जाने से पहले फोरेंसिक पहचान तकनीकों और डेटा साझाकरण तंत्र से संबंधित इंटरपोल का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इंटरपोल के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **प्रत्यर्पण (Extradition):** प्रत्यर्पण में इंटरपोल की कोई भूमिका नहीं होती है। सदस्य देशों के बीच संपन्न द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से ही प्रत्यर्पण संभव होता है।
- **राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियांः** उदाहरण के लिए– बेलारूस के राजनेता, यूक्रेन के राजनेता आदि की गिरफ्तारियां।
- इसके संविधान के **अनुच्छेद 2 के तहत, सदस्य देश किसी भी तरह से जनरल सेक्रेटेरिएट की मांगों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।**
- सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता वैश्विक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में इंटरपोल के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है।
- **भ्रष्टाचारः** 2015 में, इंटरपोल की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जैसे निजी क्षेत्रक के संगठनों के साथ करोड़ों डॉलर के भ्रष्टाचार सौदों के लिए आलोचना की गई थी।

इंटरपोल को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- इसके पास अपने निर्णयों का सदस्यों द्वारा अनुपालन और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए।
- इंटरपोल को अपने संविधान में संशोधन करना चाहिए। इससे वह एक सुप्रा–नेशनल पुलिस बल (Supranational Police Force) के रूप में एक प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम हो सकेगा।
- इंटरपोल द्वारा अपने सदस्य देशों को पुलिस सुधार और व्हाइट–कॉलर क्राइम के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए।
- इंटरपोल को उस व्यक्ति के लिए रेड नोटिस को हटा देना चाहिए, जिसे रिफ्यूजी कन्वेंशन, 1951 के तहत उसके मूल देश द्वारा शरणार्थी का दर्जा दिया गया है। साथ ही, एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जाना चाहिए, जो रेड नोटिस की नियमित समीक्षा करे।
- इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

4.3.2.1. पुलिस मेटावर्स (Police metaverse)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा** का आयोजन किया गया था। इसमें इंटरपोल ने **दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पहला मेटावर्स** (Metaverse) लांच किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इंटरपोल का मेटावर्स पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को फ्रांस के लियोन स्थित इसके मुख्यालय में आभासी यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, यह अन्य अधिकारियों के अवतार के माध्यम से संवाद करने तथा फॉरेंसिक जांच एवं अन्य पुलिस कौशल संबंधित प्रशिक्षण लेने का भी अवसर प्रदान करता है।
  - इस मेटावर्स को इंटरपोल के सुरक्षित क्लाउड के माध्यम से प्रदान किया गया है। इसलिए, यह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
  - इसका प्रयोग सभी 195 सदस्य देशों द्वारा किया जा सकेगा। यह रिमोट वर्क, नेटवर्किंग, अपराध के घटना स्थलों से संबंधित सबूतों को एकत्र करने और उन्हें संरक्षित रखने तथा प्रशिक्षण देने जैसी सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

4.3.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद-रोधी समिति (UNSC Counter Terrorism Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

UNSC की आतंकवाद-रोधी समिति (CTC)[39] की **भारत में आयोजित विशेष बैठक** में "दिल्ली घोषणा-पत्र" को अपनाया गया।

"दिल्ली घोषणा-पत्र" के बारे में

- **घोषणा-पत्र में निम्नलिखित की मांग की गई है:**
  - **डिजिटल आतंकवाद** के खतरे से निपटने के लिए **गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का नया सेट** जारी किया जाए।
  - आतंकवादियों द्वारा **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** (जैसे- भुगतान प्रौद्योगिकियां एवं ड्रोन आदि) **के दुरुपयोग को रोका जाए।**
  - आतंकवादी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोका जाए। ऐसा करते समय मानवाधिकारों और **मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान** किया जाना चाहिए।
  - महिला संगठनों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं सहित **नागरिक समाज के साथ संपर्क बढ़ाया** जाए आदि।
- **आतंकवाद-रोधी समिति (CTC) के बारे में:**
  - CTC की स्थापना **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के संकल्प 1373 (वर्ष 2001)** के माध्यम से की गई थी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित किया गया था।
  - इस समिति में **UNSC के सभी 15 सदस्य** शामिल हैं।
  - **CTC को सौंपे गए कार्य (Mandate):** इसे स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय, हर स्तर पर देशों की कानूनी और संस्थागत **आतंकवाद-रोधी क्षमताओं में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों के कार्यान्वयन की निगरानी** का कार्य सौंपा गया है।
  - **संकल्प 1535 (2004)** के तहत **CTED**[40] की स्थापना की गई थी। यह **CTC** के काम-काज में सहायता प्रदान करता है।

4.3.4. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ICC ने **यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ICC का कहना है कि 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद से **यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और निर्वासन के अपराध के लिए पुतिन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं।**
  - हालांकि, ICC के पास **पदासीन राष्ट्राध्यक्षों को गिरफ्तार करने या उन पर मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है।**

[39] UN Security Council (UNSC) Counter Terrorism Committee

[40] आतंकवाद-रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय/ Counter-Terrorism Committee Executive Directorate

ICC और ICJ के बीच तुलना		
	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)	**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)**
गठन	• **रोम संविधि (Rome Statute)** द्वारा स्थापित। यह **संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं** है।	• इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया है। यह **संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग** है।
अभियोजन- विषय (Subject Matter)	• यहां **आपराधिक मामलों पर मुकदमा** चलाया जाता है। ऐसे अपराधों में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराध शामिल हैं।	• यह **कानूनी विवादों को सुलझाता है।** इनमें संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल हैं।
सदस्य/ पक्षकार	• **ICC के पक्षकार देश या ऐसे देश जिन्होंने ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है।** • **भारत, रूस, यू.एस.ए. इसके सदस्य नहीं हैं।**	• केवल ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र या ICJ या दोनों के सदस्य हैं। • **भारत ICJ का सदस्य है।**
क्षेत्राधिकार	• **व्यक्तियों** पर आपराधिक मुकदमा चलाना।	• **दो प्रकार के क्षेत्राधिकार:** कानूनी विवाद, जो राष्ट्रों द्वारा लाए जाते हैं और सलाहकारी राय। • इसके **क्षेत्राधिकार में** युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपियों **पर मुकदमा चलाना शामिल नहीं है।**
न्यायालय की संरचना	• इसमें **18 न्यायाधीश** होते हैं, जो **नौ वर्षों के कार्यकाल** के लिए चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश **दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने** जाते हैं।	• इसमें **15 न्यायाधीश** होते हैं, जो **नौ वर्षों के कार्यकाल** के लिए चुने जाते हैं। ये न्यायाधीश **दो और कार्यकालों** के लिए चुने जा सकते हैं।
अपील	• अपील चैम्बर में अपील की जा सकती है।	• ICJ के निर्णय के खिलाफ **अपील का कोई प्रावधान नहीं है।**

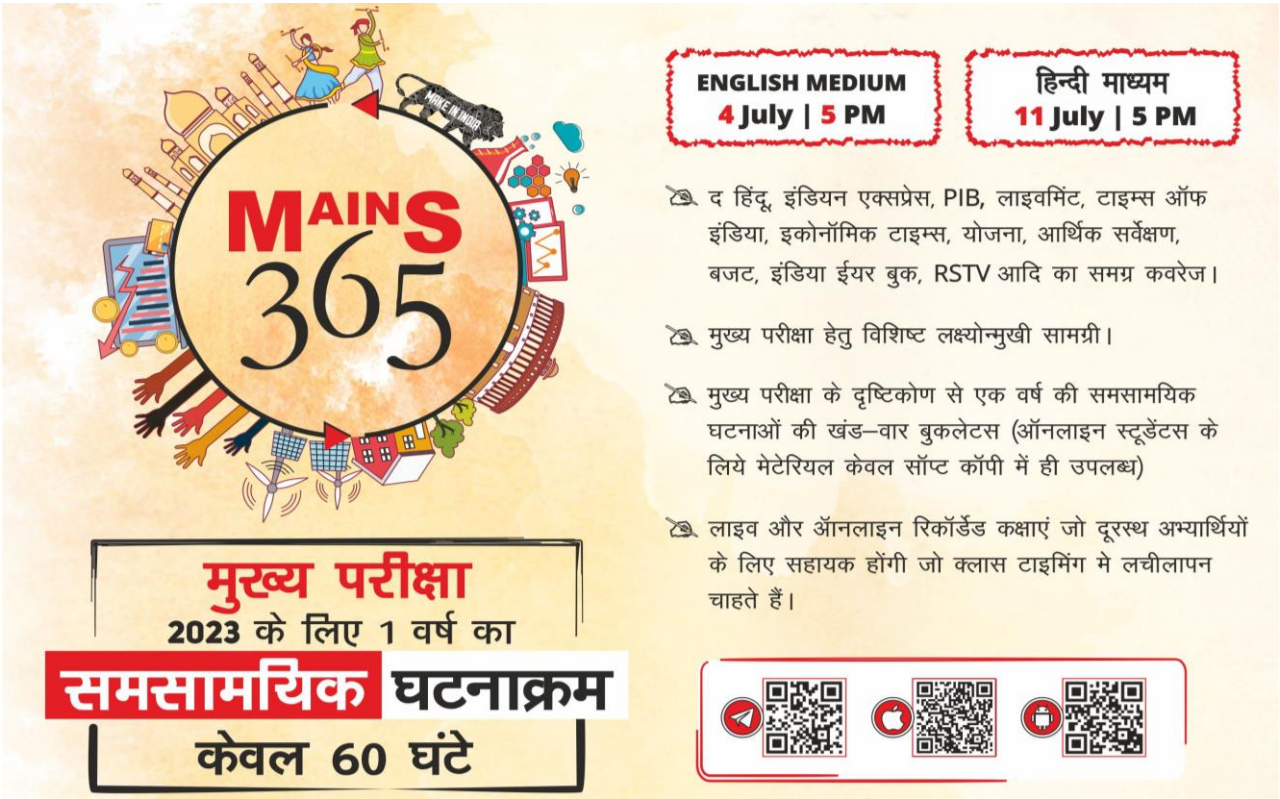

5. विविध (Miscellaneous)

5.1. परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)

परमाणु निरस्त्रीकरण: एक नज़र में

परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में:

- परमाणु निरस्त्रीकरण से आशय परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने और उन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया से है। साथ ही, इसके तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि परमाणु हथियार विहीन देश ऐसे हथियारों को विकसित न कर सकें।
- ICAN के अनुसार, वर्त्तमान समय में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इज़रायल और नॉर्थ कोरिया।
  - समग्र रूप से, वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 13,000 है।
  - शीत युद्ध की तुलना में (उस अवधि में पूरे विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या 60,000 थी) अभी यह संख्या कम है।

पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों?

- **सामाजिक प्रभाव:** परमाणु हथियारों से उत्पन्न होने वाले विकिरण के दीर्घकालिक प्रभावों के चलते शिशु मृत्यु दर, कैंसर आदि जोखिम बढ़ जाते हैं।
- **आर्थिक लागत:** बुनियादी ढांचे का नुकसान और परमाणु हथियारों पर उच्च बजटीय व्यय।
- **परमाणु आतंकवाद:** आतंकवादी संगठनों की इन हथियारों तक आसान पहुंच वैश्विक शांति को प्रभावित करेगी।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** ग्लोबल वार्मिंग, महासागरीय अम्लीकरण, खाद्य असुरक्षा आदि।

परमाणु हथियारों के उपयोग से जुड़े जोखिमों को बढ़ावा देने वाले कारक

- परमाणु हथियार रखने वाले देशों की विदेश नीति के सिद्धांतों की परिवर्तनशील प्रकृति।
- प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और परमाणु हथियारों का विकास।
- अंतरिक्ष युद्ध एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने गलत सूचनाओं और परिणामस्वरुप परमाणु युद्ध से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है।
- परमाणु हथियार से संपन्न देशों और परमाणु हथियार रखने वाले अन्य देशों के बीच बढ़ते संघर्ष ने खतरे को बढ़ा दिया है।
- उभरती परमाणु हथियार स्पर्धा और इसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सामरिक अस्थिरता।

परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए वैश्विक पहल

- **संयुक्त राज्य अमेरिका–रूस:** परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए न्यू स्टार्ट (New START) अर्थात् सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि।
- **संयुक्त राष्ट्र द्वारा कूटनीतिक प्रयास:**
  - **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (CD):** यह बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वार्ता करने वाला एकमात्र निकाय है।
  - **परमाणु अप्रसार संधि (NPT):** इसका लक्ष्य परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना है।
  - **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT):** इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों का उन्मूलन करना है।
  - **परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW):** यह परमाणु हथियारा के विकास, परीक्षण, उत्पादन, विनिर्माण, अर्जन, रखने या भंडारण से प्रतिबंधित करती है।
  - **FMCT:** इसकी मदद से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित किया गया है।
  - **परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।**
  - बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR): इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को रोकना है।

वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में भारत का रुख

- विश्व स्तरीय, सत्यापन योग्य और गैर–भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार रहित विश्व के निर्माण के लिए भारत हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है।
- भारत, निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD) के तहत **व्यापक परमाणु हथियार अभिसमय** से संबंधित समझौता वार्ता को शुरू करने का समर्थन करता रहा है।
- भारत द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में **'सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण'** प्रस्ताव को लाया गया था। इसे बाद में 'राजीव गांधी कार्य योजना' के नाम से जाना गया था।
- भारत सार्वभौमिक FMCT का समर्थक रहा है।
- भारत ने पक्षपात से युक्त होने के कारण CTBT, NPT और TPNW का विरोध किया है।

परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को साकार करने के समक्ष चुनौतियां

- NWS के बीच आम सहमति का अभाव।
- सैन्य खर्च में असंतुलन।
- अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में अस्थिरता देशों को परमाणु प्रसार की ओर जाने के लिए मजबूर कर सकती है।
- NPT वस्तुतः गैर–राज्य अभिकर्ताओं द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने के मुद्दे का समाधान करने में असमर्थ है।
- सत्यापन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) वर्तमान में फंडिंग संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है।

आगे की राह

- परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति NWS को प्रतिबद्ध बनाया जाना चाहिए।
- आपसी विश्वास पर आधारित स्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिवेश उपलब्ध कराए जाना चाहिए।
- देशों को मौजूदा हथियार नियंत्रण संधियों का पालन करना चाहिए।
- सत्यापन व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए।
- परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना तथा इससे जुड़े जोखिम को कम करना चाहिए।

5.1.1. पोखरण परमाणु परीक्षण के 25 वर्ष (25 years to Pokhran Nuclear Tests)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने 11 मई, 2023 को **पोखरण-II परमाणु परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ** मनाई।

पोखरण I और पोखरण II परमाणु परीक्षणों के बारे में

- इस ऑपरेशन का कोड नेम **'ऑपरेशन शक्ति'** था। यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था।
- भारत ने अपना **पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को 'पोखरण'** में ही किया था।
  - इसका कोड नेम **'ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा'** रखा गया था, क्योंकि यह परमाणु परीक्षण **बुद्ध जयंती** के दिन किया गया था।
- परमाणु हथियार के विकास के संबंध में भारत के तर्क और उद्देश्यों को **'आधिकारिक परमाणु सिद्धांत[43]'** में वर्णित किया गया है।

भारत के परमाणु हथियार से लैस देश बनने का महत्त्व

- **बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:** भारत अब **चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में से तीन** MTCR[44], वासेनार अरेंजमेंट व ऑस्ट्रेलिया ग्रुप) का सदस्य है। इसके अतिरिक्त, NSG[45] की सदस्यता मिलने की भी संभावना है।
- **सीमा पर सुरक्षा की स्थिति:** चीन और पाकिस्तान के संबंध में, इसने क्रेडिबल डिटरन्स की स्थिति सुनिश्चित की है और इस प्रकार सैन्य विषमता को संतुलित करने में मदद की है।
- **भारत विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक बन गया है:** भारत वैश्विक सैन्य शक्तियों के एक शक्तिशाली समूह का हिस्सा है। इस समूह में सामरिक **परमाणु त्रय (Nuclear triad)** की क्षमता है। परमाणु त्रय का अर्थ है- भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियार को लॉन्च करना।

भारत ने 1998 में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने का विकल्प क्यों चुना?

- **परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में चीन:** चीन **अक्टूबर, 1964** में ही परमाणु परीक्षण कर परमाणु हथियार रखने वाला देश बन गया था। इससे भारत की चिंता बढ़ गई थी।
- **पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल करने की रिपोर्ट:** चीन ने कथित तौर पर मई 1990 में पाकिस्तान के लिए भी एक परमाणु परीक्षण किया था।
- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)[41] और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)[42] पर हस्ताक्षर करने का दबाव:** यदि भारत CTBT पर हस्ताक्षर कर देता, तो उसे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ता। यदि भारत CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना करता, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना होता कि वह हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहता। ज्ञातव्य है कि भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- **भेदभावपूर्ण मौजूदा परमाणु व्यवस्था:** NPT पर आधारित वैश्विक परमाणु व्यवस्था ने दुनिया को **P-5** और अन्य में विभाजित कर दिया है। भारत, पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति समर्पित होने के बावजूद, भी इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था से खुश नहीं है। इसका कारण इस संधि का भेदभावपूर्ण होना है।

[41] Non-Proliferation Treaty

[42] Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

[43] Official nuclear doctrine

[44] Missile Technology Control Regime/ मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था

[45] Nuclear Suppliers Group/ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह

- **भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा:** भारत ने 1998-99 के दौरान 2,225 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता स्थापित की थी। वर्तमान में यह **205 प्रतिशत बढ़कर 6,780 मेगावाट** हो गई है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में बदलाव:** परीक्षणों के बाद और 21वीं सदी की शुरुआत में यू.एस.ए. एवं पश्चिम के साथ भारत के संबंध मजबूत होने लगे थे। वर्ष 2008 में भारत-यू.एस.ए. असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। इसी के साथ **भारत एक वास्तविक परमाणु शक्ति संपन्न देश** बन गया था।
- **तकनीकी क्षमता की ओर बढ़ना:** सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच के संबंध में रही है।
  - **उदाहरण के लिए-** यू.एस.ए. के साथ अब हमारे पास एक उच्च-तकनीकी रक्षा सहयोग, NSSP[46]है।
- **भारत और राष्ट्रीय गौरव की धारणा:** उल्लेखनीय है कि भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति से लैस देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

निष्कर्ष

पहले स्तर पर भारत को तत्काल सुरक्षा खतरों से निपटने की जरूरत है, ताकि क्रेडिबल डिटरन्स का संकेत देने के लिए समझदारी से पर्याप्त और लचीली जवाबी कार्रवाई क्षमता का निर्माण किया जा सके। दूसरे स्तर पर, भारत को दीर्घकालिक नवोन्मेषी कूटनीतिक निवेश करने की आवश्यकता है। इससे **शांति और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक माहौल बनाने** में मदद मिलेगी।

क्या हमें 'नो फर्स्ट यूज' (NFU) नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है?

- **भारत की NFU नीति की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है:**
  - इस नीति के चलते **युद्ध या इस प्रकार के किसी दूसरे संकट की स्थिति में भारतीय निर्णयकर्ताओं के लिए रणनीतिक बढ़त** सीमित हो सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी स्थिति में गंभीर उपाय करने के लिए सीमित समय होगा।
  - 1999 में कारगिल युद्ध और 2008 में मुंबई पर हमले की घटना जैसे **बार-बार होने वाले हमलों को परमाणु भयादोहन (Nuclear deterrence) की विफलता के प्रमाण** के रूप में देखा जाता है।
  - भारत के पड़ोसी देशों सहित अन्य परमाणु हथियार संपन्न देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमता का निर्माण कर रहे हैं, जैसे- **सामरिक परमाणु हथियार विकसित करना।**

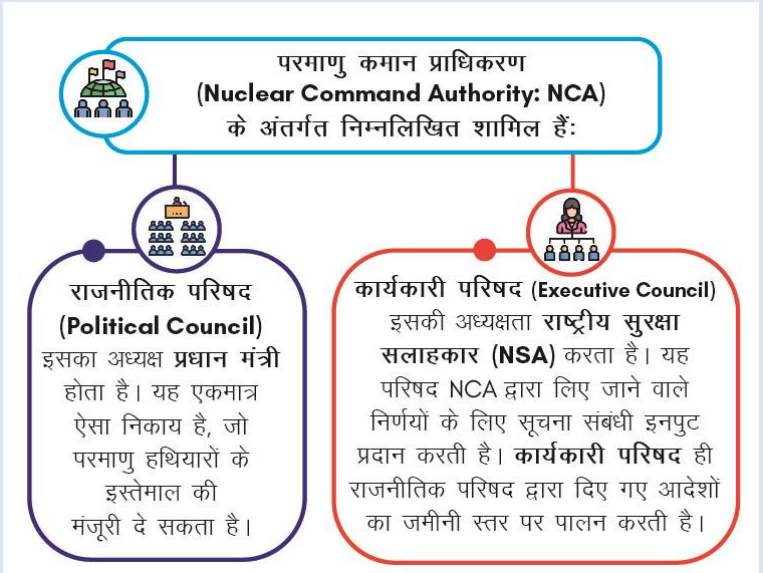

[46] Next Steps in Strategic Partnership/ सामरिक साझेदारी में अगला कदम

- **NFU नीति के पक्ष में तर्क:**
  - यह **अग्र-सक्रियता (Pre-emption) को रोकती** है। इसके अभाव में न चाहते हुए भी भारतीय निर्णयकर्ताओं पर युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की एक दबावपूर्ण स्थिति बनती।
  - यह भारत को परमाणु हथियारों को **हेयर-ट्रिगर अलर्ट** पर तैनात करने हेतु तकनीकी रूप से एडवांस परमाणु क्षमता का निर्माण करने से बचाने में मदद करती है। इस स्थिति में परमाणु हथियारों का रख-रखाव वित्तीय रूप से मंहगा होता है।
    - **हेयर-ट्रिगर अलर्ट:** यह एक अमेरिकी सैन्य नीति है, जो 10 मिनट के भीतर परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम बनाती है।
  - यह नीति **भारत के विरोधी देशों और साथ ही विश्व के अन्य देशों को भी परमाणु संयम** का संदेश देती है। इस प्रकार यह नीति विश्व में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है।
  - **पारंपरिक हमलों और घुसपैठ से पारंपरिक स्तर पर ही निपटा** जा सकता है, ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए- 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक।

5.1.2. सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction: WMDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन अधिनियम, 2022**[47] पारित किया है।

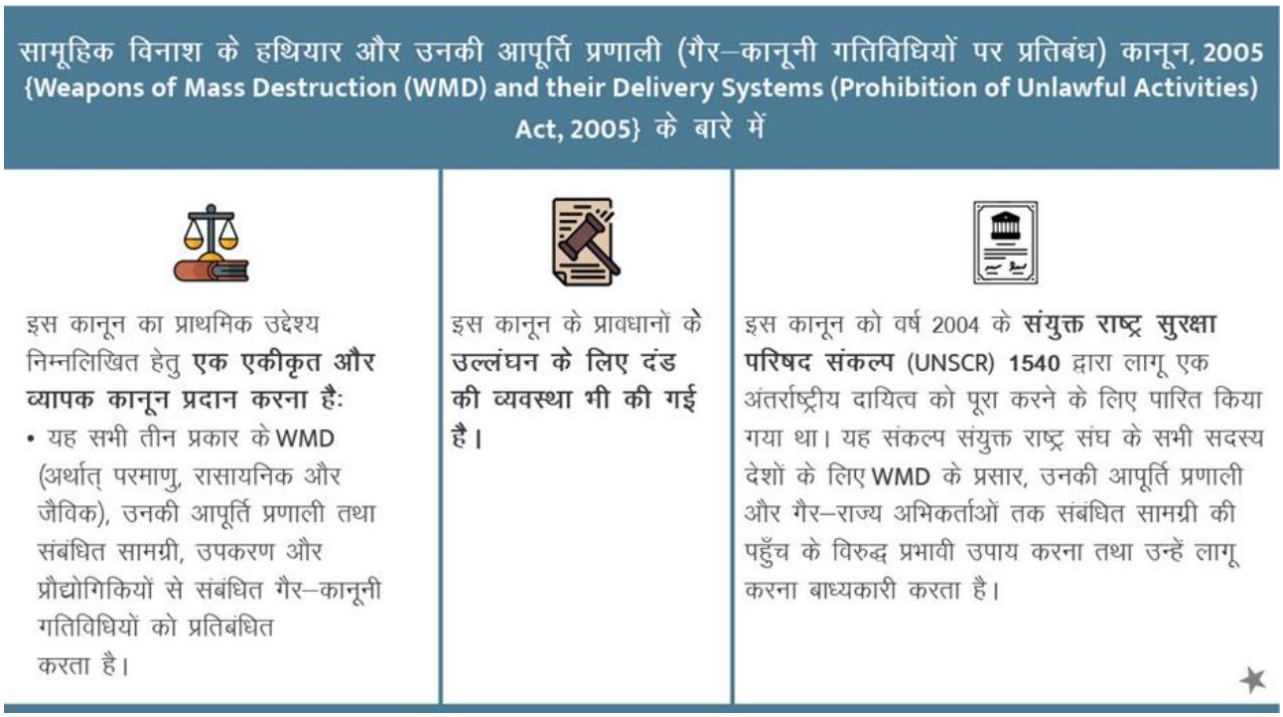

सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) के बारे में

- एशिया और प्रशांत में शांति एवं निरस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय केंद्र (UNRCPD)[48] के अनुसार, **WMDs का आशय हथियारों के एक समूह से है, जिनमें निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं:**
  - ये कम समय में ही **अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम** होते हैं। साथ ही, ये लाखों नागरिकों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डालने और विनाशकारी प्रभावों के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम होते हैं;

[47] Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Act, 2022

[48] United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific

- विषाक्त और जहरीले रसायन **लोगों की मौत या गंभीर चोट** का कारण बन सकते हैं;
- मनुष्यों, जीवों या पौधों को क्षति पहुंचाने या मारने के लिए **रोग उत्पन्न करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों का प्रसार कर सकते हैं;**
- परमाणु विस्फोटक उपकरणों, रासायनिक, जैविक या विषाक्त पदार्थों आदि का शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों या सशस्त्र संघर्ष में उपयोग करने के लिए इनका **वितरण करते हैं आदि।**

- भारत के वर्ष 2005 के WMD अधिनियम के अनुसार, **WMDs जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार** हैं।

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- यह **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली** (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
- यह अधिनियम व्यक्तियों को WMDs और उनकी आपूर्ति प्रणाली से संबंधित किसी भी **प्रतिबंधित गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है।**
- **यह केंद्र सरकार को निम्नलिखित के लिए सशक्त बनाता है:**
  - व्यक्तियों को **ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए**, केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय परिसंपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या अटैच कर सकती है।
  - सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिए **धन, वित्तीय परिसंपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगा सकती है।**

इस संशोधन का महत्त्व

- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना:** यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)[49] की सिफारिशों को लागू करने में सहायक होगा। ये प्रतिबंध और सिफारिशें सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्त-पोषण और उनकी आपूर्ति प्रणालियों के प्रसार के खिलाफ लागू किए जाएंगे।
- **मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना:** वर्ष 2005 में पारित किया गया **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम** केवल सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।
  - यह अधिनियम WMDs के केवल व्यापार को कवर करता है, उनके वित्त-पोषण को कवर नहीं करता है।
- **उभरते खतरों से निपटना** जैसे-ड्रोन के क्षेत्र में विकास या जैव चिकित्सा लैब में अनधिकृत कार्य। इनका दुर्भावनापूर्ण रूप से आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **वैश्विक प्रवर्तन को मजबूत करना,** ताकि आतंकवादी और ब्लैक-मार्केट नेटवर्क सहित गैर-राज्य अभिकर्ताओं को ऐसी सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त न हो सके।
- **वैश्विक WMD नियंत्रणों को लागू करना:** अब अपने स्वयं के कानून को अपडेट करने के बाद, भारत अन्य देशों (विशेषकर अपने पड़ोसी देशों) से भी उनके अपने संबंधित कानून को अपडेट करने की मांग कर सकता है।

भारत को और क्या करना चाहिए?

- **उद्योग और अन्य हितधारकों** के लिए उचित आउटरीच उपायों के माध्यम से संशोधन को लागू करना होगा, ताकि नए प्रावधानों के तहत उन्हें अपने दायित्वों का एहसास कराया जा सके।
- **भारत को WMD सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय फोकस में रखना चाहिए।** यहां तक कि जिन देशों के पास WMD प्रौद्योगिकी नहीं है, उन्हें भी वैश्विक नियंत्रण प्रणाली में कमजोर लिंक/कड़ियों को रोकने के लिए नियंत्रण ढांचे में अपनी भूमिका के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के माध्यम से या द्विपक्षीय आधार पर **राष्ट्रीय कानून, संस्थानों और विनियामक ढांचे को विकसित करने में अन्य देशों को मदद करने की पेशकश** कर सकता है।

[49] Financial Action Task Force

WMDs को गैर-कानूनी घोषित करने के लिए वैश्विक संधियां		
संधियां/ कन्वेंशन/ संहिताएं	**विवरण**	**भारत द्वारा अनुसमर्थित/ हस्ताक्षरित**
जैविक हथियार कन्वेंशन , 1972 (Biological Weapons Convention, 1972)	• यह **जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है।**	**हां**
रासायनिक हथियार कन्वेंशन, 1992 (Chemical Weapons Convention, 1992)	• यह रासायनिक हथियारों के **विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग को प्रतिबंधित** करता है।	**हां**
परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT), 1970 {Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 1970}	• इस संधि का उद्देश्य **परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना,** परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। • इस बहुपक्षीय संधि में केवल बाध्यकारी प्रतिबद्धता है।	**नहीं।** भारत NPT का विरोध करता है, क्योंकि उसके अनुसार यह **संधि भेदभावपूर्ण प्रकृति** की है। भारत **परमाणु हथियारों के सार्वभौमिक प्रतिबंध का समर्थन** करता है।
परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW), 2017 {Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), 2017}	• यह संधि परमाणु हथियारों से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग लेने पर रोक लगाती है। • इनमें परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, धारण, भंडारण, उपयोग नहीं करने या उपयोग की धमकी नहीं देने की शर्तें शामिल हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन में किसी भी देश को सहायता प्रदान नहीं करने का प्रावधान शामिल है।	**नहीं।** भारत का मानना है कि यह संधि व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण या उसके विकास में योगदान नहीं करती है; न ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है।
व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996 {Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), 1996}	• यह पृथ्वी पर कहीं भी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वियना में एक सी.टी.बी.टी. संगठन (CTBTO) स्थापित किया गया है। • इस संधि को लागू किया जाना अभी बाकी है।	**नहीं,** भारत CTBT का विरोध करता है। उसके अनुसार यह संधि भेदभावपूर्ण प्रकृति की है। भारत परमाणु हथियारों के सार्वभौमिक प्रतिबंध का समर्थन करता है।
हेग आचार संहिता (HCOC) (पहले "अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता" (ICOC), 2002 के रूप में ज्ञात) **{Hague Code of Conduct (HCOC) formerly known as "The International Code of Conduct" (ICOC), 2002}**	• यह आचार संहिता बैलिस्टिक मिसाइलों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए लागू की गई है। ये मिसाइल्स सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं।	**हां**

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR) (Multilateral Export Control Regimes: MECR)	• इसमें प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा किए गए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी समझौते शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य WMD के प्रसार का समर्थन करने वाली कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने के प्रयास में सहयोग करना है। • MECR के तहत वर्तमान में ऐसी चार व्यवस्थाएं हैं: ○ परमाणु प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिए **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)**; ○ हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिए **ऑस्ट्रेलिया समूह** (AG); ○ सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम रॉकेट और अन्य हवाई वाहनों के नियंत्रण के लिए **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)**; एवं ○ पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के लिए **वासेनार अरेंजमेंट।**	भारत **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)** को छोड़कर, अर्थात् 4 MECR में से तीन का सदस्य है।

5.1.3. परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty : NPT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NPT की 10वीं समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

NPT के बारे में

- इसे **वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया** गया था। इसे **वर्ष 1970** में लागू किया गया।
- यह संधि, **एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से परमाणु-हथियार संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व** करती है।
- यह संधि **परमाणु-हथियार संपन्न देशों (NWS)**[50] को परिभाषित करती है। इसके अनुसार, ये वो देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले एक परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और परीक्षण किया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन शामिल हैं।
  - चार अन्य देशों के पास भी परमाणु हथियार हैं/ होने की आशंका जाहिर की गई है। ये देश हैं : भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया।
- **दक्षिणी सूडान और इन चार देशों को छोड़कर विश्व के सभी देश NPT के पक्षकार हैं।**
- **NPT समीक्षा सम्मेलन को हर पांच साल में संधि के संचालन की समीक्षा** करने और इसे मजबूत करने के उपायों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में

- इसकी स्थापना **वर्ष 1957 में** की गई थी। इसका उद्देश्य **परमाणु सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।**
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एकीकृत एक विशेष एजेंसी है। हालांकि, इसकी स्थापना स्वायत्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि "IAEA संविधि" (The Statute of the IAEA) - के माध्यम से की गई थी।
- **इसकी तीन मुख्य भूमिकाएं हैं:**
  - विश्व में **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को आगे बढ़ाना,** विशेष रूप से विकासशील देशों की महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए;
  - नागरिक उपयोग हेतु परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री के लिए **परमाणु सुरक्षा एवं संरक्षा को बढ़ावा देना; तथा**
  - 900 से अधिक नागरिक सुविधाओं में यह सत्यापित करना कि परमाणु सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) परमाणु हथियार हासिल नहीं करने के लिए NPT के तहत प्रतिबद्धताओं के साथ **गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों (NNWS)** द्वारा अनुपालन की पुष्टि करती है।
  - **अनुच्छेद III** के अनुसार, NNWS को सभी शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों में सभी परमाणु सामग्रियों की सुरक्षा हेतु IAEA के साथ समझौतों को पूरा करना आवश्यक होता है।

[50] Nuclear-Weapon States

NPT की उपलब्धियां

- **परमाणु हथियारों की संख्या में कमी:** वर्ष 1986 में परमाणु हथियारों की संख्या 70,300 थी, जो वर्तमान में लगभग 14,000 रह गयी है। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास 12,500 से अधिक परमाणु हथियार हैं।
- **दुनिया भर में प्रसार को सफलतापूर्वक रोका गया:** 1970 के बाद से, केवल चार देशों ने परमाणु हथियार हासिल किए हैं। इससे परमाणु-हथियार संपन्न देशों की कुल संख्या नौ हो गई है।
- **पता लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल:** यह संधि IAEA की निगरानी में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।
    - इसने ईरान के परमाणु समझौते में परमाणु निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने और उत्तर कोरिया की तुलना में इसे कम वर्षों में करने में मदद की है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI), 2022 की रिपोर्ट परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रकाश डालती है

- परमाणु शस्त्रागारों की **कुल संख्या में कमी** आई है। हालांकि, इस दशक में इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- कुल परमाणु हथियारों के 90% से अधिक **रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास हैं।
- परमाणु हथियारों से लैस नौ देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखा हुआ है। इन देशों में **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया** शामिल हैं।

- **परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाना:** इसके अतिरिक्त, दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का मजबूत प्रदर्शन किया है। इसके तहत उन्होंने परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों का हिस्सा बनने का विकल्प चुना है।

NPT के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष चुनौतियां

- **प्रत्येक परमाणु-हथियार संपन्न देश का संधि के साथ गैर-अनुपालन:** इनमें शामिल हैं-
    - शस्त्रागार के आकार में वृद्धि (रूस, चीन), या अधिकतम संख्या में वारहेड की सीमा को बढ़ाना (यूनाइटेड किंगडम),
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम द्वारा नई और अधिक खतरनाक हथियार प्रणालियों के निर्माण सहित, प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों पर अरबों रुपये खर्च करके **नए परमाणु हथियारों की स्पर्धा को बढ़ावा देना।**
    - परमाणु हथियारों की स्पर्धा को समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम) के लिए उचित विश्वास में वार्ता को आगे बढ़ाने में विफलता।
- **अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश** के चलते कई राष्ट्र परमाणु प्रसार का रास्ता अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए-
    - रूस द्वारा "न्यू START ट्रीटी" से अपनी भागीदारी निलंबित करना;
    - संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से यू.एस. ए. का हटना;
    - यू.एस.ए.-नॉर्थ कोरिया वार्ता में रुकावट आदि।
- **संधि में खामियां:** NPT परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देश को परमाणु हथियार रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह अधिग्रहण (Acquisition) यानी खरीद पर रोक लगाता है।
    - संधि का उल्लंघन करने या संधि से पीछे हटने वाले देशों पर प्रतिबंध की कोई व्यवस्था **नहीं** है।
- **नई-नई प्रौद्योगिकियां:** नई प्रौद्योगिकियां और हथियारों के प्रकार सुरक्षा को और अधिक अस्थिर कर सकते हैं। इनमें आक्रामक साइबर, काउंटर-स्पेस और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं।
- **यूक्रेन पर आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नुकसान हुआ है।** इससे अन्य देशों के भी अप्रसार और निरस्त्रीकरण से दूर जाने की संभावना बन रही है।
- **सैन्य समूहों का गठन: सैन्य समूहों का गठन:** ऑस्ट्रेलिया को AUKUS व्यवस्था के तहत परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण की अनुमति देने के प्रस्ताव के कारण, अप्रसार प्रयासों पर, संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं है। इस प्रस्ताव से **अप्रसार प्रयासों और विखंडनीय सामग्री नियंत्रण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।**

आगे की राह

- **संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पर अधिक दांव:** वे नई **सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि** (START)[51] का विस्तार करने के लिए सहमत होकर स्वयं की मदद कर सकते हैं। यह चीन को भी रणनीतिक स्थिरता चर्चा में शामिल करने के लिए उपयोगी होगा।

[51] Strategic Arms Reduction Treaty

- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) का पालन करना:** यह परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु देशों-पक्षकारों के लिए NPT के अनुच्छेद-VI के दायित्व को पूरा करने में एक मजबूत योगदान देगा।
- **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना:** सभी NPT पक्षकारों को परमाणु प्रसार के जोखिम को बढ़ाए बिना **सुरक्षित तरीके से उन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए** काम करना चाहिए।
- विश्व में अधिक क्षेत्रों को परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्रों की स्थापना की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए। इसमें NWS को प्रमुखता से शामिल होना चाहिए।

5.1.4. वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वासेनार अरेंजमेंट (WA) की **26वीं पूर्ण वार्षिक बैठक** संपन्न हुई है। इस बैठक में भारत को **एक वर्ष की अवधि के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता** सौंपी गई है।

वासेनार अरेंजमेंट के बारे में

- यह एक **बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR)**[52] है। इसका उद्देश्य **पारंपरिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित** कर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देना है।
  - वासेनार अरेंजमेंट के सदस्य देश **संवेदनशील दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान** करते हैं। इसके अलावा, उन्हें **गैर-सदस्य देशों को नियंत्रित उपकरणों के हस्तांतरण और अस्वीकृति की भी रिपोर्टिंग** करनी होती है।
- **औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1996 में** की गई थी। इसके कुल **42 सदस्य देश** हैं।
  - **चीन को छोड़कर,** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सभी स्थायी सदस्य इसके हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं।
- वासेनार अरेंजमेंट **स्वैच्छिक आधार पर कार्य** करता है तथा इसमें **आम सहमति से ही निर्णय** लिए जाते हैं।
- वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी इसका शीर्ष निर्णयकारी निकाय है। इसमें सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

भारत के लिए वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता का महत्त्व

- वासेनार अरेंजमेंट **भारतीय उद्योग के साथ उच्च प्रौद्योगिकी गठजोड़** को बेहतर बनाएगा। साथ ही, यह **भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को उन्नत तकनीक वाली वस्तुओं तक पहुंच** प्रदान करेगा।
- भारत को दोहरे उपयोग वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के **एक जिम्मेदार निर्यातक के रूप में मान्यता** प्रदान की गई है।
  - इस मान्यता से भारत के रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, क्षेत्र में भारत को एक रणनीतिक अभिकर्ता देश के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

5.1.5 क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार (Cluster Bombs and Thermobaric Weapons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानवाधिकार समूहों ने, **यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस पर क्लस्टर बमों और थर्मोबेरिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप** लगाया है।

क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार के बारे में

क्लस्टर हथियार (Cluster munitions)	**थर्मोबेरिक हथियार (इसे एरोसोल बम, फ्यूल एयर एक्स्प्लोसिव या वैक्यूम बम भी कहा जाता है)**
• ये एक प्रकार के **गैर-सटीक हथियार** होते हैं। इन्हें किसी बड़े क्षेत्र में **ताबड़तोड़ तरीके से आबादी (यानी लोगों) को घायल करने या मारने** और वाहनों तथा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। • इन्हें **विमान से गिराया** जा सकता है या **प्रोजेक्टाइल (प्रक्षेप्य) के रूप में दागा** जा सकता है। ये हथियार अपने मार्ग में छोटे-छोटे बमों की बमबारी करते जाते हैं। • इन छोटे-छोटे बमों में से **कई बम फट नहीं पाते हैं** और जमीन पर	• ये हथियार बड़े व उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए **वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग** करते हैं। • समान आकार के पारंपरिक बम की तुलना में ये **बहुत अधिक तबाही** मचाते हैं। • इस बम में **2 अलग-अलग चरणों में विस्फोट** होता है: ○ जैसे ही यह अपने लक्ष्य से टकराता है तो **पहले विस्फोट से बम का ईंधन कंटेनर खुलता है** और ईंधन का बादल और धातु के

[52] Multilateral Export Control Regime

निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसे में लड़ाई या युद्ध समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक मानव आबादी को इनसे खतरा बना रहता है।

- जिन देशों ने **क्लस्टर हथियारों पर अभिसमय (Convention on Cluster Munitions)** की अभिपुष्टि की है, उन्हें क्लस्टर बमों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अब तक, इस **अभिसमय के 110 देश पक्षकार** हैं।
  - **रूस, यूक्रेन और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**
- **भारत के पास क्लस्टर हथियार हैं।** इन्हें जमीन से आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल या रॉकेट और मिसाइलों से भी दागा जा सकता है।

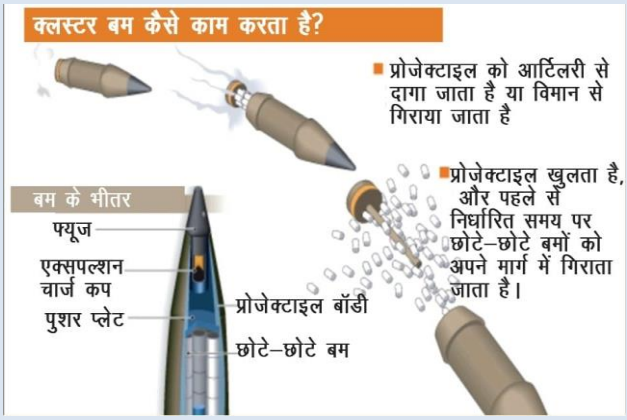

टुकड़े बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।

- **इसके बाद दूसरा विस्फोट होता** है, जो एरोसोल के बादल को आग के विशाल गोले में तब्दील कर देता है। इससे चारों ओर विस्फोट की जानलेवा लहरें फैलने लगती हैं। इससे मजबूत इमारत या उपकरण भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही, मनुष्य भी इसके अत्यधिक ताप में तुरंत जल कर मर जाते हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से थर्मोबेरिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।**

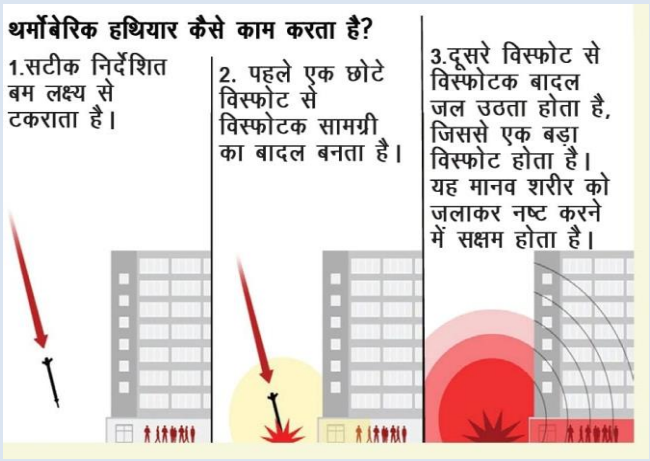

5.2. रक्षा निर्यात (Defence Exports)

रक्षा निर्यातः एक नज़र में

रक्षा निर्यात रक्षा उत्पादन में **आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार के अभियान** का एक प्रमुख स्तंभ है।

यह **सामरिक और आर्थिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण** है। साथ ही, यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।

भारत ने वर्ष 2024–25 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत से रक्षा निर्यात

- वित्त वर्ष 2022–23 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर लगभग 16,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह अब तक का उच्चतम स्तर है।
- वित्त वर्ष 2021–22 में, रक्षा निर्यात में **निजी क्षेत्रक का योगदान 70 प्रतिशत** था, शेष योगदान हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रक का रहा था।
- वर्तमान में, भारत विश्व भर के **85 से अधिक देशों को विभिन्न उपकरणों का निर्यात** कर रहा है।
- **निर्यात किए गए प्रमुख रक्षा उपकरणः** बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो, हथियार का पता लगाने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, अपतटीय गश्ती जलयान आदि।

चुनौतियां

- **लालफीताशाहीः** सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs) लालफीताशाही से ग्रस्त हैं। साथ ही, ऐसी वैश्विक धारणा है कि ये निर्धारित समय एवं लागत पर उत्पाद डिलीवर नहीं कर पाते हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी मुद्देः** भारतीय रक्षा उद्योग कुछ ऐसे हथियार प्लेटफॉर्म (टैंक **T-90, Su-30** लड़ाकू विमान आदि) का विनिर्माण कर रहा है, जिनका IPR मूल विदेशी उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) के पास है।
- **निम्न उत्पादकताः** इससे प्रति यूनिट लागत अधिक हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप, अंतिम उत्पाद महंगे हो जाते हैं। इस प्रकार, ये उत्पाद खरीदार को लुभा नहीं पाते हैं।
- **लक्षित देशों की पहचानः** भारतीय निर्यात मुख्य रूप से सैन्य उपकरणों के असेंबली/ सब–असेंबली/ घटकों पर केंद्रित है। इस प्रकार लक्षित देशों के बारे में एक पैटर्न स्थापित करना मुश्किल हो जाता है।
- **अन्य मुद्देः** डिजाइनिंग और विकास क्षमताओं का अभाव (विशेषकर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में), उद्योग–शिक्षा–रक्षा जुड़ाव का अभाव आदि।
- **उच्च प्रतिस्पर्धाः** जैसाकि अधिकांश देश अमेरिका, फ्रांस आदि के रक्षा उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **रक्षा निर्यात रणनीति** का निर्माण और **रक्षा निर्यात संचालन समिति (DESC) एवं निर्यात संवर्धन सेल (EPC) का गठन।**
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** रक्षा क्षेत्रक में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए।
- **रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाः** यह निर्यातकों को सरकार द्वारा उनके उत्पाद प्रमाणित कराने का अवसर प्रदान करती है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को स्वदेशीकरण सहायताः** इसके तहत सरकार उन वस्तुओं की "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी करती है, जिनका आयात नहीं किया जा सकता है। ये चयनित उत्पाद केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदे जा सकते हैं।
- **रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरणः** रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) को विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **सामरिक भागीदारी।**
- **विदेश मंत्रालय की विशेष भूमिकाः** मंत्रालय रक्षा उत्पादों को आयात करने हेतु देशों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, इसे भारतीय मिशनों में रक्षा क्षेत्र से संबंद्ध प्रतिनिधियों (Defence Attaches) को बढ़ावा देने का अधिकार भी प्राप्त है।
- **स्वचालित मार्ग के अधीन 74% तक और सरकारी मार्ग के अधीन 100% तक FDI की अनुमति।**
- **ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण।**
- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल।**

आगे की राह

- रक्षा क्षेत्रक से संबंद्ध प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाकर **नए बाजारों**, विशेष रूप से विकासशील देशों पर **ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**
- रक्षा उत्पादों को मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **शुल्क और करों से छूट दी जानी चाहिए।**
- देशों की रक्षा आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके साथ **नियमित सैन्य अभ्यास किया जाना चाहिए।**
- नियोजित लक्ष्यों की तुलना में निर्यात की वास्तविक प्रगति की निगरानी के लिए **रक्षा निर्यात प्रोत्साहन/ सुविधा एजेंसी की स्थापना** की जानी चाहिए
- **एक पूर्ण पैकेज निर्यात उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें लाइफ साइकल सपोर्ट शामिल हो।**
- **गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण अवसंरचना विकास।**

5.3. विदेशी सैन्य अड्डे (Foreign Military Bases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना दूसरा विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है। चीन का पहला सैन्य अड्डा जिबूती में है।

विदेशी सैन्य अड्डों के बारे में

- सैन्य अड्डा उन **सैन्य केंद्रों को कहा जाता है, जिनका निर्माण सैन्य संचालन और रसद आपूर्ति में सहायता के लिए** किया जाता है।
- विदेशी सैन्य अड्डे **100 से अधिक देशों या राज्य क्षेत्रों में या उनके आस-पास** बनाए गए हैं।
  - वर्तमान में, अमेरिका के पास लगभग 1,000 सैन्य अड्डों और सैन्य केंद्रों का विश्वव्यापी नेटवर्क है।
  - **ताजिकिस्तान में फरखोर एयरबेस विदेशी भूमि पर भारत का सैन्य अड्डा है।**

विदेशी सैन्य अड्डों को लेकर चिंताएं

- **आर्थिक लागत:** अन्य देशों में एक बड़े सैन्य बल को बनाए रखने का वित्तीय भार बहुत अधिक होता है। इतने बड़े स्तर पर सैन्य व्यय को न्यायसंगत सिद्ध करने की ज़रूरत के कारण इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए- अफ़ग़ानिस्तान और ईरान में युद्धों के कारण अमेरिका को भारी खर्च उठाना पड़ा और इसने अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाने की पद्धति को जटिल कर दिया।
- **उभरती भू-राजनीतिक परिस्थितियों** के चलते और विशेष रूप से असफल राष्ट्रों, अल्पशासित देशों और क्षेत्रीय संघर्षों से संबंधित जोखिमों के संदर्भ में ऐसे अड्डों का व्यापक निरीक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है।
- **संचालन जोखिम:** कुछ विरोधी शक्तियों या उपकरणों के पास इन अड्डों और वहां तैनात सैन्य बलों को भारी नुकसान करने की क्षमता होगी (जैसे- लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड हथियार)।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** यदि विदेशी शक्तियों द्वारा अलोकप्रिय स्थानीय सरकार के साथ वार्ता करके समझौता किया जाता है, तो वहां की आबादी या अन्य राज्यों/देशों द्वारा विदेशियों की मौजूदगी को तानाशाही नीति के रूप में देखा जाएगा।
- **पर्यावरणीय मुद्दे:** रासायनिक या नाभिकीय हथियारों समेत अन्य हथियारों की टेस्टिंग से संदूषण या कोई दुर्घटना होने का खतरा रहता है।

- **आउटडेटेड भूमिका:** बढ़ते धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद और असममित खतरों के कारण प्रमुख जोखिमों को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। जैसे: अपरंपरागत युद्ध, हथियारों तथा सामूहिक विनाश की प्रौद्योगिकियों के प्रसार का जोखिम आदि।

निष्कर्ष: नई वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों एवं रणनीतियों के परिदृश्य में विदेशी सैन्य अड्डे की प्रणाली बदल गई है। एशिया के कुछ विशिष्ट क्षेत्र चिंता का विषय बन रहे हैं, जिसके कारण वहां अड्डे स्थापित करने की प्रेरणा को मजबूती मिल रही है। इसलिए, विदेश में स्थित सैन्य संसाधनों को पुनः स्थापित करने की जरूरत है, ताकि पारंपरिक और नए कार्यों का बेहतर व अधिक प्रभावी तरीके से प्रदर्शन किया जा सके।

चीन के विदेशी सैन्य अड्डे

- चीन ने **वर्ष 2017 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका (पूर्वी अफ्रीका) के जिबूती देश में अपना पहला सैन्य अड्डा स्थापित** किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि यह अपना दूसरा सैन्य अड्डा **कंबोडिया के रीम** में स्थापित करने वाला है।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - चीन का यह रुख भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को लगता है कि चीन सैन्य गठबंधन तथा बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में बंदरगाहों की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने में लगा है। यह सब चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" नीति का एक हिस्सा है।
  - कराची या ग्वादर में चीनी युद्धपोतों की स्थायी तैनाती से संकट के समय में पाकिस्तान के खिलाफ बल प्रयोग करने में भारत को शुरुआती परेशानी आएगी।
- **भारत की प्रतिक्रिया:**
  - **अन्य देशों के साथ सहयोग:** फ्रांस के साथ भारत के सैन्य संबंध (जिनमें परस्पर लॉजिस्टिक्स समर्थन समझौता भी शामिल है) भारत के सैन्य युद्धपोतों को जिबूती में फ्रांसीसी सैन्य अड्डे का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।
  - **हिंद महासागर क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना:** जिबूती में चीन के विदेशी सैन्य अड्डे की प्रतिक्रिया के रूप में भारत सेशेल्स, ओमान और सिंगापुर में सैन्य सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
  - **क्षमताओं में सुधार करना:** अंडमान द्वीप समूहों के पास चीनी निरीक्षण की बढ़ती गतिविधियों के प्रत्युत्तर में भारत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एकीकृत निरीक्षण नेटवर्क के विकास के लिए निवेश कर रहा है। चीनी नौसैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए भारत श्रीलंका, मालदीव और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में रडार स्टेशन बना रहा है।

5.4. प्रत्यर्पण (Extradition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई करने तथा देश व विदेश में मौजूद उनकी परिसंपत्तियों से वसूली करने का आह्वान किया है।

प्रत्यर्पण के बारे में

- **अर्थ:** प्रत्यर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश द्वारा दूसरे देश से किसी अपराध में अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को वापस करने का अनुरोध किया जाता है। सामान्यतया ऐसे आरोपी व्यक्ति को अनुरोध करने वाले देश की अदालतों में अभियुक्त या दोषी ठहराया गया होता है।
- यह **दो देशों के बीच एक सहयोगात्मक कानून प्रवर्तन प्रक्रिया** है। यह प्रक्रिया प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से उनके बीच की गई व्यवस्था पर निर्भर करती है।

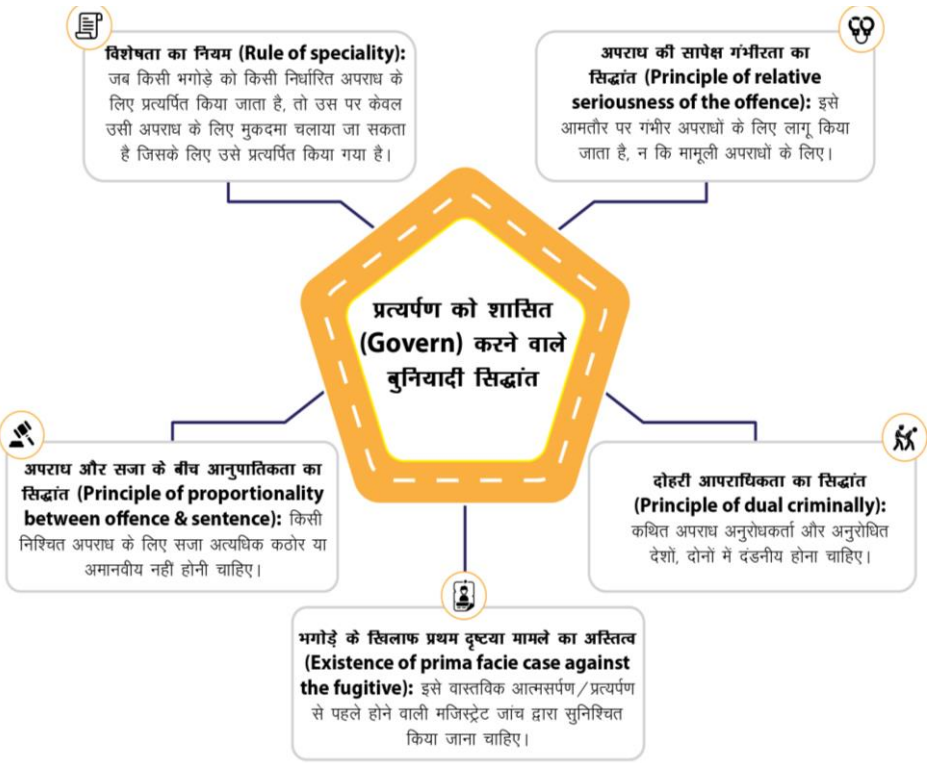

- **भारत में प्रक्रिया:** भारत में भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को **भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962** के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह भारत में लाने और भारत से विदेशी देशों में ले जाने दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने के लिए है।
    - अब तक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यू.के, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित **48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।** इसके अलावा, भारत ने **12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था** पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
    - **विदेश मंत्रालय का दूतावास, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग** प्रत्यर्पण अधिनियम के संचालन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
    - **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018** एक भगोड़े आर्थिक अपराधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है **जिसने-**
        - **100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के एकाधिक अपराध** किया हो और जो जांच/ सजा से बचने के लिए या तो भारत से भाग गया हो या वापस लौटने से इनकार कर दिया हो।

भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों?

- **व्यापक आर्थिक प्रभावों से बचने के लिए:** आर्थिक अपराधों में एक भगोड़ा व्यक्ति या तो डिफ़ॉल्टर, या धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलग्न, और/ या बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से बड़ी मात्रा में धन निकाल कर फरार होता है।
- **दोषियों को दंडित करने के लिए:** भौगोलिक सीमाएं अपराधियों को अदालत के समक्ष पेश करने में बाधा नहीं बननी चाहिए।
- **भविष्य के अपराधों को रोकने के लिए:** किसी विदेशी राष्ट्र में जाना किसी अपराधी व्यक्ति के लिए भागने के एक विकल्प के रूप में नहीं होना चाहिए। अपराधियों को सजा देकर, यह भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकता है।
- **सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए:** विदेशी भूमि पर गंभीर अपराध करने और भारत में बसने वाले अपराधियों के प्रत्यर्पण में सहयोग करके, उस देश के साथ संबंध सुधारे जा सकते हैं।
- **शांति बनाए रखने के लिए:** अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यर्पण को एक प्रभावी तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आतंकवादी हमलों के पीछे के मास्टर माइंड को न्याय के कटघरे में लाने का एक प्रभावी तरीका भी है।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया में चुनौतियां

- **प्रत्यर्पण संधियों का अभाव: भारत ने केवल 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।** यह प्रक्रिया ऐसी स्थिती में मुश्किल हो जाती है, जब अपराधी किसी ऐसे देश में छिप जाता है जिसके साथ भारत द्वारा इस प्रकार की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- **दोहरे जोखिम का खंड:** यदि अपराधी **पहले से ही दूसरे देश में कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुका है, तो यह उसी अपराध के लिए व्यक्ति को फिर से दंडित करने पर रोक** लगाता है।
- **राजनीतिक अपराधों का बहिष्करण:** अधिकांश देशों में राजनीतिक अपराधों को आमतौर पर प्रत्यर्पण के लिए मानदंड के रूप में नहीं माना जाता है।
- **भारतीय जेलों की स्थिति:** कई मामलों में, **भारतीय जेलों में भीड़-भाड़ और उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति को भारत में स्थानांतरण से बचने के कारण** के रूप में देखा गया है।
- **हिरासत में हिंसा:** ब्रिटेन और कई अन्य यूरोपीय देशों ने अक्सर **इस संभावना पर प्रत्यर्पण अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है कि ऐसा व्यक्ति भारत की जेलों में हिरासत में हिंसा का शिकार होगा।**
- **विशेषज्ञता का नियम:** प्रत्यर्पित अपराधी पर **केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिस अपराध के लिए उसने आत्मसमर्पण किया है।** अभियोजन प्रक्रिया में इसके अतिरिक्त/ अन्य मामले शामिल नहीं किए जा सकते हैं।

आगे की राह

- **अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए:** सरकार को भविष्य में प्रत्यर्पण संबंधी मामलों में देरी से बचने के लिए **सभी संभावित सहयोगियों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने पर ध्यान केंद्रित करना** चाहिए।
- **प्रत्यर्पण अनुरोध पर जल्द-से जल्द निर्णय:** किसी दूसरे देश से **प्रत्यर्पण अनुरोध को कुशलतापूर्वक संभालने** से, अन्य देशों के लिए हमारे अनुरोधों को भी तीव्रता से निपटाया जा सकेगा।
- **जेलों में सुधार करके:** जेलों को **पुनर्वास के लिए एक बेहतर स्थान बनाकर** और **कैदियों के अधिकारों को लागू करके** प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके:** भारत यातना और हिरासत में हिंसा के प्रति कठोर कदम उठाते हुए **यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन[53] (1984)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता और दक्षता में सुधार करके:** कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि विभिन्न विभागों में प्रक्रिया को तीव्र कर सकती है और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को गति देने में मदद कर सकती है।

5.5. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा (Climate Change and Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के बीच संबंधों ने प्रभावी रूप से ध्यान आकर्षित किया है।

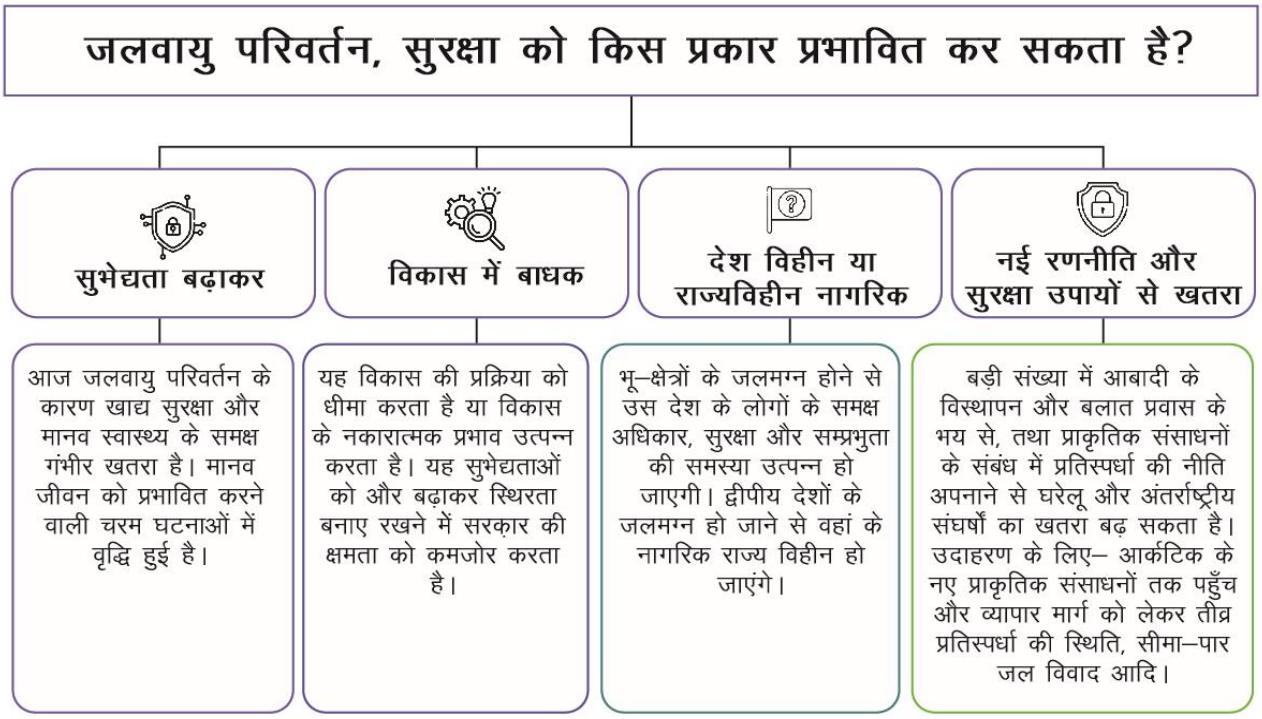

इस विषय पर UNSC ड्राफ्ट रेजोल्यूशन

- UNSC ने **संघर्ष रोकथाम, संघर्ष प्रबंधन और शांति स्थापना** से संबंधित **संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों को एकीकृत करने वाला** एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया था। कई अन्य देशों के साथ-साथ रूस और भारत ने भी UNSC के इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के विरुद्ध मतदान किया है।
- **ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के संबंध में चिंताएं:**
  - हालांकि जलवायु परिवर्तन में शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता है, लेकिन **दोनों के बीच पारस्परिक संबंध जटिल** हैं।
    - उदाहरण के लिए- अन्य कारकों जैसे कि पर्यावरणीय क्षरण, खाद्यान्न की कमी और संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण तनाव व संघर्ष होने की संभावना सबसे अधिक रहती है।
  - **जलवायु परिवर्तन UNSC के दायरे से बाहर है:** UNSC की प्राथमिक जिम्मेदारी "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना" है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर एक विशेष एजेंसी, UNFCCC में चर्चा की जाती है।
  - इस मुद्दे को UNSC के अधीन लाने से विश्व के **औद्योगिक देशों को अधिक शक्तियां** मिल सकती हैं। ये देश वीटो शक्ति रखते हैं और जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके विपरीत UNFCCC में निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं।

[53] UN Convention Against Torture

आगे की राह

- **UNFCCC में जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए चर्चा के दायरे का विस्तार किया जा सकता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करना चाहिए।** इस समर्थन में सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण में निवेश भी शामिल होना चाहिए।
- **सभी देशों के सतत और समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।** इसमें विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा विकास संबंधी सहायता पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शामिल होना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का अनुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।** इन चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन के कारण सीमाओं के पार बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापित होना, द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने से उनके नागरिकों के राज्यविहीन होने की संभावना, जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी होना आदि शामिल हैं।
- **विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सूचना के प्रवाह** और आकलनों (विशेष रूप से पूर्व-चेतावनी प्रणाली पर) के आदान-प्रदान में सुधार करना।

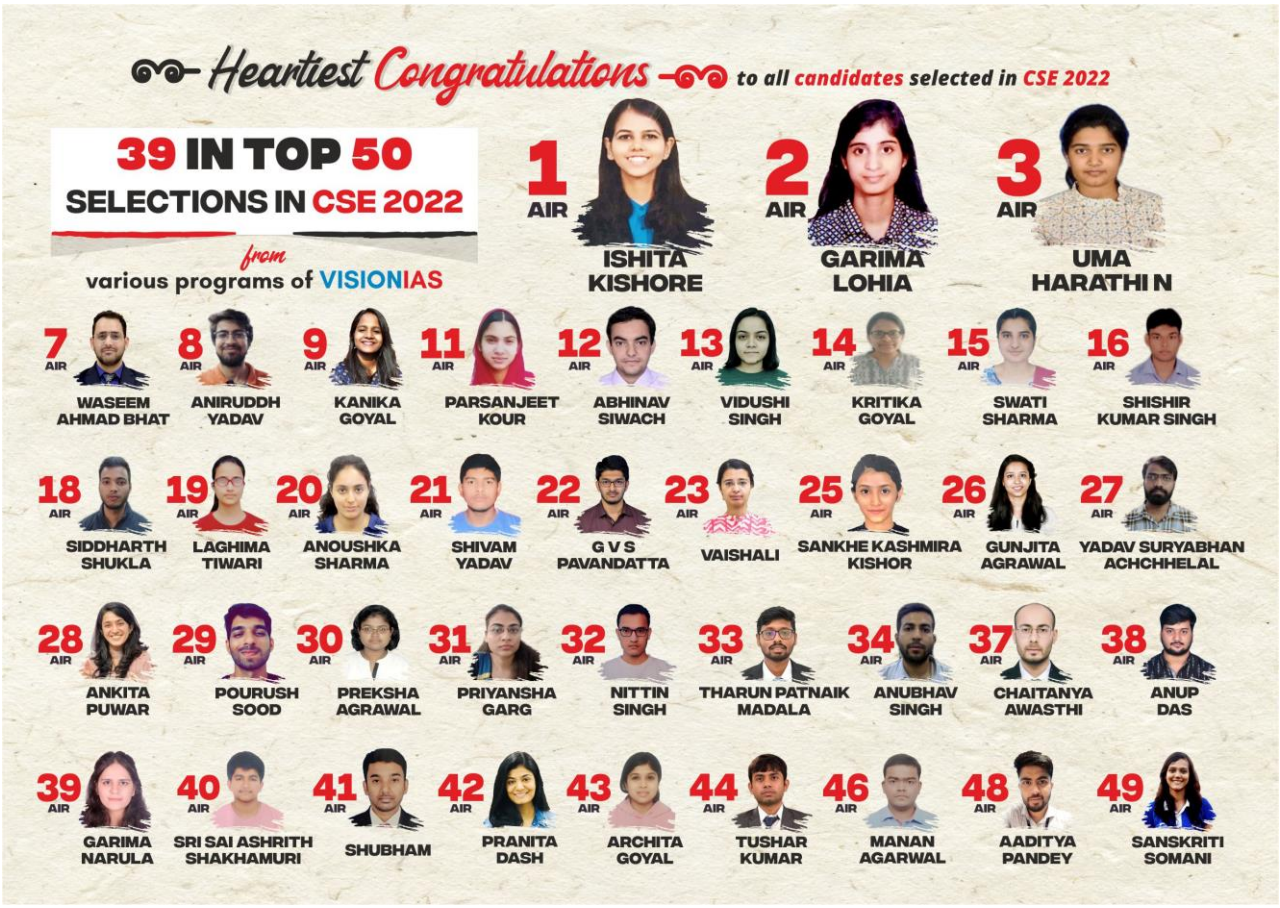

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

रक्षा

रक्षा आधुनिकीकरण

- **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए पहलः** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP), 2020; iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार), सृजन पोर्टल, प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) योजना आदि।
- **सैन्य संगठन में सुधार के लिए पहलः** अग्निपथ योजना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एकीकृत युद्धक समूह, सैन्य मामलों के विभाग आदि।
- **अन्य प्रयासः** रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, DRDO की समर्पित प्रयोगशालाएं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आदि क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ी हैं।

रक्षा निर्यात

- **भारत का रक्षा निर्यात** लगभग सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022–23 में यह 16,000 करोड़ रुपये था।
- भारत ने 2024–25 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है।
- वर्तमान में **भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात** कर रहा है।
- **निर्यात किए गए प्रमुख शस्त्रागारः** बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो, हथियार खोजने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, अपतटीय पेट्रोल व्हीकल, आदि **निर्यात** किए जा रहे हैं।

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता

- हाल के स्वदेशी रक्षा उत्पादों में विमान वाहक पोत INS विक्रांत, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, आदि शामिल हैं।
- **अब तक की गई पहलः** DAP, 2020; TDF योजना, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, रक्षा औद्योगिक गलियारा, अनुकूल FDI नीति (स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत तक) आदि।
- पिछले पांच वर्षों में **रक्षा व्यय भारत की GDP का 1% से भी कम** रहा है।
- **SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार,** भारत 81.4 बिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है।

सैन्य लॉजिस्टिक समझौते

- भारत ने **क्वाड देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ–साथ फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया** के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं।
- भारत और वियतनाम ने सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा

डेटा संरक्षण

- भारत में **डेटा सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानूनी ढांचा नहीं** है।
- **कुछ अधिनियम/ निर्णय डेटा संरक्षण को सामान्य तरीके से कवर करते हैं।** इनमें आई.टी. अधिनियम की धारा 43, निजता का अधिकार निर्णय (पुट्टास्वामी वाद), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम आदि शामिल हैं।
- MeitY ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 का एक मसौदा जारी किया है।

साइबर सुरक्षा

- **वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें (194 देशों के बीच) स्थान पर** था।
- भारत में **1.15 बिलियन से अधिक फोन** और 816 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ये **डिजिटल रूप से आसान टारगेट** बन सकते हैं।
- वर्ष 2021 में, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध लेन–देन लगभग 20 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था।
- **अगले 10 वर्षों में** साइबर हमलों की लागत **20 अरब डॉलर तक पहुंचने** की आशंका है।
- **रैनसम–वेयर रिपोर्ट–2022 के अनुसार,** 2021 की तुलना में 2022 में **रैनसमवेयर की घटनाओं में 53% की वृद्धि हुई है।**

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना

- **सरकार ने आई.टी. अधिनियम, 2000 (संशोधित 2008) की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII)** की घोषणा की है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए पहलः** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020; CERT-In; राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) आदि।
- **केंद्र ने जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटाबेस को CII घोषित किया।**

कानून प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियांः** शरीर पर लगे कैमरे, स्वचालित टैग और लाइसेंस प्लेट रीडर, बायोमेट्रिक्स, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, गूगल ग्लास आदि।
- **भारत में इस संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यः** उत्तर प्रदेश (अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए AI आधारित ऐप), पंजाब (सांझ– एक नागरिक उन्मुख पोर्टल), ओडिशा (महिलाओं की मदद करने के लिए MO साथी), महाराष्ट्र (अपराधियों का AMBIS डेटाबेस तैयार करना) आदि।
- तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस रिकॉर्ड बनाने के लिए **'फ़िंगरप्रिंट विश्लेषण ट्रैकिंग सिस्टम'** का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
- CBI, NIA और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) तक पहुंच प्रदान की है।

सुरक्षा बल

पुलिस सुधार

- **विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत संख्या बल का लगभग 20% रिक्त है।**
- पुलिस पर व्यय राज्य सरकार के बजट का लगभग 3% है।
- पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या काफी कम है, जो कि पुलिस बल का केवल 10.3% है।
- **पुलिस सुधार से संबंधित निकाय/ समितिः** पद्मनाभैया समिति (2000), मलिमथ समिति (2002–03), प्रकाश सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश (2006), द्वितीय ARC (2007), पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमिटी II (2015)
- **सरकारी पहलः** स्मार्ट पुलिसिंग; क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS); मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 आदि।

राज्य और गैर–राज्य अभिकर्ता

नक्सलवाद

- 2010 से 2022 तक **वामपंथी हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी** आई है।
- 2018 से 2021 तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 35 से घटकर 25 रह गई।
- पिछले 12 वर्षों में नक्सल हिंसा से होने वाली **मौतों (नागरिकों और सुरक्षा बलों) में 90% की कमी आई है।**
- **वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित राज्यों के लिए की गई पहल:** राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015), पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के तहत विभिन्न उप–योजनाएं, समाधान/SAMADHAN रणनीति इत्यादि।
- **कौशल विकास:** रोशनी, ITIs और कौशल विकास केंद्र, आजीविका कॉलेज आदि।
- **संस्थागत उपाय:** छत्तीसगढ़ के लिए ब्लैक पैंथर लड़ाकू बल, बस्तरिया बटालियन आदि।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद

शांति बहाली के लिए की गई पहल

- क्षेत्रीय सहयोग के साथ **सीमाओं पर बाड़ लगाना।**
- **उड़ान 4.0 के तहत पूर्वोत्तर मार्गों को प्राथमिकता,** एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में विकास (राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि निर्यात क्षेत्र आदि)।
- असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में शांति के लिए **तीसरे बोडो शांति समझौते** (2020) पर हस्ताक्षर किए गए।
- सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (K) निकी ग्रुप के साथ **युद्धविराम समझौता** किया।
- **अन्य पहलें:** बांग्लादेश के साथ मैत्री सेतु, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि।

आतंकवाद

- **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2023** में भारत 13वें स्थान पर रहा जबकि पाकिस्तान छठे स्थान पर रहा।
- **"आतंकवाद"** शब्द की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत परिभाषा नहीं है।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** भारत में **केंद्रीय आतंकवाद–रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी** के रूप में कार्य कर रही है।
- गृह मंत्रालय में **दो नए प्रभागों (आतंकवाद और कट्टरपंथ रोधी प्रभाग और साइबर एवं सुरक्षा प्रभाग) का गठन किया** गया है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

- **भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र म्यांमार के करीब है जो अफगानिस्तान के बाद दुनिया में अफीम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- UNODC की 2023 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इन पदार्थों के उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या 2011 में 240 मिलियन थी जो 2021 में बढ़कर 296 मिलियन हो गई।
- **भारत एक ट्रांजिट हब** के साथ–साथ गोल्डन ट्राएंगल और गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित हेरोइन एवं हशीश के लिए **एक गंतव्य स्थल बन गया** है।
- भारत के भीतर, **सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत** (विशेषकर मणिपुर) और उत्तर पश्चिमी भारत (विशेषकर पंजाब) हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग

- संसद द्वारा निर्मित **मनी–लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002** (PMLA) मनी लॉन्ड्रिंग के लिए समर्पित कानून है।
- कानून के माध्यम से **मनी लॉन्ड्रिंग को एक अपराध** बना दिया गया है।
- मनी लॉन्ड्रिंग के **केवल 19% मामलों में** अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

जाली मुद्रा

- वर्ष 2016 से 2021 के बीच बैंकिंग प्रणाली में जाली मुद्रा का चलन 80% से भी कम हो गया।
- विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा **जब्त किए गए जाली नोटों की संख्या 28 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़** हो गई है।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E के तहत** जालसाजी (जाली मुद्राक का काम करना) एक दंडनीय अपराध है।
- इसे **गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** के दायरे में भी लाया गया है।

गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता लेना ही इस अधिनियम के तहत अपराध होगा।
- UAPA के दर्ज मामलों में से केवल 3.6% मामलों में सजा हुई है।
- यह कानून केंद्र को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। इससे पहले, केवल किसी संगठन को ही आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा सकता था।

सुरक्षा के उभरते आयाम

अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण

- भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है।
- **मिशन डेफ–स्पेस:** यह अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा आवश्यकता के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु भारत सरकार की एक पहल है।
- **अंतरिक्ष शक्ति की दौड़ में भारत:** वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) का गठन, वर्ष 1969 में ISRO का गठन, वर्ष 2019 में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) का गठन; एंटी–सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण (मिशन शक्ति)।
- **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए वैश्विक ढांचा:** बाह्य अंतरिक्ष संधि, बाह्य अंतरिक्ष हथियारों की होड़ की रोकथाम, यू.एस.ए. आर्टेमिस समझौता
- **इंडस्पेसएक्स:** भारतीय सेनाओं के लिए अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास।

समुद्री सुरक्षा

- भारत ने हाल ही में **"समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक उदाहरण"** विषय पर UNSC उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की।
- परमाणु हथियार से लैस **INS अरिहंत** और विमानवाहक पोत **'INS विक्रांत'** को शामिल करके भारत **परमाणु त्रयी** की क्षमता रखने वाला देश बन गया है।
- **चुनौतियां:** आतंकवादी हमले, समुद्री पायरेसी, संगठित अपराध, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का बढ़ता प्रभाव, आदि।
- पायरेसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **मेरीटाइम एंटी–पायरेसी एक्ट, 2022** पारित किया गया है।

हाइब्रिड युद्ध

- हाइब्रिड युद्ध में शक्ति के **पारंपरिक और गैर–पारंपरिक साधनों तथा विनाशकारी उपकरणों का इस्तेमाल** होता है।
- **इसमें शामिल हैं:** साइबर हमले, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप आदि।

जैव–आतंकवाद

- भारत–यू.एस.ए. के संयुक्त अभ्यास **"तरकश"** में पहली बार जैविक आतंकी हमलों के खिलाफ प्रतिक्रिया को शामिल किया गया।
- **भारत में मौजूदा उपाय:** 1897 का महामारी अधिनियम, NDMA ने सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए एक मॉडल साधन प्रस्तावित की है, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय:** जैविक हथियार अभिसमय, इंटरपोल बायो–टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल।

वीकली फोकसः सुरक्षा

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और राष्ट्रीय सुरक्षा	
2.	भारत का परमाणु सिद्धांत	
3.	तटीय सुरक्षाः भारत की तैयारी की स्थिति	
4.	रक्षा उद्योग का स्थानीयकरणः आवश्यकता से लेकर अवसर तक	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
5.	हाइब्रिड वारफेयरः नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया	
6.	परमाणु निरस्त्रीकरणः सुरक्षित और बेहतर विश्व की ओर एक कदम	
7.	भू–स्थानिक डेटाः आधुनिक रक्षा प्रणाली की ओर एक कदम	

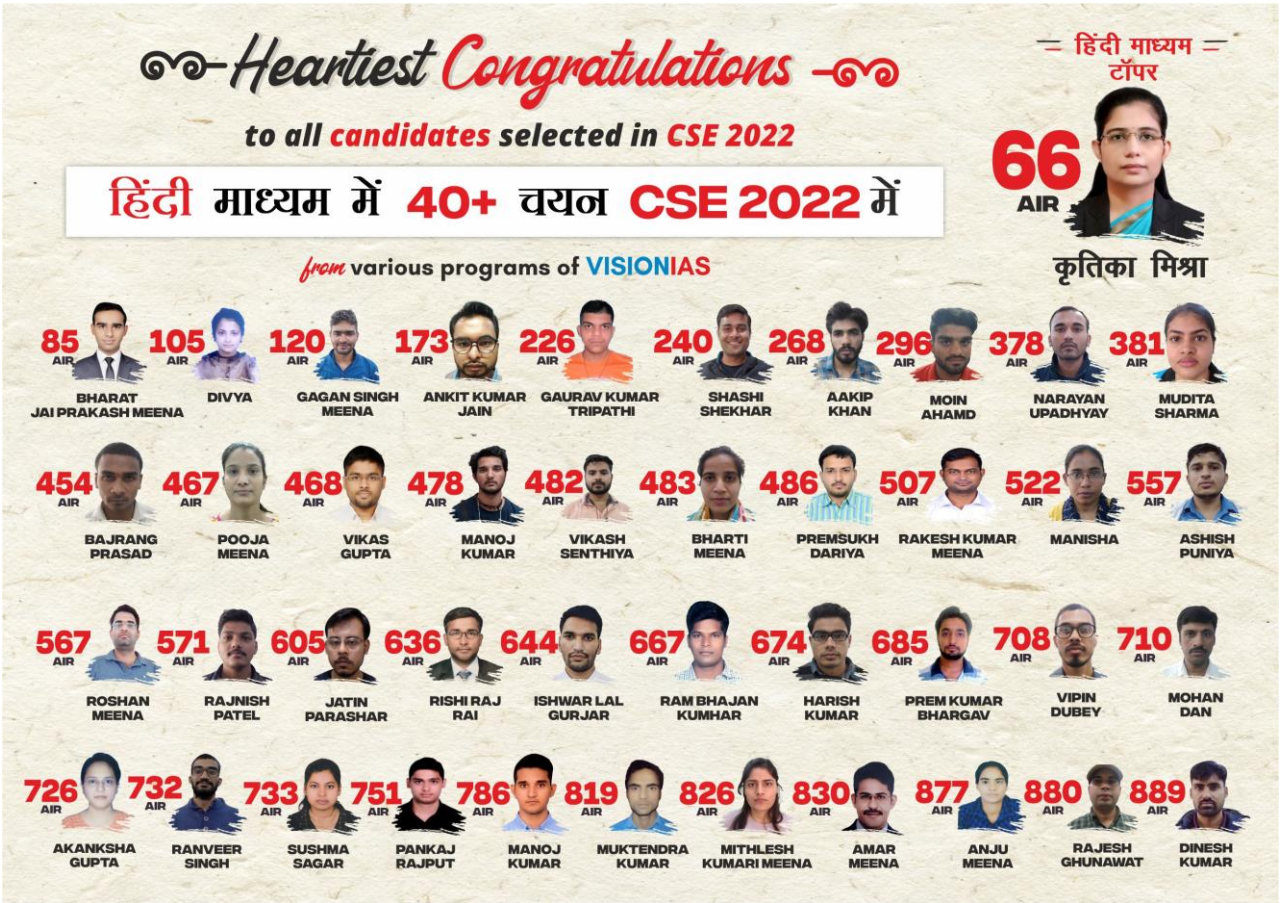

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Lakshya Mains Mentoring Program 2023

Lakshya Mains Mentoring Program 2023 is a targeted revision, practice, and enrichment Program that aids students in achieving excellence in the UPSC Mains Examination 2023. The Program adopts a strategic approach by providing smart preparation strategies, developing critical thinking and analytical skills, and advanced answer-writing abilities.

Scan the QR code to Register

Features of the Program

Dedicated Senior Mentor

A Senior Mentor is assigned to each student to provide personalized guidance in each aspect of the Mains examination preparation and assist students in consolidating their strengths maximizing their performance by identifying and improving upon student weaknesses.

Emphasis on High-Scoring Potential Subjects

The Program lays special emphasis on subjects like Ethics and Essay and provides ample opportunity for students to inculcate the learnings and effect their implementation in the answer writing.

Regular Group Sessions

Aspirants engage in interactive sessions conducted by experienced mentors which provide subject-specific strategies, insights from toppers, advanced-level answer-writing skills, etc.

Answer Enrichment

Aspirants gain insights from institutional experience and the answer scripts of previous toppers to enhance the content and presentation of their answers, making them impactful and effective.

Live Practice Sessions

Through these practice sessions, aspirants can implement session learnings and receive immediate feedback from their mentors to refine their approach and boost their confidence.

Lakshya Mains Practice Test (LMPT)

Aspirants can undertake the scheduled LMPTs in online/Offline modes to put their knowledge and skills to the test and validate their preparation strategies.

Expert Evaluation

The LMPT is evaluated by the expert team at VisionIAS through an Innovative Assessment System to provide detailed feedback for further improvement.

Feedback Session with Assigned Mentor

In this session, students can discuss the feedback received on their LMPT performance and their Answer Scripts to address any doubts or concerns in a personalized setting with their Mentor.

Peer Interaction and Motivation

Aspirants participate in constructive discussions, share their experiences, insights, and motivation with fellow aspirants facilitating co-learning and development.

Multi-platform Support

Aspirants can benefit from a comprehensive support system in the form of online/offline Groups and One-to-One sessions, telephonic support, and a dedicated Telegram platform for immediate assistance whenever needed.

With its intelligent design, effective implementation, dedication from Senior Mentors, and active participation of Students, the Program has achieved tremendous success in a short period of time with **Waseem Ahmad Bhat** securing an impressive All India Rank (AIR) of 7, **Siddharth Shukla AIR 18,** and **Anoushka Sharma** securing AIR 20.

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selections in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

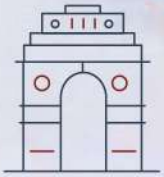
DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर